

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, कानपुर-नगर।

उपस्थित : श्री अजय कुमार त्रिपाठी-II उच्चतर न्यायिक सेवा
(J.O- CODE-UP 5924)



UPKN010005562015

1. सत्र परीक्षण संख्या-36 / 2015

उत्तर प्रदेश राज्यअभियोजन पक्ष

बनाम

- (1) पीयूष श्यामदसानी पुत्र ओमप्रकाश श्यामदसानी, निवासी म0नं0 117 / एच-1 / 187, पाण्डु नगर, कानपुर-नगर।
(2) मनीषा मखीजा पुत्री हरीश मखीजा, निवासिनीम0नं0-117 / 618, पाण्डु नगर, थाना-काकादेव, कानपुर-नगर।
(3) अवधेश चतुर्वेदी पुत्र गौरीशंकर चतुर्वेदी
(4) रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया पुत्र रामबाबू कनौजिया
(5) सोनू कश्यप पुत्र छोटेलाल कश्यप
(6) आशीष कश्यप पुत्र कमलेश कश्यप
निवासीगण म0नं0 117 / एच-1 / 209 रामचरन की मड़ैया, पाण्डु नगर, थाना-काकादेव, जिला-कानपुर नगर।
(7) मुकेश श्यामदसानी पुत्र ओमप्रकाश श्यामदसानी
(8) कमलेश श्यामदसानी पुत्र स्व0 राजमोहन
(9) ओमप्रकाश श्यामदसानी पुत्र स्व0 कोड़ामल
(10) श्रीमती पूनम श्यामदसानी पत्नी ओमप्रकाश श्यामदसानी
निवासीगण म0नं0 117 / एच-1 / 187 पाण्डु नगर, थाना-काकादेव, जिला-कानपुर नगर।

.....अभियुक्तगण

मु0अ0सं0-151 / 2014

धारा-364,302,201,120बी,404,34,

203,202 भा0द0सं0

थाना-स्वरूप नगर, जिला-कानपुर नगर।

एवम्



UPKN010005552015

2. सत्र परीक्षण संख्या-37 / 2015

उत्तर प्रदेश राज्यअभियोजन पक्ष

बनाम

- (1) रेनू पुत्र रामबाबू कनौजिया
(2) सोनू पुत्र छोटेलाल कश्यप

निवासीगण म0नं0 117 / एच-1 / 209 रामचरन की मड़ैया,
पाण्डु नगर, थाना—काकादेव, जिला—कानपुर नगर।

.....अभियुक्तगण

मु0अ0सं0—155 / 2014

धारा—4 / 25 आयुध अधिनियम

थाना—स्वरूप नगर, जिला—कानपुर नगर।

निर्णय

1. पुलिस थाना—स्वरूप नगर, जिला—कानपुर नगर द्वारा अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के विरुद्ध धारा—364, 302, 201, 203, 120बी, 34 भा0द0सं0 के अन्तर्गत, अभियुक्ता मनीषा मखीजा के विरुद्ध धारा—302, 201, 120बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत, अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया एवं सोनू कश्यप के विरुद्ध धारा—364, 302, 201, 120बी, 404, 34 भा0द0सं0 के अन्तर्गत, अभियुक्तगण मुकेश श्यामदसानी, कमलेश श्यामदसानी, ओमप्रकाश श्यामदसानी एवं श्रीमती पूनम श्यामदसानी के विरुद्ध धारा—202 भा0द0सं0 के अन्तर्गत तथा अभियुक्तगण रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया एवं सोनू कश्यप के विरुद्ध धारा—4 / 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुख्य अपराध अन्तर्गत धारा—364, 302, 201, 120बी, 404, 34, 203, 202 भा0द0सं0 अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने एवं अपराध अन्तर्गत धारा—4 / 25 आयुध अधिनियम मुख्य अपराध से सम्बन्धित होने के कारण अभियुक्तगण के वाद को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुक्रम में उपरोक्त सत्र परीक्षण अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुए।

2. उपरोक्त दोनों मुकदमे एक ही घटना के अनुक्रम में घटित होने के कारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने आदेश दिनांकित 02.09.2015 के द्वारा समेकित किया और सत्र परीक्षण संख्या—36 / 2015, राज्य प्रति पीयूष श्यामदसानी आदि, अन्तर्गत धारा—364, 302, 201, 120बी, 404, 34, 203, 202 भा0द0सं0 को अग्रणी वाद मानते हुए इसी में समस्त साक्षियों की साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु आदेशित किया गया, जिसके क्रम में समस्त साक्ष्य सत्र परीक्षण संख्या—36 / 2015 में अंकित की गयी। अतः इस निर्णय द्वारा उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षणों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा पीयूष श्यामदसानी पुत्र ओमप्रकाश श्यामदसानी, निवासी म0नं0—117 / एच-1 / 187 पाण्डु नगर, थाना—काकादेव, जिला—कानपुर नगर

द्वारा दिनांक 28.07.2014 को थाना—स्वरूप नगर, जिला—कानपुर नगर पर इस आशय की लिखित तहरीर (प्रदर्श क-37) प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 27.07.2014 को अपनी पत्नी श्रीमती ज्योती श्यामदसानी के साथ गाड़ी नम्बर यू०पी०-७८-बी०पी०-५००९ होण्डा एकार्ड से होटल वरान्दा वी०आई०पी० रोड में खाना खाकर घर वापस जा रहे थे कि समय करीब रात 11.30 पी०एम० बजे उसकी गाड़ी के सामने चार मोटरसाइकिल सवार कुल 7/8 लोग सामने से कम्पनी बाग से रावतपुर रोड पर आ गए और उसकी गाड़ी पर ठोकर मारी, सामने से मारी। उसके विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसे गाड़ी के बाहर गिरा दिया था। 3/4 लोग गाड़ी में बैठकर, जिनमें एक व्यक्ति गाड़ी चलाकर लेकर भाग गया, जिसमें उसकी पत्नी भी बैठी थी। उपरोक्त में से दो लोग टोपी लगाए थे, सभी लोग रावतपुर की तरफ गाड़ी लेकर भाग गए। अतः वादी की रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

4. वादी की तहरीर प्रदर्श क-37 के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध सं०-१५१/२०१४, धारा-३२३, १४७, ३९२, ३६४ भा०द०सं० के अन्तर्गत चिक प्रदर्श क-६ दर्ज कर अभियोग पंजीकृत किया गया और जी०डी० प्रदर्श क-७ में मुकदमा कायमी का उल्लेख किया गया। विवेचक द्वारा मामले में विवेचना प्रारम्भ की गयी।

5. विवेचना के क्रम में विवेचक के समक्ष प्रथम सूचनाकर्ता पीयूष श्यामदसानी की तहरीर के सम्बन्ध में जांच किये जाने पर यह विदित हुआ कि कथित होण्डा एकॉर्ड कार पर किसी वाहन से टक्कर के कोई चिन्ह नहीं थे न ही वाहन से किसी प्रकार से टक्कर का कोई अन्य साक्ष्य मौजूद था। इसी क्रम में पीयूष श्यामदसानी के शरीर पर भी कोई जाहिरा चोट नहीं थी तथा उसके द्वारा स्वयं अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से इन्कार भी कर दिया गया। साथ ही साथ पीयूष श्यामदसानी द्वारा घटना स्थल से मात्र दो किलोमीटर दूर स्थित थाने पर विलम्ब से सूचना दी गयी। इस प्रकार घटना संदिग्ध पाये जाने पर विवेचक द्वारा विवेचना किए जाने पर ज्ञात हुआ कि पीयूष श्यामदसानी एवं मनीषा मखीजा के आपस में अत्यधिक फोन पर वार्तालाप हुए हैं। अत्यधिक फोन वार्तालापों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी से पूछताछ करने पर वह टूट गया तथा उसने यह अवगत कराया कि उसके पड़ोस में रहने वाली मनीषा मखीजा से उसके प्रेम सम्बन्ध थे तथा वह इसी कारण अपनी पत्नी को पसन्द नहीं करता था एवं अभियुक्त पीयूष के उसकी पत्नी से सम्बन्ध कटु थे। इसी कारण अभियुक्त पीयूष एवं

अभियुक्ता मनीषा ने साजिश करके अवधेश चतुर्वेदी जो मनीषा मखीजा के परिवार में पहले ड्राइवर रह चुका था, को पैसे का लालच देकर अभियुक्त पीयूष ने मनीषा की हत्या की योजना बनायी तथा उसे पैसे एडवान्स देकर शेष पैसों को घटना के बाद दिये जाने का वायदा किया और यह भी तय हुआ कि घटना के वक्त मृतका के पास जो भी जेवरात एवं पैसे आदि होंगे, उन्हें अभियुक्तगण ले लेंगे। इसी क्रम में हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी ने अपने साथी रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष को अपने साथ घटना के लिए राजी किया। अभियुक्त पीयूष के निर्देश पर दिनांक 13.07.2014 तथा दिनांक 20.07.2014 को हत्या योजना के अनुसार की जानी थी किन्तु उक्त दोनों दिनों पर समय पर अभियुक्त अवधेश आदि के न पहुँचने तथा बहुत ज्यादा बारिश हो जाने के कारण घटना को अंजाम न दिया जा सका। अभियुक्त पीयूष द्वारा घटना न हो पाने पर अभियुक्त अवधेश आदि से नाराजगी भी व्यक्त की गयी। अभियुक्त अवधेश व सोनू को अभियुक्त पीयूष ने रेव मोती मॉल से चाकू भी खरीदकर दिलाया था। अंततः अभियुक्त पीयूष एवं मनीषा द्वारा की गयी साजिश के क्रम में दिनांक 27.07.2014 को अभियुक्त पीयूष मृतका ज्योति श्यामदसानी को लेकर वराण्डा रेस्टोरेंट पार्वती बांगला रोड पर डिनर कराने के बहाने ले गया। डिनर के दौरान भी अभियुक्त पीयूष अन्य सह अभियुक्तों के सम्पर्क में बना हुआ था जिनकी लोकेशन भी लगातार वराण्डा रेस्टोरेंट के ईद-गिर्द बनी हुई थी। डिनर के उपरान्त अभियुक्त पीयूष मृतका को लेकर जब रेस्टोरेंट से बाहर निकला तथा गाड़ी में बिठाकर थोड़ा चलने के उपरान्त अभियुक्त पीयूष ने अपनी होण्डा एकॉर्ड कार और मृतका ज्योति को अभियुक्तगण अवधेश आदि को हत्या कराने के उद्देश्य से हस्तगत कर दिया। अभियुक्त अवधेश ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा जब कि अभियुक्त रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया तथा सोनू कश्यप पीछे की सीट पर बैठ गये तथा अभियुक्त आशीष उक्त कार के पीछे मोटर साईकिल से चलने लगा। अभियुक्त रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया तथा अभियुक्त सोनू कश्यप ने मृतका को आगे की सीट से खींचकर चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी तथा योजना के अनुसार मृतका के जेवरात भी ले लिए। अभियुक्त आशीष, जो मोटर साईकिल से कार के पीछे-पीछे चल रहा था, कार की रफ्तार तेज होने के कारण पीछे छूट गया। अभियुक्त रेनू/सोनू ने कथित घटना स्थल पर पहुँचकर आशीष को, जो पीछे छूट गया था, को बुला लिया। पनकी रोड पर ग्रीन बेल्ट के पास अभियुक्तगण अवधेश, रेनू व सोनू ने होण्डा एकॉर्ड

कार तथा मृतका के शव को छोड़ दिया तथा कार को लॉक करके अभियुक्तगण द्वारा कार की चाबी, आलाकत्तल चाकू व खून से सना हुआ सफेद काला चेकदार रूमाल को वही झाड़ियों में फेंक दिया और मृतका से लिये गये जेवरात को वहीं खाली पोल में छिपा दिया गया। वहाँ से अवधेश पैदल चला गया जब कि अभियुक्त रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया तथा सोनू कश्यप अभियुक्त आशीष कश्यप के साथ उसकी मोटर साईकिल से चले गये। विवेचना के ही क्रम में अभियुक्त आशीष कश्यप की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल यू पी 78 बी वाई 4588 को बरामद किया गया जो रिलायण्ट कोचिंग इंस्ट्रीट्यूट के पास बरामद हुई। उक्त फर्द बरामदगी शामिल पत्रावली है। अभियुक्त अवधेश, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया एवं अभियुक्त सोनू कश्यप से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड लिये जाने पर अभियुक्तगण की निशांदेही पर घटना में लिये गये जेवरात तथा होण्डा एकार्ड कार की चाबी, रक्त रंजित रूमाल आदि की बरामदगी करायी गयी, जिसकी फर्द बरामदगी शामिल पत्रावली है। विवेचना के क्रम में विवेचकगण द्वारा वराण्डा रेस्टोरेंट में अभियुक्त पीयूष का मृतका ज्योति के साथ जाना, वहाँ डिनर करने की सी.सी.टी.वी. फुटेज, विजिटर बुक को साक्ष्य में लिया गया। साथ ही साथ कथित घटना के पूर्व रेव मोती मॉल से अभियुक्तगण द्वारा क्रय किये गये चाकू के सम्बन्ध में भी सी.सी.टी.वी. फुटेज तथा विक्रय की डिटेल्स लिये गये। घटना में प्रयुक्त मोबाइलों के सन्दर्भ में विस्तृत विवेचना की गयी। अभियुक्तगण पीयूष व मनीषा द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन के सिम कॉर्ड को नष्ट कर दिया गया था। अतः उनसे बरामद मोबाइल फोनों की आई.एम.ई.आई नम्बरों के आधार पर कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी लिये गये। साथ ही साथ फर्जी नामों से प्रयोग किये जा रहे शेष अभियुक्तगण के मोबाइल नंबरों की भी जांच की गयी तथा उनका भी काल डिटेल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में संकलित किया गया तथा कॉल डिटेल रिकॉर्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित दूरसंचार कम्पनियों के अधिकारियों से सम्पर्क कर कॉल डिटेल रिकॉर्ड एवं अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख भी संकलित किये गये। पीयूष के घर वाले पिता ओम प्रकाश श्यामदसानी, कमलेश श्यामदसानी, मुकेश श्यामदसानी तथा माता पूनम श्यामदसानी के सम्बन्ध में भी यह साक्ष्य आया कि उनके द्वारा जानबूझकर सत्य सूचना सम्बन्धित पुलिस थाना को नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में विवेचक द्वारा घटना स्थल, बरामदगी स्थल आदि का मौका मुआयना कर नक्शा-नजरी भी तैयार किया गया। सम्बन्धित पुलिस विवेचक द्वारा अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा

364 / 302 / 201 / 203 / 120बी / 34 भा०दं०सं०, अभियुक्ता मनीषा मखीजा के विरुद्ध धारा 302 / 201 / 120बी भा०दं०सं०, अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी, सोनू कश्यप व रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 364 / 302 / 201 / 120बी / 404 / 34 भा०दं०सं० व अभियुक्त आशीष कश्यप के विरुद्ध धारा 364 / 302 / 201 / 120बी / 34 भा०दं०सं० तथा अभियुक्त मुकेश श्यामदसानी, कमलेश श्यामदसानी, ओम प्रकाश श्यामदसानी एवं श्रीमती पूनम श्यामदसानी के विरुद्ध धारा 202 भा०दं०सं० में विवेचक राजीव द्विवेदी द्वारा आरोप—पत्र प्रेषित किया गया। उपरोक्त आरोप—पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी।

6. विवेचना के अनुक्रम में दिनांक 05.08.2014 को बहवाले रपट संख्या—22 समय 10.30 बजे रोजनामचा आम पर तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवकुमार सिंह राठौर मय हमराहीयान पुलिस बल के मय अभियुक्तगण रेनू सोनू एवं आशीष को साथ लेकर अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर बाउम्मीद बरामदगी आला कत्ल चाकू एवं मोटर साइकिल, जो आशीष के द्वारा घटना के समय प्रयोग की गयी है, को बरामद कराने के लिये कहा, जिस पर विश्वास करके उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को साथ लेकर कम्पनी बाग रावतपुर कल्यानपुर होते हुए कल्यानपुर पनकी रोड पर आए और लोधेश्वर मन्दिर से पहले गाड़ी रेनू व सोनू ने रोकने को कहा और बताया कि साहब मैं व सोनू ने ज्योति की हत्या करने के बाद मैंने बायीं तरफ झाड़ी में चाकू फेंका था। रेनू व सोनू ने गाड़ी रुकवायी और दोनों अभियुक्तों को गाड़ी से नीचे उतारा, जो पुलिस बल की निगरानी में चले। अभियुक्त आशीष को थानाध्यक्ष काकादेव मय हमराही फोर्स के साथ वहीं गाड़ी पर निगरानी हेतु रोका। रेनू व सोनू के साथ राय मशविरा करके सड़क के किनारे खड़ी झाड़ी में तलाश किया, तो एक झाड़ी के झुण्ड के बीच मैं पड़े चाकू को रेनू व सोनू ने देखकर एक साथ सामूहिक रूप से बताया कि यह वही चाकू है, जिससे हम दोनों ने बारी—बारी से वार करके ज्योति की हत्या की थी। चाकू को रेनू ने अपने हाथ में उठाकर विवेचक को समय करीब 17.04 बजे यह कहते हुए दिया कि यह वही चाकू है, जिसे हमने ज्योति की हत्या के बाद यहां फेंका था। मौके पर जरिए मोबाइल फोन फील्ड यूनिट प्रभारी को बुलाया। फील्ड यूनिट प्रभारी श्री पी०के० श्रीवास्तव वैज्ञानिक सहायक मय टीम के बताए हुए स्थान पर आए और चाकुओं में लगे अंगुष्ठ छाप को लेना चाहा, तो बताया कि पानी गिरने से अंगुष्ठ छाप मिट गया है और मिल नहीं पा रहा है। बरामद चाकू को कब्जा पुलिस में सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर

तैयार किया गया। यह कार्यवाही जनता के साथ मौजूद स्वतन्त्र साक्षियों की मौजूदगी में की गयी तथा वीडियोग्राफी भी करायी गयी। फर्द मौके पर उपनिरीक्षक बृजेश कुमार शुक्ल, थाना—मूलगंज को बोल—बोलकर लिखवायी गयी। फर्द को गवाहान को पढ़वाकर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाए गए। माल व अभियुक्तगण को थाने में दाखिल कर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

7. उक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श क—171 के आधार पर थाना—स्वरूप नगर, कानपुर—नगर में अभियुक्तगण रेनू एवं सोनू के विरुद्ध मु0अ0सं0—155/2014, धारा—4/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा—4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

8. उभयपक्षों की बहस सुनने के उपरान्त सत्र परीक्षण सं0—36/2015 की पत्रावली में दिनांक 04.08.2015 को अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के विरुद्ध धारा—364/34, 302/34, 201/34, 120बी एवं 203 भा0द0सं0 के अन्तर्गत, अभियुक्ता मनीषा मखीजा के विरुद्ध धारा—302/120बी, 201/120बी, 120बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत, अभियुक्त आशीष कश्यप के विरुद्ध धारा—364/34, 302/34, 201, 120बी भा0द0सं0, अभियुक्तगण मुकेश श्यामदसानी, कमलेश श्यामदसानी, ओमप्रकाश श्यामदसानी एवं श्रीमती पूनम श्यामदसानी के विरुद्ध धारा—202 भा0द0सं0 के अन्तर्गत एवं अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया व सोनू कश्यप के विरुद्ध धारा—364/34, 302, 201, 120बी एवं 404 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप लगाए गए तथा सत्र परीक्षण सं0—37/2015 की पत्रावली में दिनांक 04.08.2015 अभियुक्तगण रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया तथा सोनू कश्यप के विरुद्ध धारा—4/25 आयुध अधिनियम का आरोप लगाया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण किये जाने की मांग की।

9. दौरान विचारण अभियुक्त ओमप्रकाश श्यामदसानी की मृत्यु दिनांक 28.10.2018 को हो जाने के कारण उसके विरुद्ध उक्त वाद की कार्यवाही न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.05.2019 के द्वारा उपशमित (Abate) की गयी।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0—1 राजेश उर्फ राजा नागदेव, पी0डब्लू0—2 विशेष नागदेव, पी0डब्लू0—3 श्रीमती माया देवी उर्फ

कंचन नागदेव, पी0डब्लू0-4 हितेश नागदेव, पी0डब्लू0-5 त्रिवेणी शंकर दीक्षित, पी0डब्लू0-6 शंकर नागदेव, पी0डब्लू0-7 मोनिका आसुदानी, पी0डब्लू0-8 संजय खान, पी0डब्लू0-9 कां0 महेश चन्द्र दुबे, पी0डब्लू0-10 कां0 श्री नारायण, पी0डब्लू0-11 उपनिरीक्षक भोलेन्द्र चतुर्वेदी, पी0डब्लू0-12 उपनिरीक्षक राजेश कुमार शुक्ला, पी0डब्लू0-13 निरीक्षक श्रीमती पूनम अवस्थी, पी0डब्लू0-14 अभिनव पोद्दार, पी0डब्लू0-15 उपनिरीक्षक हरिशंकर मिश्रा, पी0डब्लू0-16 उपनिरीक्षक जितेन्द्र मोहन सिंह, पी0डब्लू0-17 शुभम पोद्दार, पी0डब्लू0-18 उपनिरीक्षक अखिलेश कुमार गौड़, पी0डब्लू0-19 डा0 राजेश कुमार अग्रवाल, पी0डब्लू0-20 अरविन्द श्रीवास्तव नोडल आफीसर टाटा टेलीकाम सर्विस लिमिटेड, पी0डब्लू0-21 राजीव सिंह सेंगर, पी0डब्लू0-22 कौशिक घोषाल, पी0डब्लू0-23 शशि भूषण मिश्रा, पी0डब्लू0-24 डा0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, पी0डब्लू0-25 विनोद कुमार, ज्येष्ठ वैज्ञानिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ, पी0डब्लू0-26 धर्मप्रकाश शुक्ला, पी0डब्लू0-27 गोपीचन्द्र यादव, पी0डब्लू0-28 अमित कुमार शर्मा, नोडल आफीसर रिलायन्स कम्युनिकेशन लिंग, पी0डब्लू0-29 उपनिरीक्षक कूलभूषण सिंह, पी0डब्लू0-30 निरीक्षक राजीव द्विवेदी, पी0डब्लू0-31 उपनिरीक्षक रीना गौतम, पी0डब्लू0-32 कां0 5039 करन कुमार सिंह, पी0डब्लू0-33 सागर रत्नानी, पी0डब्लू0-34 शिव कुमार सिंह राठौर प्रभारी निरीक्षक, पी0डब्लू0-35 है0कां0 902 ओमप्रकाश, पी0डब्लू0-36 है0कां0 223 बृजकिशोर दीक्षित, पी0डब्लू0-37 रामप्रकाश प्रभारी निरीक्षक एवं न्यायालय साक्षी सी0डब्लू0-1 मधु वलुसू व सी0डब्लू0-2 है0कां0 95 तेज बहादुर सिंह को परीक्षित कराया गया है।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य में फर्द शिनाख्त माल प्रदर्श क-1, फर्द बाबत् कब्जा लेने प्रोजेक्ट फाईल दो अदद प्रदर्श क-2, फर्द तलाशी मृतका ज्योति के बेडरूम एवं अलमारी प्रदर्श क-3, लिफाफा प्रदर्श क-4, बयान शंकर नामदेव अन्तर्गत धारा-164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क-5, चिक एफ0आई0आर0 मु0अ0सं0-151 / 2014 प्रदर्श क-6, जी0डी0 की छाया प्रति प्रदर्श क-7, जी0डी0 की छाया प्रति प्रदर्श क-8, मोटरसाइकिल नं0 यू0पी0-78-बी0वाई0-4588 की फर्द बरामदगी प्रदर्श क-9 तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-10, प्रमाण-पत्र प्रदर्श क-11, कार के फोटोग्राफ्स प्रदर्श क-12 लगायत प्रदर्श क-23, फर्द बाबत् कब्जा लेने विजिटर बुक वराण्डा रेस्टोरेन्ट प्रदर्श क-24, रेस्टोरेन्ट के बिल की छाया प्रति प्रदर्श

क—25, प्रमाण—पत्र प्रदर्श क—26, फर्द बाबत् कब्जा लेने एक अदद हार्ड डिस्क सी0सी0टी0वी0 कैमरा प्रदर्श क—27, फर्द बाबत् तलाशी डायरी मृतका ज्योति प्रदर्श क—28, फर्द बाबत् एक अदद हार्ड डिस्क सी0सी0टी0वी0 कैमरा रेव मोती बिग बाजार प्रदर्श क—29, बिग बाजार का बिल प्रदर्श क—30, दिनांक 21.07.2014 को खरीदे गये चाकू का बिल प्रदर्श क—32, दिनांक 13.07.2014 को खरीदे गये चाकू का बिल प्रदर्श क—33, दिनांक 13.07.2014 की चाकू खरीद का सर्च प्रदर्श क—33, बिग बाजार आई0टी0 टीम द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्रदर्श क—34, दिनांक 01.08.2014 को कब्जे में ली गयी मृतका ज्योति की दो अदद डायरी की फर्द प्रदर्श क—35, फर्द बाबत् कब्जा लेने एक अदद मोबाइल नं0—8858758057 मय सिम प्रदर्श क—36, अभियुक्त पीयूष श्याम दसानी द्वारा थानाध्यक्ष स्वरूप नगर, कानपुर—नगर को दी गयी तहरीर प्रदर्श क—37, मृतका ज्योति के शरीर के जेवर की बरामदगी की फर्द प्रदर्श क—38, मनीषा के बेडरूम आदि की तलाशी से सम्बन्धित फर्द प्रदर्श क—39, नवशा नजरी मु0अ0स0—151 / 2014 प्रदर्श क—40, पंचायतनामा मृतका ज्योति प्रदर्श क—41, पत्र सी0एम0ओ0 प्रदर्श क—42, नमूना सील प्रदर्श क—43, फोटो लाश प्रदर्श क—44, चालान शव प्रदर्श क—45, फर्द लेने बाबत् कब्जा पुलिस सी0सी0टी0वी0 फुटेज होटल वराण्डा प्रदर्श क—46, विजिटर बुक की छाया प्रति प्रदर्श क—47, मृतका ज्योति के मोबाइल की काल डिटेल प्रदर्श क—48, पीयूष की काल डिटेल प्रदर्श क—49, संदिग्ध नम्बरों का आपस में परस्पर सम्पर्क का मानचित्र प्रदर्श क—50, दिनांक 01.08.2014 को अभियुक्ता मनीषा के दो अदद मोबाइल की फर्द बरामदगी प्रदर्श क—51, अभियुक्तों के मोबाइल नंबरों का विश्लेषण चार्ट प्रदर्श क—52 व प्रदर्श क—53, मोबाइल नम्बरों के चार्ट प्रदर्श क—54 व प्रदर्श क—55, अभियुक्तों के मध्य विभिन्न नंबरों से आपस में परस्पर बातचीत का रेखा चित्र फोटो लगा चार्ट प्रदर्श क—56, अभियुक्तों के बीच विभिन्न नम्बरों से आपस में की गयी परस्पर वार्ता का एक विश्लेषण चार्ट प्रदर्श क—57 व प्रदर्श क—58, स्वाती पारले बिस्कुट फैक्ट्री दादानगर की तलाशी की फर्द प्रदर्श क—59, विभिन्न दूरसंचार कंपनियों को भेजे गये पत्र प्रदर्श क—60 लगायत प्रदर्श क—66, घटना के बाद परिवारीजनों की आपस में हुयी वार्ता का चार्ट प्रदर्श क—67, प्रमाण—पत्र प्रदर्श क—68 व प्रदर्श क—69, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका ज्योति प्रदर्श क—70, टाटा टेलीकाम सर्विसेस लि�0 द्वारा दिनांक 07.08.2014 का कवरिंग लेटर प्रदर्श क—71, सी0डी0आर0 कागज सं0—1922 लगायत 2315 प्रदर्श क—72, धारा—65बी साक्ष्य अधिनियम के तहत अपेक्षित प्रमाण—पत्र मूल प्रदर्श

क—73, पुलिस अधीक्षक पूर्वी को भेजे गये पत्र प्रदर्श क—74, अभियुक्ता मनीषा मखीजा से सम्बन्धित फार्म प्रदर्श क—75, काल डिटेल प्रदर्श क—76, मोबाइल नं0—9651886868 जो सायरा बानो के नाम है, से सम्बन्धित प्रपत्र कागज सं0—1717 व 1718 प्रदर्श क—77, सी0डी0आर0 प्रदर्श क—78, मोबाइल नं0—8127986342 जो अनिल कुमार के नाम है, से सम्बन्धित प्रपत्र कागज सं0—1719 व 1720 प्रदर्श क—79, सी0डी0आर0 प्रदर्श क—80, मोबाइल नं0—8853902938 जो मुन्नी देवी के नाम है, से सम्बन्धित प्रपत्र कागज सं0—1799 व 1800 प्रदर्श क—81, सी0डी0आर0 प्रदर्श क—82, मोबाइल नं0—9956353535 से सम्बन्धित प्रपत्र कागज संख्या—1368 लगायत प्रदर्श क—83, सी0डी0आर0 प्रदर्श क—84, उक्त पांचों मोबाइल नंबरों 9956353535, 9651886868, 7897139393, 8127986342 व 8853902938 से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र अन्तर्गत धारा—65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श क—85, मोबाइल नंबर—9839037272, 9838868686, 9838202354, 9839031010 के दिनांक 27.07.2014 से 28.07.2014 तक के काल डिटेल कागज सं0—81क/28 है प्रदर्श क—86, काल डिटेल का प्रमाण—पत्र कागज सं0—81क/34 प्रदर्श क—87, मो0नं0—9839037272 का काल डिटेल कागज सं0—81क/35 व 36 प्रदर्श क—88, मोबाइल नं0—9838868686 की काल डिटेल कागज सं0—81क/29 प्रदर्श क—89, मोबाइल नं0—9838202354 की काल डिटेल कागज सं0—81क/30 व 31 प्रदर्श क—90, मोबाइल नं0—9839031010 की काल डिटेल कागज सं0—81क/32 व 33 प्रदर्श क—91, मो0नं0—9839037272 के सी0ए0एफ0 की प्रति प्रदर्श क—92, मो0नं0—9838868686 के सी0ए0एफ0 की प्रति प्रदर्श क—93, मो0नं0—9838202354 के सी0ए0एफ0 की प्रति प्रदर्श क—94, मो0नं0—9839031010 के सी0ए0एफ0 की प्रति प्रदर्श क—95, दिनांक 13.08.2014 को विवेचक को भेजे गये पत्र कागज सं0—1801 प्रदर्श क—96, कागज सं0—1802 प्रदर्श क—97, कागज सं0—1803 व 1804 को प्रदर्श क—98, अभियुक्ता मनीषा मखीजा से सम्बन्धित प्रपत्र कागज सं0—1805—1806 संयुक्त रूप में प्रदर्श क—99, धारा—65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र दिनांकित 13.08.2014 कागज सं0—1824 को प्रदर्श क—100, कागज सं0—1807 प्रदर्श क—101, कागज सं0—1808 लगायत 1823 संयुक्त रूप से प्रदर्श क—102, कागज सं0—1786 लगायत 1798 प्रदर्श क—103 लगायत प्रदर्श क—115, कागज सं0—1825 लगायत 1827 प्रदर्श क—116 लगायत प्रदर्श क—118, नाजिर कलेक्ट्रेट, कानपुर—नगर की रिपोर्ट

कागज सं0—554 प्रदर्श क—119, अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी की दोनों फैकट्री में तलाशी की फर्द कमशः कागज सं0—628 एवं 629 प्रदर्श क—120 व प्रदर्श क—121, दिनांक 11.08.2014 को अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, आशीष कश्यप, सोनू तथा रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया के घर की तलाशी की फर्द प्रदर्श क—122 लगायत 125, चाकू की फर्द चालान प्रदर्श क—126, सम्बन्धित घटनास्थल के निरीक्षण की रिपोर्ट कागज सं0—724 प्रदर्श क—127, चाकू से सम्बन्धित रिपोर्ट कागज सं0—725 प्रदर्श क—128, धारा—65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र प्रदर्श क—129, फर्द चालान प्रदर्श क—130, सम्बन्धित घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क—131, प्रमाण—पत्र अन्तर्गत धारा—65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श क—132, मो0नं0—8687145104 और 8687580730 से सम्बन्धित काल डिटेल्स दिनांक 01.01.2014 से 28.07.2014 से सम्बन्धित काल डिटेल रिपोर्ट आदि प्रपत्र कागज सं0—1832 लगायत 1840 प्रदर्श क—133/1 लगायत प्रदर्श क—133/9, प्रपत्र कागज सं0—1909 प्रदर्श क—134, अभियुक्त अखिलेश कुमार से सम्बन्धित प्रपत्र कागज सं0—1829 प्रदर्श क—135, सर्वेश कुमार से सम्बन्धित प्रपत्र कागज सं0—1830 प्रदर्श क—136 व प्रदर्श क—137, धारा—65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र प्रदर्श क—138 व प्रदर्श क—139, सी0डब्लू0—1 मधु वलुसू द्वारा विवेचक अखिलेश कुमार गौर, विवेचक, काइम ब्रांच को दिया गया पेपर सं0—1828 प्रदर्श क—140, कागज संख्या 771 काल डिटेल प्रदर्श क—141, कागज सं0—1910 प्रदर्श क—142, प्रीपेड कस्टमर इंगेजमेंट फार्म प्रदर्श क—145, सोनू शाक्य के लाइसेन्स की छाया प्रति प्रदर्श क—146, प्रपत्र कागज सं0—417ग/1 लगायत 417ग/66 प्रदर्श क—147, प्रमाण—पत्र अन्तर्गत धारा—65बी साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श क—148, प्रपत्र कागज सं0—771 प्रदर्श क—149, अभियुक्तों द्वारा दिनांक 27/28.07.2014 को आपस में की गयी वार्ता का विवरण प्रदर्श क—151, दिनांक 27/28.07.2014 को सभी अभियुक्तों का लोकेशन चार्ट प्रदर्श क—152/1, दिनांक 20.07.2014 को सभी अभियुक्तों का लोकेशन चार्ट प्रदर्श क—152/2, दिनांक 13/14.07.2014 को सभी अभियुक्तों का लोकेशन चार्ट प्रदर्श क—152/3, आरोप पत्र अन्तर्गत धारा—364, 302, 201, 120बी, 404, 34, 203, 202 भा0द0सं0 प्रदर्श क—153, आरोप पत्र अन्तर्गत धारा—173 सीआर—पी.सी. प्रदर्श क—153ए, फर्द बाबत् कब्जा लेने कपड़े अभियुक्त सोनू एवं रेनू प्रदर्श क—154, बयान अन्तर्गत धारा—164 द0प्र0सं0 सागर रत्नानी प्रदर्श क—155, रिपोर्ट थाना—स्वरूप नगर प्रदर्श क—155, अभियुक्त ओम प्रकाश के मृत्यु प्रमाण—पत्र की छाया प्रति

प्रदर्श क-156, नक्शा नजरी मु0अ0सं0-151/2014 प्रदर्श क-156, शव के बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-157, रिकन्स्ट्रक्शन सीन ऑफ काइम कार में शव के बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-158, रिकन्स्ट्रक्शन सीन ऑफ काइम का नक्शा नजरी प्रदर्श क-159 लगायत प्रदर्श क-164, अभियुक्त पीयूष की शर्ट को कब्जा पुलिस लेने की फर्द प्रदर्श क-165, अभियुक्त मनीषा मखीजा के मकान से सम्बन्धित तलाशी की फर्द प्रदर्श क-166, सील सर्वमोहर माल मुकदमाती तीन अदद मोबाइल की फर्द प्रदर्श क-167, सील सर्वमोहर माल मुकदमाती एक अदद मोबाइल फोन ब्लैकबेरी की फर्द प्रदर्श क-168, फर्द कब्जा पुलिस लेने एक अदद मोबाइल एप्पल आई फोन गोल्डन कलर प्रदर्श क-169, फर्द तलाशी प्रदर्श क-170, फर्द बरामदगी आला कत्तल एक अदद चाकू प्रदर्श क-171, चिक एफ0आई0आर0 सम्बन्धित मु0अ0सं0-155/2014, धारा-4/25 आयुध अधिनियम प्रदर्श क-172, जी0डी0 की छाया प्रति प्रदर्श क-173, नक्शा नजरी सम्बन्धित मु0अ0सं0-155/2014, धारा-4/25 आयुध अधिनियम प्रदर्श क-174 तथा आरोप पत्र सम्बन्धित मु0अ0सं0-155/2014, धारा-4/25 आयुध अधिनियम प्रदर्श क-175 प्रस्तुत किए गए हैं।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी और कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

13. अभियोजनपक्ष की साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने कथित घटना से इन्कार करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, गवाहान ने उनके विरुद्ध गलत एवं झूठी गवाही दी है, सभी कागजात फर्जी व गलत तैयार किये गये हैं, सारी कार्यवाहियाँ फर्जी की गयी हैं, फर्जी बरामदगी की गयी है, सही परीक्षण नहीं किया गया, सारे कागजात बाद में थाने पर तैयार किये गये, सारी सूचनायें गलत दी गयी हैं, नक्शा नजरी गलत तैयार किया गया तथा विवेचक द्वारा गलत विवेचना कर झूठा आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

14. अभियुक्तगण की ओर से बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 के अतिरिक्त अभियुक्तगण पीयूष श्यामदसानी, सोनू कश्यप, अवधेश चतुर्वेदी, मुकेश श्यामदसानी, कमलेश कुमार श्यामदसानी श्रीमती पूनम श्यामदसानी एवं मनीषा मखीजा ने लिखित बयान अन्तर्गत धारा-313(5) दं0प्र0सं0 भी दाखिल

किया है, जिसका उल्लेख साक्ष्य के विश्लेषण के समय यथास्थान किया जाएगा।

15. अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में मौखिक साक्ष्य के रूप में डी0डब्लू0-1 अजीत कश्यप, डी0डब्लू0-2 सूरज कश्यप, डी0डब्लू0-3 मुकेश श्यामदसानी एवं डी0डब्लू0-4 डा० एस०के० जुनेजा तथा डी0डब्लू0-5 के रूप में शवाब हैदर कनिष्ठ सहायक, जिला कारागार को परीक्षित कराया गया है।

16. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूपेण अवलोकन एवं परिशीलन किया।

17. पी0डब्लू0-1 राजेश उर्फ राजा नागदेव ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि मृतका ज्योति श्यामदसानी उसकी सगी भतीजी थी, उसका घर का नाम पूजा था। वह पीयूष श्यामदसानी के पिता ओम प्रकाश, माता पूनम, भाई मुकेश व चाचा कमलेश को जानता है, जो सभी एक ही घर में रहते हैं। ज्योति का विवाह कानपुर में दिनांक 28.11.2012 को पीयूष श्यामदसानी के साथ हुआ था। ज्योति की मृत्यु की सूचना दिनांक 27 / 28 की रात तीन सवा तीन बजे मिली थी। मृत्यु की सूचना मिलने से पूर्व रात सवा दो बजे उसके बड़े भतीजे विशेष ने मोबाइल पर फोन कर बताया कि उसके पापा शंकर नागदेव का फोन आया है और उन्हें कानपुर से यह खबर लगी है कि पूजा उर्फ ज्योति तथा पीयूष का अपहरण हो गया है। यह खबर उन्हें चुन्नीलाल द्वारा मिली थी। इस खबर के बाद वह सगे भतीजे विशेष नागदेव के साथ बड़े भाई शंकर नागदेव के पास पहुंचा। उसके कहने पर उसके भाई ने चुन्नीलाल, जो उनके समधी हैं, को फोन लगाया। चुन्नीलाल को फोन करने पर उन्होंने बताया कि पीयूष की हत्या हो गयी है तथा पूजा उर्फ ज्योति सीरियस है तथा आई0सी0य० में भर्ती है। चुन्नीलाल को पुनः फोन किया तो ओमप्रकाश ने उठाया। इस बार उन्होंने बताया कि ज्योति की हत्या हो गयी है और पीयूष सीरियस है। वे लोग तुरन्त कानपुर के लिये निकल पड़े। वे लोग कानपुर स्टेशन आकर सीधे ओमप्रकाश के घर पाण्डुनगर पहुँचे। वहाँ पर लड़की की शव यात्रा की पूरी तैयारी करके रखी गयी थी। अन्तिम संस्कार के पश्चात् पीयूष से मिले तो उसने बताया कि वह दोनों लोग लांग झाइव पर जा रहे थे, 3-4 मोटरसाइकिल पर 7-8 लोग आये तथा गाली देते हुए कोई नुकीली चीज उसके हाथ पर मार दी तथा उसे गाड़ी से उतारकर ज्योति को लेकर फरार हो गये। उसने चोट दिखाने

को कहा तो कोई चोट नहीं दिखी। उसने पीयूष से कहा कि तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने पूछा कि तुम्हारी पत्नी को ले जा रहे थे तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया तो वह चुप रहा। घटना से करीब 15 दिन पहले भाई साहब ने बताया था कि पीयूष बहुत बिगड़ैल किस्म का लड़का है तथा पीयूष के बगल में रहने वाली गुटखा की लड़की से अफेयर है, उस लड़की का नाम मनीषा है। पीयूष रात में 12—1 बजे चला जाता है और सुबह 4—5 बजे लौटता है। पूजा बहुत परेशानी में है तथा इसका कोई हल निकालना है। घटना के 3—4 दिन पूर्व उसकी पत्नी से पूजा की फोन पर बात हो रही थी तो उसने फोन लेकर पूजा से बातचीत की तो उसने बताया कि स्थिति बिगड़ गयी है। आज पीयूष के फोन पर मनीषा का फोन आया था तो उसने उठा लिया तो मनीषा, पीयूष समझकर कह रही थी कि जल्दी काम कराओ, मनीषा ने कहा कि लड़के वाले आने वाले हैं उसका रिश्ता कहीं तय हो रहा है। फोन पर वार्ता से उन लोगों को यह स्पष्ट हो गया कि पीयूष ने मनीषा के कारण साजिश रचकर पूजा उर्फ ज्योति की हत्या करवा दी।

18. पी0डब्लू0—2 विशेष नागदेव ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि उसकी बहन ज्योति श्यामदसानी थी। विवाह के पूर्व उसका नाम पूजा था। उसकी शादी पीयूष श्यामदसानी से दिनांक 28 नवम्बर 2012 को हुयी थी। घटना के करीब 12—13 दिन पहले उसके पिता शंकर नागदेव ने उसे व चाचा राजा नागदेव को बताया था कि पूजा का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है। पीयूष व उसके बीच काफी प्राबलम्स चल रही हैं। शादी के बाद से ही पूजा व पीयूष के सम्बन्ध ठीक नहीं हैं, वहाँ उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया जा रहा है। पिता शंकर नागदेव ने यह भी बताया कि पीयूष बहुत ही बिगड़ैल किस्म का लड़का है एवं उसका पड़ोस में रहने वाली लड़की मनीषा से अफेयर चल रहा है। ज्योति ने फोन पर बताया था कि यहाँ बहुत प्राबलम चल रही है तथा बताया कि पीयूष का पड़ोस में रहने वाली मनीषा नाम की लड़की से अफेयर चल रहा है। दिनांक 27.07.2014 को शाम के समय लैण्डलाइन पर बहन पूजा उर्फ ज्योति का फोन आया। जैसे ही उसने फोन उठाया तो ज्योति ने घबराई हुयी आवाज में कहा कि मम्मी को जल्दी फोन दो। उसने पूजा से पूछा कि क्या हो गया है तो उसने बताया कि यहाँ समस्या कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसने ज्योति से कहा कि तुम भी अपने स्तर से समस्या खत्म करने की कोशिश करो तो उसने बताया कि आज उससे पीयूष ने कहा है कि आज

रात डिनर करने रेस्ट्रा जायेगें, वहाँ पर इस प्राबलम पर डिटेल में डिस्कस करेंगे व प्राबलम को शाटआउट कर इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसी दिन रात्रि करीब 2.15 बजे उसके पिताजी का फोन आया एवं एबराई हुयी आवाज में उन्होंने उसे व उसके चाचा राजा नागदेव को तत्काल घर आने को कहा। वह घबरा गया तथा पूछने पर उन्होंने बताया कि कानपुर में पीयूष एवम् ज्योति का किडनैप हो गया है। उसने तुरन्त अपने चाचा राजा नागदेव को सूचना दी और वह तथा उसके चाचा पिताजी के घर पहुँचे। पिताजी ने सूचना दी कि पीयूष का मर्डर हो गया है और उसकी डेडबाड़ी मिल गयी है व पूजा उर्फ ज्योति बहुत सीरियस हालत में अस्पताल में भर्ती है। उसके पापा व चाचा ने चुन्नीलाल को कानपुर में फोन किया तो उनसे फिर जानकारी मिली कि पीयूष का मर्डर हो गया है और उसकी डेडबाड़ी मिल गयी है। ज्योति की हालत बहुत नाजुक है तथा अस्पताल में है। कुछ मिनट बाद उसके पिताजी एवं चाचा ने कानपुर में चुन्नीलाल को फोन लगाया, तब उन्होंने जानकारी दी कि मर्डर ज्योति का हुआ है और ज्योति की डेडबाड़ी मिली है एवं पीयूष बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में आई०सी०य० में भर्ती है। उन्होंने चुन्नीलाल से पूछा कि आप बार-बार झूठ क्यों बोल रहे हैं। कुछ मिनट बाद उसके पिताजी व चाचा राजा नागदेव को कानपुर से ओमप्रकाश श्यामदसानी ने बताया कि ज्योति की हत्या हो गयी है एवं उसकी डेडबाड़ी मिल चुकी है तथा पीयूष बहुत ही गंभीर रूप से घायल है तथा अस्पताल में आई०सी०य० में भर्ती है। इसके बाद पीयूष के परिवार के लोगों द्वारा गुमराह किये जाने एवं दो तरह की अलग-अलग बातें बताने पर पूजा उर्फ ज्योति की पीयूष के साथ प्राबलम्स को जानते हुए उन सभी का सन्देह और बढ़ गया। उसके पिता व चाचा ने तत्काल कानपुर जाने का निर्णय लिया, फिर उसने अपने चाचा व पिताजी को कानपुर जाने वाली किसी ट्रेन में बिठाया और वापस घर आ गया।

19. पी०डब्लू०-३ श्रीमती माया देवी उर्फ कंचन नागदेव ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि उसकी बेटी का नाम शादी से पूर्व पूजा था और शादी के बाद ज्योति हो गया। पूजा उर्फ ज्योति की शादी कानपुर में ओमप्रकाश के बेटे पीयूष के साथ 28.11.2012 हो हुई थी। शादी के दो-तीन माह बाद बेटी फरवरी में ससुराल से मायके आयी थी तथा दोबारा अगस्त-2013 में आयी थी। जब बेटी दोनों बार मायके आयी तो बेटी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह उदास और परेशान थी। पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी प्राबलम खुद ही साल्व कर लेगी। वही अपनी

प्राबलम के बारे में खुलकर नहीं बताती थी, मायूस रहती थी। उसने बताया था कि पीयूष बाथरूम में भी मोबाइल लिये रहता है, उसमें कोई रुचि नहीं लेता है। पूजा अंतिम बार मायके अप्रैल—2014 में आयी थी और एक माह रुकी थी। पूछने पर कहती थी कि पापा को ब्लडप्रेशर रहता है, वह कुछ नहीं बतायेगी। घटना के 15 दिन पूर्व ज्योति ने टेलीफोन पर बताया कि पानी सर के ऊपर आ गया है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है तथा अब वह सब खुलकर बतायेगी। उसने बताया कि बाजू में रहने वाली गुटखे वाले की बेटी मनीषा से उसका अफेयर है, पीयूष उसी से बातें करता रहता है। उसके पीछे वह पागल हो चुका है। रात को गायब रहता है। उसने कहा कि यह बातें अपने सास, ससुर, जेठ व बड़ी सास को बताओ तो बेटी ने कहा कि सबको बता चुकी हूँ सास—ससुर आदि कहते हैं कि आजकल के जमाने में बच्चे यहीं करते हैं। इसका इश्यू मत बनाओ। उसने बेटी की सास को फोन किया व बताया कि पीयूष मनीषा के पीछे पागल हो चुका है। आप बेटे को समझाओ तो उन्होंने कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया, फिर उसने बेटी की बड़ी सास को फोन किया व उनको पीयूष एवं मनीषा के सम्बन्ध के बारे में बताया तो उन्होंने यह कहकर फोन रख दिया कि समझायेंगे। दिनांक 27 को घटना वाले दिन शाम को ज्योति से टेलीफोन पर बात हुई तो उसने बताया कि पीयूष, मनीषा के पीछे हद से ज्यादा पागल हो गया है, कुछ भी कर सकता है। उसने समझाया कि रक्षाबंधन पर वे लोग आयेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। एक लैण्डलाइन पर फोन आया तो ज्योति घबराई हुयी थी। पूछने पर बेटी ने बताया कि एक—दो दिन पहले पीयूष का फोन उठा लिया, जिस पर मनीषा का फोन आया था। मनीषा कह रही थी कि जल्दी से ज्योति का काम खत्म करा दो। उसे देखने वाले आने वाले हैं उसकी शादी कहीं और करा देंगे। उस दिन दो—तीन बार फोन आया था तथा आखिरी फोन उसके बड़े बेटे विशेष नागदेव ने उठाया था। वे लोग 27 तारीख को रात में सो रहे थे। उसी रात लगभग दो—ढाई बजे अचानक चुन्नीलाल का फोन उसके पति के मोबाइल पर आया, वह बोला कि पीयूष की मृत्यु हो गयी है तथा आपकी बेटी आई०सी०य०० में भर्ती है। फिर थोड़ी देर बाद चुन्नीलाल का फोन आया कि पूजा की मृत्यु हो गयी और पीयूष आई०सी०य०० में भर्ती है। वह गुमराह कर रहे थे। इस सूचना पर वे लोग तुरन्त कानपुर के लिए चल दिये। वह कानपुर में ओमप्रकाश, पीयूष के घर गयी। वहां मृतका थी, लेकिन वे लोग शक्ल नहीं दिखा रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग बेटी की शक्ल नहीं देख पाओगे। बहुत जोर लगाने पर बेटी

की शक्ल देखने को मिली। उसके पति ने पीयूष से कुछ बातें की थीं पर पीयूष सच नहीं बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। उसने अपनी बेटी के कुछ गहनों की शिनाख्त की थी, जो घटना के एक माह बाद की थी। लिखापड़ी मजिस्ट्रेट ने की थी। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उक्त गहनों की फर्द को **प्रदर्श क-1** तथा पीली धातु की अंगूठी वस्तु **प्रदर्श-1**, सफेद धातु की मोती बड़ी अंगूठी वस्तु **प्रदर्श -2**, सफेद धातु की मोती लगी अंगूठी वस्तु **प्रदर्श-3** तथा कान के पीली धातु के दो टाप्स वस्तु **प्रदर्श-4** के रूप में साबित किया है। दो अद्द प्रोजेक्ट फाइल को **प्रदर्श क-2** व मृतका के जबलपुर के बेड रूम से पुलिस ने डायरियां बरामद की थीं, जिसकी फर्द बनायी गयी थी तथा उस पर उसने हस्ताक्षर किया था। इस साक्षी ने उपरोक्त फर्द को **प्रदर्श क-3** तथा डायरी सन् 2014 वस्तु **प्रदर्श-5**, अंग्रेजी में लिखी डायरी वस्तु **प्रदर्श-6**, नमूना लेख बी-1 वस्तु **प्रदर्श-7** व बी-2 वस्तु **प्रदर्श-8** के रूप में साबित किया है।

20. पी0डब्लू0-4 हितेश नागदेव ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि ज्योति उसकी सगी बड़ी बहन थी। उसकी शादी दिनांक 28.11.2012 को हाजिर अदालत पीयूष श्यामदसानी के साथ हुई थी। ज्योति के बारे में हुई घटना के बारे में उसे 27/28 की रात दो-ढाई बजे सूचना मिली थी कि कानपुर में ज्योति के साथ घटना हो गयी है। वह अगले दिन 28 तारीख को कानपुर पहुंचा था। घटना के बारे में दरोगा जी ने बलराम अंकल के घर पूछताछ की थी। दिनांक 23.07.2014 को उसकी आखिरी बात उसके मोबाइल पर लगभग 11 बजे रात ज्योति से हुई थी तो उसने बताया कि आज सच्चाई सामने आ गयी है। उसने बताया कि पीयूष का फोन बज रहा था, उसने पीयूष का फोन उठा लिया। वह फोन मनीषा का था। मनीषा ने जल्दी-जल्दी पीयूष समझकर यह बोला कि ज्योति को जल्दी निपटाओ, उसे देखने वाले आ रहे हैं, उसकी शादी कहीं और हो जायेगी। उसने कहा कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जायेगा। घटना होने के बाद उसने महसूस किया व उसे लगा कि पीयूष ने मनीषा के साथ षड्यन्त्र कर ज्योति की हत्या करायी।

21. पी0डब्लू0-5 त्रिवेणी शंकर दीक्षित ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वह ओमप्रकाश श्यामदसानी के पारिवार को जानता है। उसने उनके पूरे परिवार का हाथ देखा था। उसने उनके परिवार की बहू ज्योति का भी हाथ देखा था। उसने ज्योति व उसके पति की जन्मपत्री देखकर यह कहा था कि इनका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। ज्योति की

सास पूनम ने पीयूष व ज्योति के सम्बन्ध में चर्चा की थी कि दोनों के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं, कैसे ठीक होंगे, जिसका उपाय उसने बता दिया था। जो अंगूठी उसने अभिमंत्रित करके ज्योति को दी थी, उसकी शिनाख्त स्वरूप नगर थाने में मजिस्ट्रेट के समक्ष उससे करायी गयी थी। उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया था। इस साक्षी ने उक्त अंगूठी की फर्द को प्रदर्श क-1 तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं0प्र0सं0 को **प्रदर्श क-4** के रूप में साबित किया है।

22. पी0डब्लू0-6 शंकरलाल नागदेव ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि उसने अपनी बेटी पूजा जिसका नाम विवाह के बाद ससुराल वालों ने ज्योति रखा था, का विवाह पीयूष श्यामदसानी के साथ दिनांक 28.11.2012 को किया था। शादी के बाद बेटी मायके आती थी तो प्रसन्न नहीं रहती थी और कुछ बताया नहीं टाल गयी कि उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था। उसकी पत्नी ने काफी कोशिश कर उससे पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी प्राबलम खुद साल्व कर लेगी। अप्रैल-2014 में वह पुनः जबलपुर तीसरी बार और अंतिम बार आयी। उसकी मां व उसने उससे काफी पूछने का प्रयास किया। काफी बातें वह टाल गयी, किन्तु उसने उसे बताया कि उसका पति पीयूष घण्टों किसी से छुप-छुप कर बात करता है और बाथरूम में मोबाइल लेकर घण्टों बैठा रहता है तथा काफी उसका मोबाइल छू लेती हूँ या सफाई के दौरान हाथ लग जाता है तो वह भड़क जाता है। घटना के 15-20 दिन पूर्व बेटी ने उसकी पत्नी को बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाली गुटखा बनाने वालों की लड़की मनीषा के साथ पीयूष का अत्यधिक अफेयर है, वह इसके चलते उसे बहुत ही प्रताड़ित कर रहा है और बहुत कूर व्यवहार कर रहा है। उसने छोटे भाई राजा उर्फ राजेश व बड़े बेटे विशेष को फोन करके बुलाया तथा सारी बातें बतायीं। बातचीत करने बाद यह तय किया गया कि उसे रक्षाबन्धन पर जबलपुर बुलाकर उसके सामने पूरी बातें समझाकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उपरोक्त घटना के पूर्व उसकी बात पूजा से उसके जीवन में अंतिम बार 26 जुलाई 2014 को रात्रि 10 बजे आसपास हुई थी। वह बहुत घबराई हुयी थी। उसने दूसरे दिन घटना वाले दिन 27 जुलाई 2014 को अपनी बेटी के ससुर एवं पीयूष के पिता ओमप्रकाश को 11-11.30 बजे फोन पर कहा कि आपके बेटे पीयूष का आपके पड़ोस में रहने वाली गुटखा बनाने वाली की लड़की मनीषा के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते वह उसकी बेटी को अत्यन्त प्रताड़ित कर रहा है तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं

होगी। उसे बाद में पता चला कि उन्होंने दिल्ली जाने का फर्जी प्लान बनाया। यह योजना घटना वाली रात बनायी गयी। उसकी बेटी के वैवाहिक जीवन की कठिनाइयों को समझते हुए यह निश्चित हो गया कि ओमप्रकाश, उसकी पत्नी पूनम, भाई मुकेश व कमलेश तथा मनीषा एवं पीयूष ने मिलकर उसकी बेटी की षड्यन्त्र करके हत्या करा दी तथा घटना वाली रात इन सबने मिलकर झूंठी एफ0आई0आर0 लिखाई तथा घटना से एक-डेढ़ घण्टा देर से एफ0आई0आर0 कराई। घटना वाले दिन 27/28 की रात दो-ढाई बजे कमलेश के ससुर ओमप्रकाश के समधी चुन्नीलाल का फोन आया तथा उन्होंने बताया कि कानपुर में घटना हो गयी है। पूछने पर बताया कि पीयूष की मृत्यु हो गयी है और आपकी बेटी बुरी तरह घायल होकर आई0सी0यू0 में है। कुछ समय बाद पुनः फोन पर चुन्नीलाल से उसके भाई राजा और उसने बात की तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी पूजा उर्फ ज्योति की मृत्यु हो गयी है और पीयूष गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद उसने पीयूष के पिता ओमप्रकाश के मोबाइल पर फोन लगाया तो उन्होंने उसे व उसके भाई राजेश उर्फ राजा को बोला कहर टूट पड़ा है। उसकी बहू की हत्या हो गयी है और बेटा गंभीर रूप से घायल होकर इलाज करा रहा है। यह सुनकर उन लोगों ने कानपुर जाने का निर्णय लिया। दिनांक 27/28 जुलाई की भोर में वे लोग कानपुर के लिये चल दिये। जब वे लोग ट्रेन में थे तो उसकी बहन मोनिका आसुदानी का अहमदाबाद से फोन आया तथा उसने बताया कि घटना वाली रात 10-11 बजे के करीब उसकी बेटी पूजा का रेस्टोरेन्ट से फोन आया था तो वह बहुत घबराई हुयी थी तथा जान का खतरा बता रही थी। दिनांक 28 जुलाई को कानपुर में ओमप्रकाश के घर पाण्डुनगर पहुँचे तो ज्योति की शव यात्रा की तैयारी हो रही थी। उसके भाई राजा ने बेटी का चेहरा शव यात्रा से पूर्व दिखाने के लिये कहा तो उनके परिवार वालों ने मना किया। काफी जद्दोजहद के बाद चेहरा दिखाया गया। शवयात्रा में वे लोग शामिल हुये तथा दाह संस्कार के बाद ओमप्रकाश के घर आये और पीयूष से मिलने को कहा तो उन्होंने मना किया। उसने व उसके भाई ने पीयूष से बात की तथा पीयूष से पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि 7-8 बाइक सवार लोगों ने उसे कार से उतार दिया व हाथ में कोई नुकीली चीज मार दी और ज्योति को कार सहित अपहरण करके ले गये। उसने पीयूष से चोट का निशान दिखाने को कहा तो उसने नहीं दिखाया और न कोई चोट का निशान था। उसने पूछा कि तुरन्त पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया, इस पर भी वह चुप रहा। बलराम के घर स्वरूप नगर थाने की पुलिस उन लोगों से

पूछताछ के लिये आयी थी। उसका मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध बयान हुआ था, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर व निशान अंगूठा बनाये थे। इस साक्षी ने उक्त बयान को **प्रदर्श क-5** के रूप में साबित किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मृतका पूजा के आभूषण की शिनाख्त मजिस्ट्रेट के सामने की थी व फर्द प्रदर्श क-1 तैयार की गयी थी। इस साक्षी ने सफेद धातु की अंगूठी वस्तु प्रदर्श-3 आदि को साबित किया है तथा वस्तु प्रदर्श ए-1 वस्तु प्रदर्श-5 डायरी से पेन्सिल से लिखी इबारत को वस्तु प्रदर्श-6 लगायत 8 को साबित किया है।

23. पी0डब्लू0-7 मोनिका आशुदानी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि मृतका पूजा नागदेव की शादी कानपुर निवासी पीयूष श्यामदसानी के साथ हुई थी। शादी के बाद पूजा नागदेव का नाम बदलकर ज्योति श्यामदसानी हो गया था। ज्योति उसकी सगी भतीजी थी। उसका मोबाइल नं0-9427418629 तथा 9426040838 व लैण्डलाइन नं0-07926850171 है तथा ज्योति श्यामदसानी का मोबाइल नं0-8960868686 था। उसकी ज्योति से अक्सर फोन पर बात होती थी तो उसे महसूस हुआ कि वह अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। अप्रैल 2014 में पहली बार पूजा जबलपुर में मिली तो बहुत पूछने पर उसने बताया कि पीयूष का व्यवहार उसके साथ बहुत ही बुरा है तथा वह मोबाइल पर किसी लड़की से बात करता रहता है और पूछने पर पीयूष कहता है कि तुम उसकी पसन्द नहीं हो, उसके मां-बाप ने उसकी शादी जबरदस्ती करायी है। उसने पूजा से कहा कि अपने सास-ससुर से क्यों नहीं कहती, इस पर पूजा बोली जब वह अपनी सास को यह बात बताती है तो वह अनुसुना कर देती हैं और ससुर से बताने पर उन्होंने कहा कि पीयूष का व्यवहार धीरे-धीरे ठीक हो जायेगा, तुम्हें उनका मान रखना होगा तथा अभी अपने घर जबलपुर में यह सब बातें नहीं बताना। उसके कुछ दिन बाद वह अपनी ससुराल अहमदाबाद चली गयी। इसके बाद उसकी अक्सर पूजा से फोन पर बात होती थी। पूजा उसे रात में 12 से साढ़े बारह-डेढ़ बजे भी फोन लगाती थी और बहुत रोती थी तथा बताती थी कि वह पीयूष के व्यवहार से और ज्यादा दुखी रहने लगी है और पीयूष रातों में भी गायब रहता है। घटना के कुछ दिन पहले पूजा ने फोन पर बताया कि अब उसके सब्र का बांध टूट रहा है और पीयूष जिस लड़की के चक्कर में आकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है वह पड़ोस में रहने वाली केसर गुटखा वालों की लड़की मनीषा है। उसने अपने सास-ससुर की इतनी सेवा की है, किन्तु आज उसका साथ कोई नहीं दे रहा है। दिनांक 23

जुलाई 2014 को रात करीब 11 बजे पूजा ने फोन किया और कहा कि पीयूष का मोबाइल बजने पर उसने चुपके से उठा लिया तो दूसरी ओर से मनीषा थी और वह एकदम से कहने लगी पीयूष ज्योति को जल्दी से निपटाओ नहीं तो उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करवा देंगे और उसे लड़के वाले देखने भी आने वाले हैं। दिनांक 27.07.2014 को रात के लगभग साढ़े दस—पौने ग्यारह बजे उसकी पूजा से आखिरी बार बात हुई थी। इसके पहले पूजा ने 3—4 बार फोन किया, लेकिन वह फोन अटेन्ड नहीं कर पायी थी। 10.30—10.45 बजे जब पूजा से उसकी फोन पर बात हुई तो पूजा ने बताया कि मोना दीदी आज सबेरे से पीयूष का व्यवहार बड़ा अजीब सा है। पीयूष सबेरे कहने लगा कि आज सण्डे मनाने रात को चलेंगे और उनके बीच जो प्राबलम चल रही हैं उसे साल्व करेंगे। उसने पूजा से पूछा कि अभी कहां हो तो पूजा बोली वह पीयूष के साथ रेस्टोरेन्ट आई है, किन्तु पीयूष उसे रेस्टोरेन्ट में अकेला बिठाकर खुद मोबाइल फोन पर बात करता हुआ कहीं चला गया है। उसने पूजा को डांटा कि आज पीयूष के साथ बाहर क्यों आयी। पूजा ने उससे यह भी बताया कि आज पीयूष बड़ा टेन्शन में था और आज वह किसी से फोन पर कह रहा था कि तू चिन्ता क्यों करती है, आज काम हो ही जायेगा। इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि उसने पूजा से कहा कि वह पीयूष के साथ बाहर आई ही क्यों तो पूजा बोली उसने मना कर दिया था, किन्तु फिर उसके सास, ससुर, पीयूष व मुकेश की कमरा बन्द करके कुछ बात हुई और फिर उसके सास, ससुर उसके पास आये और बोले आज तू उनके कहने पर पीयूष के साथ रात को जाना। पूजा ने कहा कि यहां आने पर उसे अजीब सा अहसास हो रहा है। इस घटना के दूसरे दिन 12—12.30 बजे जब वह अपनी बेटी को लेकर डाक्टर के पास जा रही थी तो उस समय जबलपुर से उसकी परिचित श्रीमती अरुण पाल आनन्द का फोन आया कि पूजा कैसी है। जब उसने पूछा कि पूजा के बारे में क्यों पूछ रही हो तो उन्होंने बताया कि टी०वी० में आ रहा है कि कानपुर में एक लड़की की हत्या हो गयी है। उसके तुरन्त बाद कानपुर से एक पुलिस अधिकारी का फोन आया कि जिस लड़की की हत्या हुई है उसके मोबाइल फोन की काल डिटेल के अनुसार आखिरी बात आपसे हुई है तथा बताया कि जिसकी हत्या हुई है उसका नाम ज्योति है। विवेचना के दौरान जब पुलिस जबलपुर आयी थी तो पुलिस ने अलमीरा में रखे हुए पूजा के सामान को अपने कब्जे में लिया व उसकी फर्द तैयार की थी जिस पर प्रदर्श क-३ पड़ा है। उसके सामने फर्द तैयार की थी, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर किये थे।

24. पी0डब्लू0-8 संजय खान ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वह जुलाई-2014 में वरान्डा रेस्टोरेन्ट में वेटर था। दिनांक 27 जुलाई 2014 की घटना है। इस मुकदमे से सम्बन्धित मुल्जिम पहले 40 नम्बर टेबल पर था, उसके साथ एक लेडी थी। उस समय वह आदमी का नाम नहीं जानता था। अगले दिन उसका नाम पीयूष पता चला। अगले दिन पता चला कि उसके साथ आने वाली महिला उसकी बीवी थी। बीवी का नाम दूसरे दिन पता चला कि ज्योति था। पहले वे टेबल नं0-40 पर बैठे थे, परन्तु आवाज के कारण डिस्टर्ब होने की वजह से उन्हें टेबल नं0-35 पर बैठा दिया गया था। दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। उसे लड़की शान्त लग रही थी, ज्यादा बात नहीं कर रही थी। लड़का मोबाइल पर लगा था और हुक्का पी रहा था। उसे दूसरे दिन सी0सी0टी0वी0 कैमरे से पता चला कि लड़का अपने साथ आई लेडी को छोड़कर कहीं गया था। इस साक्षी ने हाजिर अदालत मुल्जिम को न्यायालय में पहचाना और कहा कि पीयूष दिनांक 27.07.2014 को रेस्टोरेन्ट में आया था। जब पीयूष चले गये थे तब महिला मोबाइल पर बात कर रही थी।

25. पी0डब्लू0-9 कां0 महेश चन्द्र दुबे ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 27 / 28.07.2014 को वह थाना-स्वरूप नगर में बतौर सी0सी0 के पद पर तैनात था। उस दिन वादी पीयूष श्यामदसानी की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-151 / 2014, अन्तर्गत धारा-323, 147, 392, 364 भा0दं0सं0 में 7-8 व्यक्ति नाम, पता अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस साक्षी ने चिक एफ0आई0आर0 को प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किया है।

26. पी0डब्लू0-10 कां0 श्री नारायण ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 28.07.2014 को थाना स्वरूप नगर में बतौर कां0 क्लर्क तैनात था। जी0डी0 के अनुसार मुकदमे की रिपोर्ट लिखाने पीयूष श्यामदसानी, ओमप्रकाश श्यामदसानी तथा अभिनव पोद्दार थाने आये थे। पीयूष श्यामदसानी को हो0गा0 शम्भू सिंह के साथ मजरूबी चिट्ठी देकर हैलट अस्पताल मेडिकल हेतु भेजा गया था। उस समय पीयूष श्यामदसानी के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं देखा था। जी0डी0 की छायाप्रति जो असल की है, को सत्यापित कर दाखिल किया गया, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया है। हो0गा0 शम्भू सिंह की वापसी का तस्करा जी0डी0 सं0-17 पर किया गया। इस साक्षी ने कहा है कि होमगार्ड शम्भू सिंह ने वापसी पर बताया कि पीयूष श्यामदसानी ने कहा था कि डाक्टर नहीं

है वह स्वयं डाक्टरी करा लेगा, यह कहते हुए चले गये थे। इस साक्षी ने असल जी0डी0 नं0-17 को **प्रदर्श क-8** के रूप में साबित किया है।

27. पी0डब्लू0-11 उपनिरीक्षक भोलेन्द्र चतुर्वेदी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 05.08.2014 को मु0अ0सं0-151 / 2014 में सहायक विवेचक के रूप में सम्बद्ध था। उस दिन रपट सं0-22 समय 10.30 बजे हमराहियों के साथ सम्बन्धित अभियुक्तगण रेनू व सोनू आशीष, अवधेश चतुर्वेदी व पीयूष श्यामदसानी को पी0सी0आर0 में लाये थे तथा अभियुक्त आशीष के साथ जाकर अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सं0 यू0पी0-78-बी0वाई0-4588 को रिलाइन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट काकादेव के सामने से बरामद की गयी, जिसके सम्बन्ध में आशीष ने बताया कि इस मोटरसाइकिल का प्रयोग दिनांक 27.07.2014 को ज्योति की हत्या में किया था। उक्त बरामदगी की फर्द मौके पर तैयार की गयी, जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है तथा उक्त फर्द को **प्रदर्श क-9** के रूप में तथा मोटरसाइकिल को वस्तु **प्रदर्श-9** के रूप में साबित किया है।

28. पी0डब्लू0-12 उपनिरीक्षक राजेश कुमार शुक्ला ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 31.07.2014 को वह परिवहन कार्यालय, पुलिस लाइन कानपुर में तैनात था। थाना—पनकी परिसर में खड़ी गाड़ी सं0 यू0पी0-78-बी0आर0-5009 का निरीक्षण किया था, जो मु0अ0सं0-151 / 2014 से सम्बन्धित थी। पूरी गाड़ी के हर एंगिल से 12 फोटो लिये थे। गाड़ी में कोई खरोच नहीं थी। कन्डेक्टर साइड की आगे की खिड़की का शीशा टूटा था व चालक सीट के पीछे फर्श पर खून पड़ा था व पीछे की सीट पर खून लगा हुआ था। इस गाड़ी में कोई एक्सीडेन्ट के निशान नहीं थे। उपरोक्त वर्णित फोटो उसके द्वारा स्वयं डिजिटल कैमरे से खीचे गये थे। प्रिन्ट निकालने से पहले उसने यह सुनिश्चित कर लिया था कि यह वही फोटोग्राफ है, जो उसके द्वारा खीचे गये हैं। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट **प्रदर्श क-10**, प्रमाण—पत्र **प्रदर्श क-11** तथा मोटरकार के फोटोग्राफ्स को वस्तु **प्रदर्श क-12** लगायत वस्तु **प्रदर्श क-23** के रूप में साबित किया है।

29. पी0डब्लू0-13 निरीक्षक श्रीमती पूनम अवस्थी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि इस मुकदमे में दिनांक 28.7.2014 को सह विवेचक के रूप में उसकी नियुक्ति हुई थी, तब वह थानाध्यक्ष कोहना के पद पर तैनात थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त

उनके द्वारा नकल दस्तावेज दर्ज केस डायरी कर साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। वराण्डा रेस्टोरेन्ट की विजिटर बुक का अवलोकन किया गया तथा उक्त विजिटर बुक को मौके पर समक्ष गवाहान सील सर्वमोहर कर उसकी फर्द तैयार की गयी। रेस्टोरेन्ट के सम्बन्धित कर्मचारियों के हस्ताक्षर फर्द पर प्रमाण—पत्र पर हस्ताक्षर बनाने के बाबत् दिया गया। प्रमाण—पत्र पर प्रभा पोद्दार ने उसके सामने हस्ताक्षर बनाये थे। इस साक्षी ने विजिटर बुक, रेस्टोरेन्ट के बिल एवं श्रीमती प्रभा पोद्दार के दोनों हस्ताक्षरों को **प्रदर्श क—24** लगायत **क—26** तथा विजिटर बुक एवं रेस्टोरेन्ट के सील कवर बण्डल को वस्तु **प्रदर्श—10** व 11 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन भी किया है कि विवेचना के अनुक्रम में संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा—120बी भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्तगण रेनू व सोनू ने कान की बाली एवं मारने में प्रयुक्त चाकू को बरामद कराने का कथन किया। उक्त रेस्टोरेन्ट के सी0सी0टी0वी0 से सम्बन्धित हार्ड डिस्क को उसके द्वारा सफेद कागजात में लपेटकर एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर एक कपड़े में सीलकर सर्वमोहर किया गया तथा उसकी फर्द समक्ष गवाहान तैयार की गयी तथा उक्त फर्द को इस साक्षी ने **प्रदर्श क—27** के रूप में साबित किया है। विवेचना के अनुक्रम में दो स्वतन्त्र गवाहों श्याम सिंह व मो0 इमरान की मौजूदगी में पीयूष व ज्योति के कमरे को खुलवाकर उसकी तलाशी ली गयी, जिसमें तलाशी के दौरान मृतका ज्योति की फिरोजी रंग की डायरी बरामद की गयी तथा उक्त डायरी की फर्द मौके पर समक्ष गवाहान तैयार की गयी। रेवमोती बिग बाजार से एक अदद हार्ड डिस्क सी0सी0टी0वी0 कैमरे की पुलिस ने कब्जे में लेकर उसकी भी फर्द तैयार की। इस साक्षी ने उक्त डायरी एवं हार्ड डिस्क की फर्द को **प्रदर्श क—28** व **क—29** तथा हरे रंग की डायरी एवं दूसरी छोटी डायरी को क्रमशः वस्तु प्रदर्श ए—1 व ए—2, सीलबन्द कपड़ा, प्लास्टिक का डिब्बा, डिब्बे के अन्दर रखी हार्ड डिस्क तथा प्लास्टिक के बाक्स को वस्तु **प्रदर्श—12** लगायत वस्तु **प्रदर्श—15** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन भी किया है कि दिनांक 20.07.2014 से पूर्व की भी चाकू खरीद की बिलिंग प्राप्त की गयी तथा उक्त बिल को रेव मोती के प्रबन्धन द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। दो अदद डायरी एवं मोबाइल नं0 8858758057 की फर्द समक्ष गवाहान तैयार की गयी। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में खरीदे गये चाकू के बिल, बिल पर अंकित हस्ताक्षरों, दो अदद डायरी की फर्द, मो0नं0—8858758057 की फर्द आदि को क्रमशः **प्रदर्श क—30**

लगायत प्रदर्श क-36 एवं रेस्टोरेन्ट से सम्बन्धित हार्डडिस्क, गवाह के हस्ताक्षर, प्लास्टिक के डिब्बे, कपड़े, काले मोबाइल एवं प्लास्टिक के डिब्बे को क्रमशः वस्तु प्रदर्श-15 लगायत 20 के रूप में साबित किया है।

30. पी0डब्लू0-14 अभिनव पोददार ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 27 / 28.07.2014 को लगभग 12.30 बजे रात्रि को सूचना प्राप्त होने पर वह थाना-स्वरूपनगर पहुंचा था तथा तहरीर कागज सं0-47 अभियुक्त पीयूष के बोलने पर लिखा था। जो पीयूष बोलते जा रहे थे, वह लिखता जा रहा था। जब तहरीर लिख रहा था तो पीयूष के अलावा उनके पिता ओमप्रकाश व अन्य लोग खड़े थे। यह तहरीर थाने के बाहर लिखी थी, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस साक्षी ने उक्त तहरीर को प्रदर्श क-37 के रूप में साबित किया है।

31. पी0डब्लू0-15 उपनिरीक्षक हरीशंकर मिश्रा ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि एस0एस0पी0 कानपुर के आदेश से मु0अ0सं0-151 / 2014, धारा-364, 302, 201, 120बी, 412, 34, 203, 202 भा0द0सं0 में वह सह-विवेचक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह सह-विवेचक के रूप में विवेचना करके कार्यवाही के पर्चे मुख्य विवेचक को प्रेषित करता था। दिनांक 31.07.2014 को वह बतौर एस0ओ0 थाना-मूलगंज में तैनात था। उसने एक संयुक्त टीम गठित करके बउम्मीद बरामदगी जनता के दो गवाह जितेन्द्र पुत्र श्रीराम एवं किशन गोपाल पुत्र श्यामबाबू को साथ लेकर मर्दाना हवालात थाना-स्वरूप नगर, कानपुर पहुंचा। वहां से अभियुक्तगण अवधेश कुमार, रेनू सोनू व आशीष को लेकर चले तो रास्ते में अभियुक्तगण ने ग्रीनबेल्ट में गाड़ी की चाबी फेंकना बताया, जिस पर अभियुक्तगण की निशादेही पर रात्रि 1.45 बजे चाबी बरामद की गयी। शांती मेडिकल स्टोर से 200 मीटर आगे दूसरे ग्रीनबेल्ट के 50 कदम बायें हाथ पर लगे पेड़ से काले रंग की चेकदार रुमाल, जिस पर खून लगा था, बरामद की गयी। अभियुक्तगण के बताने पर इंडियन आयल डिपो गेट के पास स्थित पोल के अन्दर से ज्योति के जेवरात एक अंगूठी हीरे की, एक अंगूठी पन्ने था। की, एक अंगूठी मोती की तथा कान की दो बालियां रात्रि 2.35 बजे बरामद की गयीं। उक्त बरामदगी की फर्द मौके पर तैयार की गयी। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उक्त फर्द को प्रदर्श क-38 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह भी बताया है कि दौरान विवेचना ज्योति के कमरे की अलमारी से डायमण्ड एवं गोल्ड के सामान की लिस्ट को कब्जे में लेकर उसकी फर्द तैयार की गयी। प्रोजेक्ट फाईल को भी कब्जे में लेकर

उसकी फर्द तैयार की गयी तथा मृतका की मां श्रीमती माया देवी के हस्ताक्षर कराये गये। दिनांक 03.09.2014 को उसके द्वारा अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ अभियुक्ता मनीषा मखीजा के घर पाण्डुनगर में उक्त अपराध से सम्बन्धित घर की तलाशी ली गयी तथा वहां पर अपराध से सम्बन्धित कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुयी। फर्द मौके पर तैयार की गयी, जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क-39 के रूप में साबित किया है। दौरान विवेचना मृतका की मां श्रीमती माया देवी, उनकी बुआ मोनिका आशुदानी, विशेष नागदेव तथा मृतका के चाचा राजेश उर्फ राजा नागदेव के बयान लिये। उसने मृतका ज्योति के मायके जबलपुर में उसके घर की तलाशी ली थी तथा उसका नक्शा नजरी तैयार किया था। इस साक्षी ने कपड़े सील, पालीथिन, चाभी, पालीथिन के बैग और कपड़े को वस्तु **प्रदर्श-21** लगायत **25** तथा नक्शा नजरी को **प्रदर्श क-40** के रूप में साबित किया है।

32. पी0डब्लू0-16 उपनिरीक्षक जितेन्द्र मोहन सिंह ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 28.07.2014 को वह उपनिरीक्षक के पद पर थाना-स्वरूप नगर, कानपुर-नगर में तैनात था। उनके द्वारा दिनांक 28.07.2014 को मृतका ज्योति के शव का पंचायतनामा किया गया था। मृतका ज्योति के शरीर में पायी गयी चोटों का उल्लेख उसने पंचायतनामे में किया था। राय पंचान में यह अंकित है कि उनकी राय में मृतका ज्योति श्यामदसानी की मृत्यु धारदार हथियार से पहुँचाई गयी चोटों के कारण होना प्रतीत होता है। उसके द्वारा मौके पर पंचायतनामा एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्र पत्र सी0एम0ओ0, नमूना सील, फोटो लाश एवं चालान शव तैयार किये गये थे। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में पंचायतनामा, पत्र सी0एम0ओ0, नमूना सील, फोटो लाश एवं चालान शव को कमशः **प्रदर्श क-41** लगायत **क-45** के रूप में साबित किया है।

33. पी0डब्लू0-17 शुभम पोद्दार ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह यह कथन किया है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी उसके रेस्टोरेन्ट में दिनांक 27.07.2014 को आये थे तो एक महिला के साथ आये थे, जो ज्योति थी। दिनांक 27.07.2014 को जब पीयूष व ज्योति उसके रेस्टोरेन्ट में आये थे उस समय रिकार्डिंग सी0सी0टी0वी0 कैमरों में हुई थी। दिनांक 28.07.2014 को थाना-स्वरूप नगर व कोहना की पुलिस उसके रेस्टोरेन्ट में आयी थी और उन्होंने आकर डी0वी0आर0 सी0सी0टी0वी0 कैमरों की रिकार्डिंग की हार्डडिस्क से पेन ड्राइव में कापी करके अपने कब्जे में ली थी। सी0सी0टी0वी0 की रिकार्डिंग में पुलिस के द्वारा कब्जे में लिये जाने तक कोई

छेड़छाड़ या एडिटिंग नहीं की गयी थी। पुलिस कब्जे में लेने के सम्बन्ध में लिखापढ़ी की गयी थी, जिस पर उसकी माताजी, मानिक व संजय के हस्ताक्षर हैं, जिसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-46** के रूप में साबित किया है। उसके रेस्टोरेन्ट में विजिटर बुक रहती है। पीयूष ने उक्त विजिटर बुक में अपनी टिप्पणी लिखी थी। इस साक्षी ने उक्त विजिटर बुक की छाया प्रति को **प्रदर्श क-47** के रूप में साबित किया है।

34. पी0डब्लू0-18 उपनिरीक्षक अखिलेश कुमार गौड़ ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वर्ष-2014 के माह जुलाई में वह काइम ब्रान्च, कानपुर-नगर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। नियुक्ति के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर-नगर के आदेश से मु0अ0सं0-151/2014, धारा-323, 147, 364, 302, 201 भा0द0सं0 में वह सह-विवेचक के रूप में नियुक्त किया गया था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा मोबाइल संख्या-9956353535 व मृतका ज्योति के मोबाइल नम्बर-8960868686 की काल डिटेल प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार मृतका ज्योती श्यामदसानी उर्फ पूजा के नम्बर से समय करीब 22.37 बजे दिनांक 27.07.2014 को अपनी बुआ मोनिका के मो0नं0-9427418629 से वार्ता होना पाया। इसके पश्चात् घटना वाले दिन पीयूष व ज्योति अपने घर से समय करीब 9.26 बजे सांय को अपने निवास पाण्डुनगर से निकले। समय करीब 22.37 पर अगली काल के समय उनकी लोकेशन वराण्डा रेस्टोरेन्ट में दिनांक 27.07.2014 को पायी गयी तथा उसी दिन मृतका द्वारा समय करीब 23.20 बजे अपनी सास पूनम श्यामदसानी के मोबाइल नं0-9838868686 से भी वार्ता होना पाया गया। तत्पश्चात् मृतका के साथ घटना घटित होने के बाद उसकी अन्तिम लोकेशन सी0 ब्लाक पनकी, कानपुर नगर समय 23.54 पर पायी गयी, जिस पर मो0नं0-9956353535 से 29 सेकेण्ड बात होना पाया गया। दिनांक 27.07.2014 को समय 22.42 बजे मोबाइल नं0-8090766837 से करीब 7 मिनट की वार्ता होना पाया गया, जो मृतका के आवास की लोकेशन पर होना पाया गया। इस साक्षी ने मृतका ज्योति के मोबाइल की काल डिटेल एवं पीयूष की काल डिटेल जो पत्रावली में संलग्न है तथा 1071 से 1093 तक है, जिस पर मेरे सभी पर मेरे लघु हस्ताक्षर हैं जिस पर सामूहिक रूप से हस्ताक्षरों को **प्रदर्श क-48** व **प्रदर्श क-49** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन भी किया है कि पीयूष से जानकारी करने पर उसने बताया कि मोबाइल नं0-8858758057 उसकी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला कामिनी सचान का नम्बर है। मोबाइल

नं०-8090766837 के बारे में पूछने पर पीयूष ने उक्त नम्बर अपनी महिला मित्र मनीषा मखीजा का होना बताया तथा उक्त नम्बर पर घटना वाली दिनांक 27.07.204 को उसकी करीब 07 मिनट बात समय 22.42 पर हुयी है। पीयूष ने मनीषा से अपने कई वर्षों से आन्तरिक सम्बन्ध होना भी बताया। मनीषा मखीजा ने भी मोबाइल नं०-8090766837 को अपना होना बताया तथा घटना वाले दिन इससे सात मिनट वार्ता करना भी बताया। पीयूष के बारे में पूछने पर मनीषा ने बताया कि वे एक दूसरे को पड़ोसी होने के नाते जानते हैं। सभी संदिग्ध नम्बरों की डिटेल अपने प्रिन्टर से निकालकर संलग्न सी0डी0 किया गया तथा उपरोक्त सारे संदिग्ध नम्बरों का आपस में परस्पर सम्पर्क का एक मानचित्र बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दो अदद मोबाइल की फर्द उसके द्वारा तैयार की गयी। मोबाइल नम्बरों के सम्बन्ध में उसके द्वारा विश्लेषण चार्ट तैयार किया गया। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में परस्पर सम्पर्क का मानचित्र, मोबाइल की फर्द एवं विश्लेषण चार्ट को क्रमशः **प्रदर्श क-50** लगायत **क-53** के रूप में साबित किया है। अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के द्वारा प्रयोग किये जा रहे मो०नं० 8090766853 व 9956353535 व 8604351351 का चार्ट उसके द्वारा कम्प्यूटर से तैयार किया गया, जिनसे अभियुक्त मनीषा मखीजा के विभिन्न नम्बरों से वार्ता होना पाया गया, जो मो०नं०-8090766853 व 8604351351 से सम्बन्धित हैं। सभी अभियुक्तों की आपस में वार्ता का एक रेखाचित्र फोटो लगाकर चार्ट तैयार किया गया। इस साक्षी ने उक्त तैयार किये गये चार्ट एवं अभियुक्तों के रेखाचित्र फोटो लगे चार्ट को क्रमशः **प्रदर्श क-54**, **प्रदर्श क-55** तथा **प्रदर्श क-56** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन भी किया है कि सापटवेयर सिस्टम से घटना में प्रयुक्त किये गये मोबाइल नम्बरों की काल डिटेल लोड कर अभियुक्तों के बीच विभिन्न नम्बरों से आपस में की गयी परस्पर वार्ता का एक विश्लेषण चार्ट तैयार किया गया, जिसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-57** व **प्रदर्श क-58** के रूप में साबित किया है। दिनांक 03.09.2014 को तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, कल्यानपुर श्री अखिलेश सिंह द्वारा स्वाती पारले बिस्कुट फैक्ट्री, दादानगर की तलाशी ली गयी, जिसकी फर्द मौके पर तैयार की गयी, जिसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-59** के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा विभिन्न दूरसंचार कम्पनियों को भेजे गये पत्रों को **प्रदर्श क-60** लगायत **प्रदर्श क-66** के रूप में साबित किया गया है। इस साक्षी ने न्यायालय में आईफोन वस्तु **प्रदर्श-27**, नाम, पता लिखी पर्ची वस्तु **प्रदर्श-28**, प्लास्टिक के डिब्बे वस्तु

प्रदर्श-29, सैमसंग मोबाइल वस्तु प्रदर्श-30, आई फोन एप्ल वस्तु प्रदर्श-31 तथा प्लास्टिक के डिब्बे को वस्तु प्रदर्श-32 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि विवेचना के दौरान उसने पीयूष श्यामदसानी के परिवारीजनों द्वारा दिनांक 27.07.2014 व 28.07.2014 को टेलीफोन से आपस में की गयी वार्ता की काल डिटेल का चार्ट तैयार किया था, जिसमें पूरे परिवार द्वारा 68 काल किये जाने का उल्लेख किया है। इस साक्षी ने उक्त चार्ट को प्रदर्श क-67 के रूप में साबित किया है। मृतका के पास से कार में बरामद मोबाइल फोन सैमसन की चिटबन्दी की गयी। इस साक्षी ने चिटबन्दी को वस्तु प्रदर्श-33, एक अदद मोबाइल मृतका ज्योति को वस्तु प्रदर्श-34 तथा प्लास्टिक के डिब्बे को वस्तु प्रदर्श-35 के रूप में न्यायालय में साबित किया है। इसके अतिरिक्त साक्षी ने पत्रावली में संलग्न प्रपत्र 307ख व 308ख को प्रदर्श क-68 व प्रदर्श क-69 के रूप में साबित किया है।

35. पी0डब्लू0-19 डा० राजेश कुमार अग्रवाल ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 28.07.2014 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरसौल में सर्जन के पद पर कार्यरत था। उपरोक्त दिवस को उन्होंने डा० दिव्या द्विवेदी, डा० आर०पी० तिवारी, डा० अजीत ओझा व डा० पुनीत अवस्थी के संयुक्त बोर्ड में मृतका ज्योति श्यामदसानी पत्नी पीयूष श्यामदसानी, नि० 117/एच-1/187 पाण्डुनगर, थाना-काकादेव, कानपुर नगर आयु लगभग 27 वर्ष, जिसे कां० अखिलेश कुमार व महिला कां० अंजली यादव व हो०गा० देवेन्द्र लेकर आये थे, के शव का पोस्टमार्टम किया था।

सामान्य परीक्षण :-

मृतका की लम्बाई 146 सेंमी० औसत कद काठी की थी। शरीर की अकड़न ऊपरी व निचले एक्सट्रीमिटीज में थी। पोस्टमार्टम स्टेनिंग पीठ के ऊपरी व निचले दोनों हिस्से पर थी। मृतका की आंखे बन्द थीं। मुंह थोड़ा सा खुला था। दोनों होठों के बायीं तरफ नीलगू (कन्ट्र्यूजन) के निशान थे। मृतका के शरीर में कुल 14 चोटें मृत्यु पूर्व की पायी गयी थी।

मृत्यु पूर्व आयी चोटें -

चोट संख्या-1

खरोंच के साथ नीलगू घाव सिर के बायीं ओर एक आक्सीपिटल क्षेत्र में दायें कान से 8 सेंमी० ऊपर 6 सेंमी० x 4 सेंमी०

चोट संख्या-2

खरोंच के साथ नीलगू घाव ऊपरी 4 सेंमी० x 4 सेंमी० सिर पर सीधे फन्टल अंग में दाहिनी भौं के ऊपर

चोट संख्या-3

खरोंच के साथ नीलगू घाव 2 सेंटीमी 0 x 2 सेंटीमी 0 सीधे गाल पर दाहिनी आंख के नीचे बाहर की ओर

चोट संख्या—4

खरोंच के साथ नीलगू घाव 1.5 सेंटीमी 0 x 1.5 सेंटीमी 0 ऊपरी होंठ के बायीं तरफ

चोट संख्या—5

खरोंच के साथ नीलगू घाव 1.5 सेंटीमी 0 x 1.5 सेंटीमी 0 निचले होंठ के बायीं तरफ

चोट संख्या—6

खरोंच के साथ नीलगू घाव 3 सेंटीमी 0 x 1 सेंटीमी 0 गर्दन के बायीं और प्लस चोट बेस ऑफ नेक से लोअर नेक तक ली नियर पोजीशन में थी।

चोट संख्या—7

कटा हुआ 10 सेंटीमी 0 घाव जो 1.5 सेंटीमी 0 x 1.5 सेंटीमी 0 से 3 सेंटीमी 0 x 1.5 सेंटीमी 0 के अलग—अलग घाव थे, जो दाहिने गाल से गर्दन की तरफ 10 सेंटीमी 0 x 10 सेंटीमी 0 के क्षेत्रफल में फैले थे। मांशपेशी तक गहरे थे।

चोट संख्या—8

कटा हुआ घाव 4 सेंटीमी 0 x 1.5 सेंटीमी 0 गर्दन के सीधी तरफ कैविटी तक गहरा/सीधी क्ले निकल से 5 सेंटीमी 0 ऊपर था।

चोट संख्या—9

मल्टीपल कन्ट्र्यूजन एब्रेडेड घाव दाहिने कन्धे के टाप पर 4 सेंटीमी 0 x 6 सेंटीमी 0

चोट संख्या—10

कटा हुआ घाव 4 सेंटीमी 0 x 2 सेंटीमी 0 छाती के सीधे भाग में निचले से 12 सेंटीमी 0 नीचे। 6.0 क्लोज पोजीशन पर, कैविटी तक गहरा था।

चोट संख्या—11

कटा हुआ घाव 2 सेंटीमी 0 x 10 सेंटीमी 0 x मांशपेशी तक गहरा। पीठ के दाहिनी ओर बेस ऑफ राईट एकिजला के 18 सेंटीमी 0 नीचे।

चोट संख्या—12

कटा हुआ घाव 2 सेंटीमी 0 x 1 सेंटीमी 0 x मांशपेशी तक गहरा। बेस ऑफ वाई रिंग फिंगर ऑफ पांच

चोट संख्या—13

कटा हुआ घाव 1 सेंटीमी 0 x 1 सेंटीमी 0 x मांशपेशी तक गहरा। बायें हाथ की रिंग फिंगर के टाप पर

चोट संख्या—14

कटा हुआ घाव 2.5 सेंमी x 1.5 सेंमी हड्डी तक गहरा दाहिने तरफ क्षेत्र पर जो कि राईट एन्टी रियर सुपीरियर टार्च तक स्पाईन से 22 सेंमी नीचे था।

आन्तरिक परीक्षण :-

गर्दन में ट्रेकिया कटी हुयी थी। चेस्ट में खाने की नली (रसोफंगद) कटी थी, जो कि चोट नं०-८ का परिणाम थी। दोनों फेफड़े फेल थे। दोनों हृदय के चेम्बर खाली थे। दाहिनी तरफ की गर्दन की चार्ज बेसल्स कटी हुयी थी। पेरिटोनियल केविटी में पेरिटोनियम फटा हुआ था और लगभग आधा लीटर खून मौजूद था। लीवर फटा हुआ था। बच्चेदानी के हिस्से पैथोलोनिक से माइल्ड डिस्चार्ज सफेद रंग का उपस्थित था। इस डिस्चार्ज का स्वैब लिया गया तथा ओरल केविटी से भी स्वैब लिया गया। उनकी राय में मृतका की मृत्यु का संभावित समय लगभग आधा दिन था। मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व आयी चोटों के फलस्वरूप रक्तस्राव व सदमा था। चोट नं०-१ से ६ किसी सख्त व कुन्द आले से आना सम्भव है। चोट नं०-७ से १४ तक ९ के अतिरिक्त किसी धारदार व सख्त हथियार द्वारा आना सम्भव है। चोट नं०-९ किसी सख्त व कुन्द आले से आना सम्भव है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डा० अजीत कुमार ओझा ने उनके सामने अपने हस्तलेख में तैयार कर हस्ताक्षर किये थे। पैनल के सभी डाक्टरों ने उक्त आख्या से सहमत होते हुए अपने—अपने हस्ताक्षर किये थे। मृतका के शरीर पर मृत्युपूर्व आयी चोटें दिनांक 27.07.204 को रात्रि 11 से 12 बजे पहुंचाया जाना सम्भव है। मृतका के शरीर पर जो जो कटे हुए घाव पाये गये थे, वे धारदार चाकू से आना सम्भव हैं। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को **प्रदर्श क-70** के रूप में साबित किया है।

36. पी०डब्लू०-२० अरविन्द श्रीवास्तव, नोडल आफीसर, टाटा टेलीकाम सर्विस लिमिटेड ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि इस मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा प्रयोग किये गये मोबाइल नं०-8090766853, 8604251351, 8090766837, 8090615770 तथा 8960868686 द्वारा किये गये काल डिटेल का ब्यौरा विवेचक द्वारा मांगे जाने पर उनकी कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया गया था। टाटा टेलीकाम सर्विसेस लि० द्वारा दिनांक 07.08.2014 को एक कवरिंग लेटर उनके यहां से असिस्टेन्ट नोडल आफीसर अर्पित श्रीवास्तव जारी किया गया था। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसकी कम्पनी द्वारा उक्त मोबाइल नम्बरों की काल डिटेल, जो कि प्रमाणित है तथा पत्रावली में संलग्न है, को धारा-65बी साक्ष्य अधिनियम के तहत अपेक्षित प्रमाणपत्र मूल रूप में दाखिल किया गया है।

इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कवरिंग लेटर को **प्रदर्श क-71**, सी0डी0आर0 से सम्बन्धित कागज सं0-1922 लगायत 2315 को संयुक्त रूप से **प्रदर्श क-72** एवं धारा-65बी साक्ष्य अधिनियम से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र को **प्रदर्श क-73** के रूप में साबित किया है।

37. पी0डब्लू0-21 राजीव सिंह सेंगर ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि कौशलेन्द्र त्रिपाठी वर्ष-2016 तक भारती एयरटेल के नोडल आफीसर थे। वह उसके अधीनस्थ कार्य करते थे। उन्होंने वर्ष-2009 से 2016 तक उन्हें लिखते पढ़ते देखा है और वह उनके लेख व हस्ताक्षर से भली प्रकार परिचित है। वर्ष-2016 में कौशलेन्द्र त्रिपाठी उनकी कम्पनी से त्यागपत्र देकर चले गये हैं। एस0एस0पी0 कानपुर के पत्र के जवाब में दिनांक 11.08.2014 को पत्र जारी हुआ था, जिस कौशलेन्द्र त्रिपाठी ने जारी किया था तथा इस पर कौशलेन्द्र त्रिपाठी के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र के द्वारा मोबाइल नं0-9651886868 जो सायरा बानो के नाम था, इसके अतिरिक्त मो0नं0-8853902938 जो मुन्नी देवी के नाम था, मो0नं0-8127986342 जो अनिल कुमार के नाम था, मो0नं0-9956353535 जो राम जसलानी के नाम है तथा मो0नं0-7897139393 जो मनीषा मखीजा के नाम से है, की सी0डी0आर0 डिटेल दी गयी थी। उक्त पत्र जो कागज सं0-1615 है, को इस साक्षी ने न्यायालय में **प्रदर्श क-74** के रूप में साबित किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस साक्षी ने मो0नं0-7897139393 के मूल सी0ए0एफ0 व आई0डी0 की छाया प्रति कागज सं0-1612 व 1613 को संयुक्त रूप से **प्रदर्श क-75** के रूप में, सी0डी0आर0 कागज सं0-1614 को **प्रदर्श क-76** के रूप में, मोबाइल नं0-9651886868 जो सायरा बानो के नाम है, के मूल सी0ए0एफ0 व आई0डी0 की प्रमाणित छाया प्रति कागज सं0-1717 व 1718 को संयुक्त रूप से **प्रदर्श क-77** के रूप में तथा सी0डी0आर0 को **प्रदर्श क-78** के रूप में, मोबाइल नं0-8127986342 जो अनिल कुमार के नाम है, के मूल सी0ए0एफ0 व आई0डी0 की छाया प्रति कागज सं0-1719 व 1720 को **प्रदर्श क-79** के रूप में व सी0डी0आर0 को **प्रदर्श क-80** के रूप में, मोबाइल नं0-8853902938 जो मुन्नी देवी के नाम है, के मूल सी0ए0एफ0 व आई0डी0 की प्रमाणित छाया प्रति कागज सं0-1799 व 1800 को **प्रदर्श क-81** के रूप में तथा सी0डी0आर0 को **प्रदर्श क-82** के रूप में, मोबाइल नं0-9956353535 के मूल सी0ए0एफ0 व आई0डी0 की प्रमाणित छाया प्रति कागज 1372 को **प्रदर्श क-83** व सी0डी0आर0 को **प्रदर्श क-84** के रूप में तथा उक्त पांचों मोबाइलों की सी0डी0आर0 के प्रमाण-पत्र

अन्तर्गत धारा-65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को **प्रदर्श क-85** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उनकी कम्पनी के मोबाइल नम्बरों की काल डिटेल रिपोर्ट केवल कम्पनी द्वारा प्राधिकृत नोडल आफीसर ही अपने यूजर नेम व पासवर्ड से निकाल सकता है।

38. पी0डब्लू0-22 कौशिक घोषाल ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वर्ष-2014 में वह नोडल आफीसर वोडाफोन यू0पी0 ईस्ट के पद पर लखनऊ में कार्यरत था। इस केस के मामले में एस0एस0पी0, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 25.02.2015 द्वारा चार मोबाइल फोन नम्बरों—9839037272, 9838868686, 9838202354, 9839031010 के काल डिटेल दिनांक 27.07.2014 से 28.07.2014 तक के मांगे गये थे। उक्त चारों नम्बरों के काल डिटेल पत्र दिनांक 26.02.2015 द्वारा भेजे गये थे। उक्त पत्र पत्रावली पर कागज सं0-81क/28 है, जिसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-86** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसी समय उसने एक प्रमाण-पत्र भी जारी किया था, जो पत्रावली में कागज सं0-81क/34 है, जिसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-87** के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त मो0नं0-9839037272 की काल डिटेल कागज सं0-81क/35-36 को **प्रदर्श क-88** के रूप में, मोबाइल नं0-9838868686 की काल डिटेल कागज सं0-81क/29 को **प्रदर्श क-89** के रूप में, मोबाइल नं0-9838202354 की काल डिटेल कागज सं0-81क/30-31 को **प्रदर्श क-90** के रूप में, मोबाइल नं0-9839031010 की काल डिटेल कागज सं0-81क/32-33 को **प्रदर्श क-91** के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने मो0नं0-9839037272 के सी0ए0एफ0 की प्रति को **प्रदर्श क-92** के रूप में, मो0नं0-9838868686 के सी0ए0एफ0 की प्रमाणित छाया प्रति को **प्रदर्श क-93** के रूप में, मो0नं0-9838202354 के सी0ए0एफ0 की प्रमाणित छाया प्रति को **प्रदर्श क-94** के रूप में, मो0नं0-9839031010 के सी0ए0एफ0 की प्रमाणित छाया प्रति को **प्रदर्श क-95** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने मोबाइल नं0 9839955320 व 9999953030 के काल डिटेल दिनांक 01.01.2014 से 28.07.2014 तक को सिस्टम से निकालकर उनके प्रिन्ट लिये थे तथा काल डिटेल का एक प्रमाण-पत्र जारी किया था तथा पत्र विवेचक को भेजा था। इस साक्षी ने दिनांक 13.08.2014 को विवेचक को भेजे गये पत्र कागज सं0-1801 को **प्रदर्श क-96** के रूप में, कागज सं0-1802 को **प्रदर्श क-97** के रूप में, मो0नं0 9839955320 की सी0डी0आर0 कागज सं0-1803 व 1804 को **प्रदर्श**

क—98 के रूप में, मोबाइल नं0 9839955320 के सी0ए0एफ0 की प्रति कागज सं0—1805—1806 को संयुक्त रूप से **प्रदर्श क—99** के रूप में, धारा—65वी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र दिनांकित 13.08.2014 कागज सं0—1824 को **प्रदर्श क—100** के रूप में तथा कागज सं0—1807 को **प्रदर्श क—101** के रूप में, मो0नं0 9999953030 की सी0डी0आर0 कागज सं0—1808 लगायत 1823 को संयुक्त रूप से **प्रदर्श क—102** के रूप में, कागज सं0—1786 लगायत 1798 को **प्रदर्श क—103** लगायत **प्रदर्श क—115** के रूप में तथा कागज सं0—1825 लगायत 1827 को **प्रदर्श क—116** लगायत **प्रदर्श क—118** के रूप में साबित किया है।

39. पी0डब्लू0—23 शशि भूषण मिश्रा ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वह वर्ष—2014 में थानाध्यक्ष काकादेव के पद पर तैनात था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर—नगर के आदेश दिनांकित 28.07.2014 के अनुक्रम में मु0अ0सं0—151 / 2014, धारा—323, 392, 364, 302 भा0द0सं0 में उसे सह—विवेचक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस मुकदमे के मुख्य विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवकुमार राठौर थे। विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त उनके द्वारा विवेचना से सम्बन्धित पर्चे को केस डायरी में संलग्न किया गया। दिनांक 20 / 21.07.2014 को जनपद कानपुर नगर में बारिश होने की जानकारी के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी नजारत से रिपोर्ट प्राप्त कर सी0डी0 में संलग्न की गयी थी, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.07.2014 से पूर्वान्ह प्रातः 8.00 बजे से दिनांक 21.07.2014 की प्रातः 8.00 बजे तक 85 एम0एम0 बारिश होना अंकित है। इस साक्षी ने नाजिर कलेकट्रेट, कानपुर नगर की रिपोर्ट कागज सं0—554 को **प्रदर्श क—119** के रूप में साबित किया है। अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी की दोनों फैकट्री में तलाशी के सम्बन्ध में फर्द तैयार की गयी, जो कमशः 628 एवं 629 शामिल पत्रावली है, जिन्हें इस साक्षी ने **प्रदर्श क—120** व **प्रदर्श क—121** के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उनके द्वारा दिनांक 11.08.2014 को अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, आशीष कश्यप, सोनू तथा रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया के घर की तलाशी के सम्बन्ध में फर्द तैयार की गयी, जिन्हें इस साक्षी ने **प्रदर्श क—122** लगायत **125** के रूप में साबित किया है।

40. पी0डब्लू0—24 डा0 प्रवीन कुमार श्रीवास्तव ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 05.08.2014 को वैज्ञानिक अधिकारी प्रभारी फोरेंसिक फील्ड यूनिट छावनी, कानपुर—नगर के पद पर कार्यरत था।

दिनांक 05.08.2014 को सांय 5.45 पी0एम0 पर अपनी फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचा तथा घटनास्थल पर सड़क किनारे झाड़ियों से एक अदद चाकू प्राप्त हुआ, जिसके परीक्षण पर उस पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हुई। उक्त चाकू की फर्द तैयार कर विवेचक के सुपूर्द की गयी। इस साक्षी ने उपरोक्त चाकू की फर्द को **प्रदर्श क-126** के रूप में तथा उक्त चाकू को वस्तु **प्रदर्श-36** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्ट तथा प्रयुक्त चाकू से सम्बन्धित रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-127** व **प्रदर्श क-128** के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में धारा-65बी साक्ष्य अधिनियम के तहत दिये गये प्रमाणपत्र को **प्रदर्श क-129** के रूप में तथा चाकू बरामदगी से सम्बन्धित 19 फोटोग्राफ्स को वस्तु **प्रदर्श-37** लगायत 55 के रूप में साबित किया है।

41. पी0डब्लू0-25 विनोद कुमार, ज्येष्ठ वैज्ञानिक, विधिविज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 28.07.2014 को उसकी ड्यूटी नियुक्त फील्ड यूनिट, कानपुर-नगर में थी। उसे घटना के सम्बन्ध में टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली थी, जिस पर वह घटनास्थल शान्ति मेडिकल स्टोर के सामने ग्रीन बेल्ट पनकी पहुंचा था, जहाँ पर मु030सं0-151/2014, धारा-323, 147, 392, 364 भा0दं0सं0 से सम्बन्धित घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहाँ से खड़ी कार से ब्लड सैम्पल लेफ्ट सीट के पास, एक अदद ब्लड सैम्पल चालक की सीट के पीछे वाली सीट के पास से, एक अदद सफेद रक्त रंजित रुमाल कार के पीछे सीट से, एक अदद पालीथिन में हेयर सैम्पल पीछे की सीट से, तीन अदद चाकू कार की पीछे की सीट से, एक लेडीज सैण्डल रक्त रंजित ब्लू कलर की कार की पीछे की सीट से, एक अदद कन्ट्रोल सैम्पल प्लेन काटन, फिंगर प्रिन्ट कार्ड मिले थे। गाड़ी सं0-यू0पी0-78-बी0आर0-5009 घटनास्थल पर खड़ी थी, जिससे उक्त चीजें प्राप्त हुई थी तथा उसके निर्देशन में फोटोग्राफर आनन्द कुमार शर्मा से उसकी फोटोग्राफी करायी गयी थी। इस साक्षी ने फर्द चालान को **प्रदर्श क-130** के रूप में, घटनास्थल निरीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट को **प्रदर्श क-131** के रूप में तथा 36 अदद फोटोग्राफ को वस्तु **प्रदर्श-56** लगायत 92 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी के अनुसार उसके द्वारा उसकी देखरेख में डिजिटल कैमरे व कम्प्यूटर व प्रिन्टर का प्रयोग करके फोटो निकाले गये थे। उपकरण सही थे और फोटो में कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी, जिसके सम्बन्ध में दिये गये प्रमाणपत्र को इस साक्षी ने **प्रदर्श क-132**

के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने न्यायालय में तीन चाकुओं को कमशः वस्तु प्रदर्श—93 लगायत 95 के रूप में तथा कागज, जिनमें चाकू लिपटे थे, को वस्तु प्रदर्श—96 लगायत 98 के रूप में तथा पारदर्शी पन्नी को वस्तु प्रदर्श—99 के रूप में तथा कपड़े को वस्तु प्रदर्श—100 के रूप में साबित किया है।

42. पी0डब्लू0—26 धर्मप्रकाश शुक्ला ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वर्ष—2014 में काइम ब्रान्च, कानपुर—नगर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। वह तत्कालीन एस0एस0पी0, कानपुर—नगर के आदेश से मु0अ0सं0—151/2014, सरकार बनाम पीयूष श्यामदसानी, थाना—स्वरूप नगर से सम्बन्धित मुकदमे में सह—विवेचक नियुक्त हुआ था। इस साक्षी ने विवेचना सम्बन्धी कथन करते हुए यह कहा है कि दिनांक 05.08.2014 को मुकदमे से सम्बन्धित माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दाखिल कराया था तथा सागर रत्लानी द्वारा दिये गये बयान का उल्लेख केस डायरी में किया था।

43. पी0डब्लू0—27 गोपीचन्द्र यादव ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 28.07.2014 को थानाध्यक्ष पनकी के पद पर तैनात था। उस दिन वह अपने हमराही कर्मचारियों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर था, तभी जरिये आर0टी0 सेट सूचना मिली कि थाना—स्वरूप नगर क्षेत्र से एक गाड़ी (कार) नं0 यू0पी0—78—बी0आर0—5009 हान्डा एकार्ड, जिसमें एक महिला है और थाना—स्वरूप नगर क्षेत्र से कुछ लोग अपहरण करके ले गये हैं, की तलाश हेतु चेकिंग करता हुआ ई0 ब्लाक के सामने ग्रीन बेल्ट के पास आया, जहां शांति मेडिकल स्टोर के सामने बनी सड़क के किनारे गाड़ी नं0 यू0पी0—78—बी0आर0—5009 थी, जिसे अपहरण करके लाया गया था। शीशे से झांककर देखा तो महिला रक्त रंजित हालत में गाड़ी के अन्दर पड़ी थी। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि सूचना देने पर फील्ड यूनिट वालों ने कार का शीशा तोड़ा और घायल महिला को बाहर निकालकर इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। फील्ड यूनिट वालों द्वारा मौके पर सफेद रंग का एक रुमाल रक्त रंजित, सादा व रक्त रंजित रुई, तीन अदद चाकू बाल, सैण्डल आदि को कब्जे में लेकर निरीक्षण के उपरान्त उसे मौके पर सीलमोहर करके नमूना मुहर तैयार कर माल एवं कार को थाना पनकी ले जाया गया था।

44. पी0डब्लू0—28 अमित कुमार शर्मा, नोडल आफीसर, रिलायन्स कम्युनिकेशन लि�0 ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वह

वर्तमान में रिलायन्स कम्प्युनिकेशन लिंग दिल्ली में बतौर नोडल आफीसर तैनात है। विवेचक अखिलेश कुमार गौड़ द्वारा मोर्निंग—8687145104 और 8687580730 का कस्टमर एप्लीकेशन फार्म और काल डिटेल्स दिनांक 01.01.2014 से 28.07.2014 तक के मांगे थे। इस साक्षी ने उक्त मोबाइल नम्बर से सम्बन्धित काल डिटेल रिपोर्ट की सी0डी0आर0 आदि को **प्रदर्श क—133 व प्रदर्श क—134** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि कागज सं0—1829, 1830 एवं 1841 लगायत 1910 पर मधु बलासु के हस्ताक्षर हैं तथा कम्पनी की मोहर अंकित है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कागज सं0—1829, 1830 एवं 1841 लगायत 1910 को कमशः **प्रदर्श क—135** लगायत **137** के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने बताया है कि कम्प्यूटर सर्वर से कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है तथा उक्त के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाणपत्र को इस साक्षी ने **प्रदर्श क—138 व प्रदर्श क—139** के रूप में साबित किया है।

45. पी0डब्लू0—29 उपनिरीक्षक कुलभूषण सिंह ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वर्ष 2014—15 के दौरान वह आरक्षी के पद पर सर्विलांस कार्यालय एस0एस0पी0, कानपुर—नगर के यहां तैनात था। वह वर्तमान में भी सर्विलांस युनिट में कानपुर—नगर में तैनात है। वर्तमान में एयरसेल कम्पनी बन्द हो चुकी है। बन्द होने के कारण मूल सी0डी0आर0 मोर्निंग—7784987598 से सम्बन्धित कस्टमर आइडिंटी फार्म उपलब्ध न होने के कारण कम्पनी की मेल अधिकृत एन0आई0सी0 आई0डी0 से घटना के समय निकाला गया था, जो दिनांक 17.03.2014 से 29.07.2014 तक की काल डिटेल का विवरण है। इस साक्षी ने कस्टमर आइडिंटी फार्म को **प्रदर्श क—145**, आई0डी0 को **प्रदर्श क—146**, कागज संख्या—417ग/1 लगायत 417ग/66 को **प्रदर्श क—147** तथा दिये गये प्रमाणपत्र को **प्रदर्श क—148** के रूप में साबित किया है।

46. पी0डब्लू0—30 निरीक्षक राजीव द्विवेदी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 14.09.2014 को वह प्रभारी निरीक्षक थाना—स्वरूप नगर, कानपुर—नगर के पद पर तैनात था। पूर्व विवेचक के स्थानान्तरण के उपरान्त उक्त मुकदमे की विवेचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार उनके द्वारा ग्रहण की गयी थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त उनके द्वारा पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन किया। उन्होंने दौरान विवेचना दिनांक 15.09.2014 को पर्चा सं0—43 किता किया, जिसमें मृतका ज्योति श्यामदसानी के पोस्टमार्टम से प्राप्त लिफाफा,

जिसमें NAILS FROM BOTH HAND WITH HAIR व अन्य प्रदर्श मय नमूना मोहर का पूर्व में तैयार डाकेट एस0आई0 भोलेन्द्र चतुर्वेदी व एस0आई0 शिव कुमार राठौर के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया। विवेचना के अनुक्रम में गवाहों के बयान अंकित किये तथा जिला कारागार, कानपुर में पीयूष व मनीषा को आमने सामने बिठाकर बयान लिया। दिनांक 27.09.2014 को अभियुक्तगण पीयूष, अवधेश, रेनू सोनू आशीष के द्वारा आपस में की गयी वार्ता और उनकी लोकेशन के सम्बन्ध में सह-विवेचक अखिलेश गौड़ द्वारा तैयार किये गये चार्ट का अवलोकन किया। इस साक्षी अपनी साक्ष्य में ने उक्त चार्ट, जो पत्रावली पर कागज सं0-969 लगायत 973 व कागज सं0-968 है, को अपने हस्ताक्षर में होना बताते हुए उसे **प्रदर्श क-151** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्तगण अवधेश, सोनू, रेनू, आशीष, पीयूष की घटना वाले दिनांक 27 / 28.7, दि0 13.07.2014, दि0 20.07.2014, जिनमें हत्या व प्रयास किये गये थे, उनकी सी0डी0आर0 प्राप्त किया था, जिसमें पीयूष व उसके साथियों की काल के विवरण के साथ सम्पूर्ण घटनाक्रम को गूगल मैप के माध्यम से उनकी लोकेशन का चार्ट/नक्शा बनाकर दर्शाया गया है, जिसमें पीयूष के मो0नं0 8090766853 व 9956353535, अवधेश के मो0नं0-8127986342, रेनू के मो0नं0-7784987598, सोनू के मो0नं0-8687580730, आशीष के मो0नं0-8090615770 को मैप में अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित किया गया है। उक्त मैप/नक्शा को साक्षी ने स्वयं के द्वारा तैयार करना बताते हुए **प्रदर्श क-152** के रूप में साबित किया है। अभियुक्त अवधेश, सोनू, रेनू, आशीष, पीयूष की घटना वाले दिनांक 27 / 28.7, दिनांक 13.07.2014, दिनांक 20.07.2014 जिनमें हत्या व प्रयास किये गये थे उनकी सी0डी0आर0 प्राप्त किया था, जिसमें पीयूष व उसके साथियों की काल के विवरण के साथ सम्पूर्ण घटनाक्रम को गूगल मैप के माध्यम से उनकी लोकेशन का चार्ट/नक्शा बनाकर दर्शाया गया है जिसमें पीयूष के मो0नं0 8090766853 व 9956353535, अवधेश के मो0नं0-8127986342, रेनू के मो0नं0-7784987598, सोनू के मो0नं0-8687580730, आशीष के मो0नं0-8090615770 को मैप में अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित किया गया है। उक्त मैप/नक्शा को साक्षी ने स्वयं के द्वारा तैयार करना बताते हुए **प्रदर्श क-152** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि विवेचना के दौरान दिनांक 15.10.2014 को पर्चा नं0-72 काटा गया, जिसमें अभी तक की विवेचना के संकलित साक्ष्यों के आधार पर पीयूष द्वारा पंजीकृत करायी

गयी एफ0आई0आर0 पूर्णतया असत्य एवं गढ़ी हुई कहानी प्रमाणित हो चुकी है। पीयूष द्वारा ही षड्यन्त्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से अपने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी ज्योति की हत्या कर शव को छिपाया गया और अपने द्वारा किये गये अपराध की झूठी सूचना देकर एफ0आई0आर0 मु0अ0सं0-151 / 2014 पंजीकृत करायी गयी है। विवेचना के दौरान पूछताछ में जानकारी हुई कि मनीषा से अपने प्रेम सम्बन्धों के कारण पीयूष द्वारा एक ही सीरीज के मो0नं0-8090766853 व 8090766837 फर्जी नाम व पते से लेकर एक दूसरे के लगातार सम्पर्क में रहे। चूंकि अवधेश, मनीषा का पूर्व का ड्राइवर रह चुका था और दोनों के प्रेम सम्बन्धों के बारे में जानता था, इसलिए पीयूष ने अवधेश व उसके साथियों सोनू आशीष व रेनू के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, जो उनके सभी नम्बरों के सी0डी0आर0 एनालिसिस और उनकी लोकेशन से प्रमाणित है। फील्ड यूनिट द्वारा घटना में संकलित वैज्ञानिक साक्ष्य और गाड़ी की चालक सीट के पीछे से बरामद तीन चाकू उन चार चाकुओं में से थे, जो घटना की पूर्व की तैयारी के अनुसार रेव मोती माल से खरीदे गये थे और घटना से पूर्व पीयूष द्वारा अपनी HONDA ACCORD गाड़ी में चालक की सीट के पीछे रख दिये गये थे। योजना के अनुसार पीयूष ने अपनी पत्नी ज्योति को लेकर अंधा मोड़ पहुंचकर गाड़ी और पत्नी को वहां मौजूद अवधेश और उसके साथियों के सुरुपर्द कर दिया, जहां से वे लोग HONDA ACCORD गाड़ी सहित ज्योति को लेकर चले गये और चालक सीट के पीछे छिपा के रखे गये चाकू से ही गाड़ी में गोद-गोद कर उसकी हत्या कर दी। दिनांक 30.07.2014 को चालक अवधेश की गिरफ्तारी के पश्चात् इन तथ्यों की ओर भी पुष्टि हो गयी कि पीयूष द्वारा धन का प्रलोभन देकर उसको और उसके साथियों को अपनी पत्नी की हत्या के लिये तैयार किया गया था। अवधेश के मो0नं0-8127986342 से पीयूष के मो0नं0-8090766853 से कुल 143 काल और 15 एस0एम0एस0 का आदान-प्रदान हुआ है, जिसकी पुष्टि सी0डी0आर0 से हो चुकी है। विवेचना में संकलित मौखिक साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य, तकनीकी, वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के विरुद्ध धारा 364, 302, 201, 203, 120बी और 34 भा0द0सं0 एवं अभियुक्ता मनीषा के विरुद्ध धारा-302, 201, 120बी भा0द0सं0, अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू सोनू और आशीष के विरुद्ध धारा-364, 302, 201, 404, 120बी व 34 भा0द0सं0 तथा अभियुक्तगण मुकेश श्यामदसानी, कमलेश श्यामदसानी,

ओमप्रकाश श्यामदसानी व अभियुक्ता पूनम श्यामदसानी के विरुद्ध धारा-202 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोपपत्र सं0-50/2014 दिनांक 18.10.2014 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। चूंकि गवाहों की संख्या अधिक है, इस कारण मूल आरोपपत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर द्वारा टाइपशुदा आरोपपत्र कुल 33 वर्क संलग्न सी0डी0 किया गया, जिसे इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर में होना बताते हुए प्रदर्श क-153 व प्रदर्श क-153ए के रूप में न्यायालय में साबित किया है। अभियुक्त अवधेश के मोबाइल सैमसन को वस्तु प्रदर्श-101, डिब्बे को वस्तु प्रदर्श-102, अभियुक्त रेनू के मोबाइल को वस्तु प्रदर्श-103, डिब्बे को वस्तु प्रदर्श-104, अभियुक्त आशीष के मोबाइल ए-62 को वस्तु प्रदर्श-105, डिब्बे को वस्तु प्रदर्श-106, अभियुक्त पीयूष के ब्लैकबेरी मोबाइल को वस्तु प्रदर्श-107 तथा डिब्बे को वस्तु प्रदर्श-108 के रूप में न्यायालय के समक्ष साबित किया है।

47. पी0डब्लू0-31 उपनिरीक्षक रीना गौतम ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वह दिनांक 30.07.2014 को एस ओ शिवकुमार सिंह व महिला कां0 अंजलि सिंह के साथ मनीषा मखीजा के घर गयी थी। वे मनीषा के घर धारा-161 द0प्र0सं0 के बयान हेतु नोटिस देने गयी थी। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि नोटिस देकर मनीषा से बयान हेतु आने को कहा गया था। इसके बाद मनीषा मखीजा अपनी मां के साथ थाने आयी थी, फिर कहा कि मनीषा से पूछताछ के लिये उसे थाने बुलवाया गया था। जब उसने थाने बुलाने के लिये मनीषा से कहा था, तब उसकी गिरफ्तारी नहीं की गयी थी। थाने आने पर मनीषा से पूछताछ की गयी थी। मनीषा मखीजा ने थाने पर आकर बयान दिया था कि उसका पीयूष श्यामदसानी से पीयूष की शादी के पहले से प्रेम सम्बन्ध है। ज्योति की वजह से उनके मिलने जुलने में आपत्ति होती है। इस वजह से पीयूष श्यामदसानी, अवधेश और उनके दोस्त ने मिलकर ज्योति की हत्या का षड्यन्त्र रचा।

48. पी0डब्लू0-32 कां0 5039 करन कुमार सिंह ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 31.07.2014 को वह थाना-स्वरूपनगर में तैनात था। मु0अ0सं0-151/2014 में सम्बन्धित अभियुक्तगण सोनू रेनू अवधेश चतुर्वेदी व आशीष कश्यप थाने के हवालात मर्दाना में निरुद्ध थे। उनसे पूछताछ एस0ओ0 शिव कुमार ने की थी। मुल्जिम सोनू और रेनू के खून से सने कपड़े लिये गये थे, जिसकी फर्द शिव कुमार सिंह के बोलने पर उसने लिखी थी। इस साक्षी ने अभियुक्त सोनू से लिये गये कपड़े एक नीला जीन्स, टी शर्ट ग्रे रंग को न्यायालय में वस्तु प्रदर्श-109

व वस्तु प्रदर्श—110 के रूप में साबित किया है। अभियुक्त रेनू से लिये गये कपड़े सिलेटी रंग की जीन्स व टी शर्ट कीम कलर को न्यायालय के समक्ष वस्तु प्रदर्श—111 व वस्तु प्रदर्श—112 के रूप में साबित किया है तथा सोनू के कपड़े के बण्डल को वस्तु प्रदर्श—113 व रेनू के कपड़े के बण्डल को वस्तु प्रदर्श—114 के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि रेनू व सोनू के कपड़ों को कब्जा पुलिस में लेने की फर्द उसके द्वारा लिखी गयी था एवं हस्ताक्षर किये गये थे। इस साक्षी ने उक्त फर्द को प्रदर्श क—154 के रूप में साबित किया है।

49. पी0डब्लू0—33 सागर रत्नानी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वह कानपुर में मनीषा मखीजा नाम की लड़की से शादी के सम्बन्ध में आया था। लड़की की हाईट कम होने के कारण लड़की भी अनकम्फरटेबल थी और वह भी अनकम्फरटेबल था। इस अनकम्फरटेबल को लेकर मनीषा से उससे कहा कि मेरा मना करना अच्छा नहीं लगेगा, आप मना कर दीजिये। उन दोनों को ही प्राब्लम थी, इसलिये उसने शादी से मना कर दिया। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि कानपुर में विवेचक ने इस घटना के बाबत् उससे पूछताछ की थी तथा दूसरे विवेचक ने दिल्ली में उसके घर जाकर पूछताछ की थी, लेकिन उसका बयान नहीं लिया था। इस साक्षी ने न्यायालय में अपने धारा—164 द0प्र0सं0 को प्रदर्श क—155 के रूप में साबित किया है।

50. पी0डब्लू0—34 प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार सिंह राठौर ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 28.07.2014 को वह बतौर थानाध्यक्ष स्वरूपनगर में तैनात था। उसी दिन वादी मुकदमा पीयूष श्यामदसानी ने अपने पिता व अन्य लोगों के साथ आकर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी, जो पत्रावली पर प्रदर्श क—6 है। यह मुकदमा धारा—323, 147, 302, 364 भा0द0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था। मजरूव पीयूष को मजरूबी चिट्ठी देकर हैलट अस्पताल होमगार्ड शम्भू सिंह के साथ भेजा था। पीयूष श्यामदसानी के कोई जाहिरा चोट नहीं दिख रही थी। दिनांक 28.07.2014 को पीयूष श्यामदसानी का बयान अन्तर्गत धारा—161 दं0प्र0सं0 अंकित किया था, जिसमें उसने बताया था कि वह अपनी पत्नी ज्योति श्यामदसानी के साथ होण्डा एकार्ड कार नं0 यू0पी0—78—बी0आर0—5009 से अपने घर से वराण्डा रेस्टोरेन्ट खाना खाने गया था। समय करीब 11.30 बजे रात जब वह अपने घर वापस जा रहा था तो चार मोटर साइकिल पर सवार 7—8 व्यक्ति सामने से कम्पनी बाग

की ओर रावतपुर स्टेशन की तरफ से आ रहे थे और उसकी गाड़ी में ठोकर मारी तथा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसे गाड़ी से बाहर गिरा दिया तथा 3—4 लोग गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाकर भाग गये, जिसमें उसकी पत्नी बैठी थी। इसके बाद थाने पर अपने पिता के साथ आकर सूचना दी। दिनांक 28.07.2014 को ही उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा अपहृत ज्योति श्यामदसानी के मो0नं0—8960868686 की लोकेशन ई0 ब्लाक पनकी की मिली, वहां जाकर देखा तो कार नं0 यू0पी0—78—बी0आर0—5009 ई ब्लाक के पीछे खड़ी मिली। वादी उस समय उसके साथ था, जिसने अपनी कार पहचान ली। कार में एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी, कार के शीशे तोड़कर महिला के शव को बाहर निकाला गया तथा उसे हैलट अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कम्पनी बाग व रावतपुर तिराहे के बीच के घटनास्थल को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए **प्रदर्श क-156** के रूप में साबित किया है। जहां वादी की कार खड़ी थी, जिसमें मृतका का शव था, उस स्थान का नक्शा नजरी भी इस साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जाना बताया है तथा उक्त नक्शा नजरी को **प्रदर्श क-157** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना के सम्बन्ध में Reconstruction scene of crime का नक्शा नजरी जो अभियुक्त अवधेश, रेनू सोनू व आशीष की निशानदेही पर बनाया गया, उसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-158**, मोटर साइकिल सं0 यू0पी0—78—बी0वाई—4588 के बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी जो आशीष की निशानदेही पर बनाया गया था, को इस साक्षी ने **प्रदर्श क-159** के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त मुल्जिम रेनू एवं सोनू की निशानदेही पर चाकू बरामदगी से सम्बन्धित स्थल के नक्शा नजरी को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए उसे **प्रदर्श क-160** के रूप में, मुरारीलाल चेर्स्ट अस्पताल के बगल में स्थित मैगी फार्स्ट फूड की दुकान, जहाँ अभियुक्तगण रेनू, सोनू, अवधेश व आशीष द्वारा मैगी खायी गयी थी, के नक्शा नजरी को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए **प्रदर्श क-161** के रूप में, अभियुक्तगण रेनू व अवधेश की निशानदेही पर रेव मोती बिग बाजार के प्रथम तल, जहाँ से चाकू खरीदी गयी थी, के नक्शा नजरी को अपने लेख व हस्ताक्षर में **प्रदर्श क-162** के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि वराण्डा रेस्टोरेन्ट व रैना मार्केट स्थित बीयर शाप पर अभियुक्तगण अवधेश, रेनू, सोनू व आशीष को पीयूष द्वारा उ

टना वाले दिन बुलाया गया था। उक्त स्थान का नक्शा नजरी इस साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करना बताते हुए उसे प्रदर्श क-163 के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने जहाँ से गाड़ी को हाईजैक किया गया, उस स्थान अन्धा मोड़ के नक्शा नजरी को अभियुक्तगण अवधेश, रेनू सोनू व आशीष की निशानदेही पर तैयार किया जाना बताया है, जिसे इस साक्षी ने प्रदर्श क-164 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि दिनांक 06.08.2014 को अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी की टी-शर्ट कब्जा पुलिस में ली गयी थी, जिसकी फर्द एस0आई0 भोलेन्द्र चतुर्वेदी से बोलकर मौके पर लिखायी गयी, जिस पर हस्ताक्षर बनाये गये। इस साक्षी ने उक्त फर्द को प्रदर्श क-165 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 06.08.2014 को अभियुक्ता मनीषा मखीजा के मकान पर उसके कमरे की तलाशी में केवल एक सिम आइडिया कम्पनी का कटा हुआ बिना नम्बर का बरामद हुआ तथा उसकी भी फर्द मौके पर तैयार कर उस पर अभियुक्ता मनीषा, जनता के गवाहान एवं भोलेन्द्र चतुर्वेदी के हस्ताक्षर कराये गये। इस साक्षी ने उक्त फर्द को प्रदर्श क-166 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया व आशीष कश्यप की गिरफ्तारी के दौरान जामा तलाशी से प्राप्त मोबाइल सैमसन व माइक्रोसैक्स मिले थे, जिन्हें रपट सं0-59 समय 20.55 बजे मालखाने से निकलवाया गया व सील कर नमूना तैयार किया गया, जिसकी फर्द उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस साक्षी ने उपरोक्त फर्द को प्रदर्श क-167 के रूप में साबित किया है। अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी से गिरफ्तारी के समय बरामद एक मोबाइल ब्लैकबेरी मालगृह से निकालकर उसकी फर्द भी उसके द्वारा मौके पर तैयार की गयी। इस साक्षी ने उक्त फर्द को प्रदर्श क-168 के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी की मां पूनम श्यामदसानी द्वारा प्रयोग किये मोबाइल एप्प्ल की फर्द को इस साक्षी ने प्रदर्श क-169 के रूप में साबित किया है। अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी व ज्योति के बेडरूम की तलाशी पर एक अदद मेमोरी कार्ड सोनी, वाई-फाई कनेक्शन मेमोरी कार्ड, पीयूष व ज्योति के इलाज से सम्बन्धित चार अदद पर्चे, एक्स-रे प्लेट, अभियुक्त ओमप्रकाश श्यामदसानी की पुत्री हितैषी के कमरे से एक अदद लैपटाप आदि बरामद हुआ, जिसकी फर्द एस0आई0 रामप्रकाश से बोलकर लिखाई गयी, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। उक्त फर्द को इस साक्षी ने प्रदर्श क-170 के रूप में

साबित किया है। अभियुक्तगण रेनू व सोनू के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी उनकी निशानदेही पर की गयी तथा उसकी फर्द भी तैयार की गयी, जिसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-171** के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने चाकू को वस्तु **प्रदर्श-109**, पालीथीन को वस्तु **प्रदर्श-110**, कपड़े को वस्तु **प्रदर्श-111**, न्यायालय के समक्ष सीलबण्डल से निकले जीन्स, टी-शर्ट तथा कपड़े को वस्तु **प्रदर्श-112** लगायत वस्तु **प्रदर्श-115**, तथा डार्क कीम कलर की टी-शर्ट को वस्तु **प्रदर्श-116** तथा कपड़े को वस्तु **प्रदर्श-117** के रूप में न्यायालय के समक्ष साबित किया है।

51. पी0डब्लू0-35 हेड कां0 902 ओम प्रकाश ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 05.08.2014 को वह थाना-स्वरूप नगर, कानपुर-नगर में तैनात था। उस दिन रपट सं0-22 समय 10.30 बजे थानाध्यक्ष व अन्य हमराहियों के साथ जनता के गवाहान जितेन्द्र एवं अमित कुमार के साथ अभियुक्तगण रेनू सोनू एवं आशीष को साथ लेकर बरामदगी आला कत्ल चाकू व मोटरसाइकिल हेतु कल्यानपुर पनकी रोड से लोधेश्वर मंदिर की ओर गये तो अभियुक्तगण रेनू व सोनू ने झाड़ियों के बीच से चाकू बरामद कराया तथा बताया कि यह वही चाकू है, जिससे बारी-बारी से उन लोगों ने ज्योती की हत्या की थी। कथित बरामदगी की फर्द मौके पर समक्ष गवाहान तैयार की गयी थी।

52. पी0डब्लू0-36 हेड कां0 223 बृजकिशोर दीक्षित ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 05.08.2014 को थाना स्वरूप नगर, कानपुर-नगर में कां0 मोहर्रिर के पद पर तैनात था। मु0अ0सं0-155/2014, धारा-4/25 आयुध अधिनियम की चिक एफ0 आई0 आर0 उसके द्वारा लिखी गयी थी तथा उसका तस्करा जी0डी0 सं0-45 समय 22.05 पर उसके साथ तैनात है0कां0 153 केशव कटियार द्वारा रोजनामचा आम पर की गयी थी, जिसके लेख व हस्ताक्षर को वह पहचानता है। इस साक्षी ने उपरोक्त चिक एफ0आई0आर0 को **प्रदर्श क-172** व जी0डी0 को **प्रदर्श क-173** के रूप में साबित किया है।

53. पी0डब्लू0-37 प्रभारी निरीक्षक रामप्रकाश ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 05.08.2014 को वह उपनिरीक्षक थाना-स्वरूप नगर, कानपुर-नगर के रूप में तैनात था। मु0अ0सं0-155/2014, धारा-4/25 आयुध अधिनियम की विवेचना उनके द्वारा की गयी थी। उनके द्वारा विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त साक्षियों का बयान अंकित किया गया तथा मौके का नक्शा नजरी तैयार

किया गया। नक्शा नजरी उसके लेख व हस्ताक्षर में है। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण रेनू व सोनू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इस साक्षी ने उपरोक्त नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र को **प्रदर्श क-173** व **प्रदर्श क-174** के रूप में साबित किया है।

54. अभियोजन पक्ष ने धारा 311 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवेचक श्री शिव कुमार सिंह राठौर को परीक्षित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर अभियोजन ने विवेचक शिव कुमार सिंह राठौर को परीक्षित कराया जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 21.09.2022 को अंकित करायी। मुख्य परीक्षा के जरिये उक्त साक्षी ने यह कथन किया कि मैं कानपुर में थाना इंचार्ज स्वरूप नगर में नियुक्त था। अपराध संख्या 151 / 2014 की विवेचना मैंने प्रारम्भ की थी। मैंने अभियुक्त अवधेश, रेनू, सोनू आशीष इत्यादि के साथ अन्य मुलिजमों को गिरफ्तार किया था। अवधेश के पास से गिरफ्तारी के समय पैन कॉर्ड, डी.एल, ब्लड डोनेशन कॉर्ड, पी.एन.बी. में दो हजार रुपये जमा पर्ची तीन फोटो, ए.टी.एम. कार्ड व एक सैमसंग मोबाइल बरामद किया था। इसका उल्लेख जी.डी. नम्बर 63 समय 21:55 दिनांक 30.07.2014 में किया है। असल जी.डी. समयावधि पाँच वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण नष्ट की जा चुकी है। आज मैं अपने साथ रिकॉर्ड कीपर पुलिस कमिशनर के ऑफिस से पैरोकार द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण—पत्र लाया हूँ जो दाखिल कर रहा हूँ जिस पर **प्रदर्श क-176** डाला गया। स्वरूप नगर थाने पर डुप्लीकेट केस डायरी में संलग्नक जी.डी. की छायाप्रति साथ लाया हूँ। जी.डी. पर **प्रदर्श क-177** डाला गया। इसी क्रम में साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जी.डी. नम्बर 2 समय 00:30 दिनांक 31.07.2014 में अभियुक्त आशीष कश्यप, रेनू व सोनू की गिरफ्तारी का उल्लेख है। अभियुक्त रेनू से सैमसंग मोबाइल तथा अभियुक्त आशीष से माइक्रोमैक्स मोबाइल बरामद किया गया। इसका इसी जी.डी. में उल्लेख है। मूल जी.डी. मेरे हाथ से लिखी हुई है। तत्समय मैं एस.ओ. स्वरूप नगर था तो मेरे द्वारा किता की गयी केस डायरी की मूल प्रति संलग्नक के जिसमें जी.डी. भी थी, की छायाप्रति करके मालखाने में सुरक्षित रखकर गया था। आज ये जी.डी. मैं थाना स्वरूप नगर के मालखाने से निकालकर लाया हूँ जो जी.डी. मैं आज न्यायालय में दाखिल कर रहा हूँ। वह असल के मुताबिक सही है। ओरिजनल जी.डी. मैंने हाथ से लिखी थी। उसी की प्रति मैं दाखिल कर रहा हूँ जो असल के मुताबिक सही है जिस पर **प्रदर्श क-178** डाला गया।

55. न्यायालय साक्षी सी0डब्लू0-1 मधु वलूसू ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि कागज सं0-1828 उसने विवेचक को दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है और कवरिंग लेटर उसने बनाया था, जिसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-140** के रूप में साबित किया है। कागज सं0-1832 से 1840 तक मोबाइल नं0-8687145104 का काल डिटेल है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा जिसे उसने विवेचक को दिया, जिसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-141** के रूप में, कागज सं0-1910 विवेचक को दिया था, जिसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-142** के रूप में, कागज सं0-184. से 1909 तक सी0डी0आर0 मोबाइल नं0-8687580730 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसे विवेचक को दिया था तथा जिसे इस साक्षी ने **प्रदर्श क-147** के रूप में तथा कागज सं0-771 मोबाइल नं0-8687580730 की सी0डी0आर0 को प्रदर्श क-149 के रूप में न्यायालय के समक्ष साबित किया है।

56. न्यायालय साक्षी सी0डब्लू0-2 हेड कां0 95 तेज बहादुर सिंह ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि न्यायालय द्वारा प्राप्त प्रोसेस के अनुक्रम में अभियुक्त ओम प्रकाश श्यामदसानी की मृत्यु आख्या के सम्बन्ध में रिपोर्ट थाने से चाही गयी थी। उक्त प्रासेस के तामीला हेतु वह अभियुक्त के पते पर गया तो घर पर मौजूद परिजनों ने बताया कि ओम प्रकाश श्यामदसानी की मृत्यु दिनांक 28.10.2018 को हो चुकी है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति परिजनों द्वारा उपलब्ध करायी गयी। अभियुक्त ओम प्रकाश श्यामदसानी की मृत्यु आख्या प्रभारी निरीक्षक थाना-स्वरूप नगर से दिनांक 08.05.2019 को अग्रसारित कराकर न्यायालय में दाखिल की थी। इस साक्षी ने अभियुक्त ओमप्रकाश श्यामदसानी की मृत्यु के सम्बन्ध में कथन करते हुए उक्त अभियुक्त की मृत्यु आख्या अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए मृत्यु आख्या को प्रदर्श क-155 तथा मृत्यु प्रमाणपत्र की छाया प्रति को प्रदर्श क-156 के रूप में साबित किया है।

57. बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी0डब्लू0-1 अजीत कश्यप ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि सी0एल0के0 प्रोवीजन स्टोर के नाम से उसके घर में ही बहुत छोटी दुकान हाते के अन्दर है। आशीष कश्यप उसका सगा ममेरा भाई है। घटना दिनांक 07.07.2014 दिन रविवार को वह रोज की तरह अपनी दुकान बन्द करके रात साढ़े दस बजे पाण्डुनगर चौराहे पर अभियुक्त आशीष कश्यप, भाई सूरज व सुशील आदि के साथ पाण्डु नगर चौराहे पर खड़ा था, लगभग आधे घंटे तक वे सभी (आशीष कश्यप) (सहित) वहाँ रहे थे और फिर उसके बाद खाना खाने और

सोने अपने—अपने घर चले गए थे। दिनांक 30.07.2014 दिन बुधवार को अभियुक्त आशीष कश्यप को सुबह साढ़े तीन बजे पुलिस सोते से जगाकर पकड़ ले गयी थी, तब उसे पता चला था कि शहर की चर्चित घटना में आशीष को झूंठा फँसाया गया है। आशीष का कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। आशीष लोगों की मदद करने वाला अच्छे स्वभाव का लड़का है।

58. बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी0डब्लू0-2 सूरज कश्यप ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि आशीष कश्यप अभियुक्त उसके मामा का लड़का है। यह दुकान वह और उसके भइया अजीत कश्यप मिलकर चलाते हैं। घटना दिनांक 27 जुलाई 2014 दिन रविवार की है। उस दिन आशीष दिन में उसके साथ नहीं था। रात में करीब 8.00 बजे उसकी दुकान पर था। वह उसकी दुकान रात्रि 10.30 बजे बन्द होने के बाद तक साथ रहा। दुकान बन्द होने के बाद वे हाते से बाहर निकले और पाण्डु नगर चौराहे पर गए। वे पाण्डु नगर चौराहे से जब लाईट आ गयी, तब करीब पौने बारह बजे रात्रि वे घर को गए थे। उस समय उसके साथ आशीष और मोहल्ले का एक लड़का था। मेरे भाई अजीत खाना खाने के लिए घर जा चुके थे। आशीष को पुलिस 30 जुलाई 2014 को दिन बुधवार को ले गयी थी। समय रात्रि के 3.00 बजे होंगे जब पहली बार पुलिस आशीष को ले गयी थी। आशीष का कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा। आशीष की अच्छी छवि है। वह नहीं बता सकता कि आशीष को सही फँसाया गया या गलत। वह ऐसा लड़का नहीं है। वह जागरण व भण्डारा कमेटी के माध्यम से करवाया करता था।

59. बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी0डब्लू0-3 मुकेश श्यामदसानी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि स्व0 ओमप्रकाश श्यामदसानी उसके पिता थे तथा कमलेश भइया उसके ताऊ के लड़के हैं। श्रीमती पूनम उसकी माताजी हैं तथा ज्योति उसके भाई पीयूष की पत्नी थी। पीयूष का विवाह ज्योति के साथ दिनांक 28.11.2012 को किंग्सटन लान कैन्ट, कानपुर में हुआ था। ज्योति के घरवाले मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं। विवाह धूमधाम से हुआ था। विवाह के मौके पर फोटोग्राफी, फोटोग्राफर के द्वारा की गयी थी तथा फोटो खींची गयी थी। विवाह समारोह से एक दिन पहले कानपुर में मंगनी की रस्म कर दी गयी थी, उसमें भी फोटो खींचे गये थे। विवाह और मंगनी के पहले दिनांक 24.06.2012 को जबलपुर में ज्योति के पिता शंकर नागदेव ने रोका कार्यक्रम किया था, जिसमें वे लोग व पीयूष गये थे। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि विवाह की

बातचीत के उपरान्त ज्योति और पीयूष कानपुर, जबलपुर व देहली में बराबर एक दूसरे से मिलते रहे हैं व देहली में शापिंग भी की थी। पीयूष की शादी की प्रथम वर्षगांठ ज्योति के साथ कानपुर क्लब में मनायी गयी थी, उसमें भी फोटोग्राफी की थी। एक किटी पार्टी का भी कार्यक्रम हुआ था, जो जुलाई 2014 में हुआ था। इस साक्षी ने रोका कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स को क्रमशः प्रदर्श ख-1 लगायत ख-9, फोटो संख्या 1, 2 व 3 को क्रमशः प्रदर्श ख-10 लगायत ख-12 के रूप में, कागज संख्या-555ख/7 लगायत 555ख/18 तक जो फोटो हैं, उन्हें क्रमशः प्रदर्श ख-13 लगायत प्रदर्श ख-36 के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि कागज संख्या-555ख/19 लगायत 555ख/29 में दिए गए फोटो में पीयूष व ज्योति हैं तथा दोनों परिवार के लोग व अन्य रिश्तेदार हैं, उन्हें इस साक्षी ने क्रमशः प्रदर्श ख-37 लगायत प्रदर्श ख-58 के रूप में, कागज संख्या संख्या-555ख/20 लगायत 555ख/37 में फोटोग्राफ मलेशिया के लिए गए थे, वे पीयूष और ज्योति के हैं, उन्हें इस साक्षी ने क्रमशः प्रदर्श ख-59 लगायत प्रदर्श ख-73 के रूप में, कागज संख्या-555ख/38 लगायत 555ख/42, जिनमें पीयूष और ज्योति की तस्वीरें हैं, उन्हें इस साक्षी ने क्रमशः प्रदर्श ख-74 लगायत प्रदर्श ख-83 के रूप में, कागज संख्या-555ख/44 लगायत 555ख/50 पर जो फोटो हैं, इनमें पीयूष के, ज्योति के एनिवर्सरी केक के तथा सारे परिवार के लोगों के फोटो हैं, जिन्हें इस साक्षी ने क्रमशः प्रदर्श ख-84 लगायत प्रदर्श ख-97 के रूप में, कागज संख्या-555ख/51 लगायत 555ख/54 पर अन्य समारोह के फोटो हैं जिनमें पीयूष व ज्योति हैं, उन्हें इस साक्षी ने क्रमशः प्रदर्श ख-98 लगायत प्रदर्श ख-105 के रूप में तथा कागज संख्या-555ख/43 पर जो फोटो है, वह शंकर नागदेव ने साक्षी के सामने प्रिन्ट आउट निकालकर दिए थे, उन्हें इस साक्षी ने क्रमशः प्रदर्श ख-106 लगायत प्रदर्श ख-107 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि विवाह के बाद से ज्योति व पीयूष काफी खुश रहते थे तथा उनमें कोई मतभेद नहीं था। अक्सर वे लोग घूमने-फिरने, खाने-पीने व पिकनिक का प्रोग्राम बनाते थे और जाते भी थे। उसके मकान के बगल में हरीश मखीजा रहते हैं, उनके तीन बच्चे लड़की हैं व एक लड़का है। उनके परिवार व इसके परिवार के बीच सम्बन्ध हैं। तीज त्यौहार में एक दूसरे के यहां आते जाते हैं। विवाह के कुछ दिन बाद पता चला कि शंकर नागदेव, उनके लड़के व उनके परिवार वाले बहुत लालची हैं। ये लोग अक्सर ज्योति से पैसे

मंगवाने के लिये कहते थे। इस साक्षी के अनुसार घटना वाले दिन वह अपने पिता ओमप्रकाश जी के साथ अर्थात् 27.07.2014 को श्रमशक्ति ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। स्टेशन ट्रेन के समय से 10 मिनट पहले कानपुर सेन्ट्रल पहुंचा था, उस समय ट्रेन के छूटने का समय 11.45 पी0एम0 था। गाड़ी में वह और उसके पापा बैठ गए थे। बैठने के बाद पापा ने मम्मी पूनम को फोन मिलाया था कि वे लोग सकुशल बैठ गए हैं। दो चार मिनट के बाद ही पीयूष का फोन 9956353535 से उसके मोबाइल नम्बर 7408211111 पर आया और उसने बताया कि भइया ज्योति का कार सहित अपहरण हो गया है और वह बहुत घबराया हुआ था और रो रहा था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने यह बात पिता जी को बतायी और वे तुरन्त ट्रेन से उतर गए। इस साक्षी के अनुसार पिता जी ने पीयूष को भी फोन किया, तो उसने बताया कि ज्योति नहीं मिल रही है। वह थाना स्वरूप नगर जा रहा है, आप लोग भी वहां पहुंचिए। थोड़ी देर में वे लोग थाना—स्वरूप नगर पहुंच गए, तो वहां देखा कि पीयूष, अभिनव पोददार से घटना की तहरीर लिखवा रहा था। कानपुर से दिल्ली जाने की जो टिकट थी, उसकी पवकी नकल वह दाखिल कर रहा है। इस साक्षी ने कागज संख्या—552ख/1 व 555ख/2 को प्रदर्श ख—108 एवं ख—109 के रूप में, कागज संख्या—550ख/2 को प्रदर्श ख—110 के रूप में, कागज संख्या—553ख/2, 553ख/3 व 553ख/4 को प्रदर्श ख—111, ख—112 एवं ख—113 के रूप में साबित किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि इलाज के सिलसिले में डा० जुनेजा डायग्नोस्टिक सेन्टर पर जो रिपोर्ट थी, वह कागज संख्या—553ख/1, 553ख/4, 553ख/5, 553ख/6, 553ख/7 एवं 553ख/8 हैं, जिन्हें इस साक्षी ने वस्तु प्रदर्श ख—1 लगायत वस्तु प्रदर्श ख—6 के रूप में साबित किया है।

60. बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी०डब्लू०—४ डा० एस० के० जुनेजा ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 31.05.2013 को उसने ज्योती नाम के मरीज को देखा था, जो अपने फेमली मेम्बर के साथ आयी थी। ज्योती नाम की मरीज उसके पास आती थी, उसके बच्चा नहीं हो रहा था, तो बच्चा चाहती थी, उस इलाज के लिए आती थी। प्रदर्श ख—111, प्रदर्श ख—112 व प्रदर्श ख—113 जो उसके लिखे प्रिस्क्रिप्शन हैं, वह उसने ही लिखे थे, अपने लेख की शिनारूत किया। वह विभिन्न तारीखों पर ज्योती को देखती रही है, उसी के आधार पर उसने प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया था। डाइग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउण्ड पेट का और खून की

जांच (हारमोन्स) की करायी थी। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट प्रदर्श-1 उसके सामने है तथा ब्लड रिपोर्ट प्रदर्श-2, प्रदर्श-3, प्रदर्श-4 तक प्रदर्श-5 मेरे सामने हैं। इन प्रदर्शों का अवलोकन किया, उसी के आधार पर नुस्खे लिखे थे।

61. बचाव पक्ष द्वारा अपने पक्ष में डी.डब्लू. 5 के रूप में शवाब हैदर कनिष्ठ सहायक, जिला कारागार, कानपुर नगर को परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा के माध्यम से यह कथन किया है कि जेल दाखिला रजिस्टर मूल रूप से न्यायालय में लाया हूँ। अभियुक्त सोनू रेनू आशीष कश्यप, अवधेश चतुर्वेदी, मनीष मखीजा का जेल दाखिला सीरियल नम्बर 56 समय 18:31 मिनट दिनांक 31.07.2014 दिन गुरुवार को पेज नम्बर 279 पर किया गया। इस मूल रजिस्टर की छायाप्रति जो कि मूल की हूबहू है, आज मैं दाखिल कर रहा हूँ जिस पर प्रदर्श ख-114 डाला गया। दिनांक 19.09.2022 का पत्रांक 3868/जन सूचना अधिनियम/2022 हमारे कार्यालय द्वारा जारी किया गया है जिस पर प्रदर्श ख-115 डाला गया है। दिनांक 19.09.2022 को आवेदक आशीष कश्यप पुत्र कमलेश कश्यप द्वारा मांगी गयी सूचना के उत्तर में विचाराधीन बन्दीगण मनीष मखीजा, रेनू अवधेश चतुर्वेदी, आशीष कश्यप, सोनू को थाना स्वरूप नगर, कानपुर नगर की पुलिस द्वारा दिनांक 31.07.2014 को समय 18:31 बजे कारागार में निरुद्ध किये जाने का प्रमाण जारी किया गया है जिस पर प्रदर्श ख-116 डाला गया है।

62. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक से इन्कार किया गया तथा सम्पूर्ण अभियोजन कार्यवाही को फर्जी, काल्पनिक होना बताया। साथ ही साथ यह भी कथन किया है कि सम्बन्धित पुलिस द्वारा गलत विवेचना कर गुडवर्क दिखाने के लिए फर्जी कार्यवाही किया है। साथ ही साथ अभियुक्तगण ने धारा 313 (5) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत विस्तृत लिखित कथन भी प्रस्तुत किया है।

63. बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी ने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के पश्चात लिखित बयान अन्तर्गत धारा 313 (5) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से संक्षेप में यह कथन किया है कि मैं बेकसूर है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मृतका के पिता शंकर नागदेव ने साजिश करके झूठा फँसाया है जिस प्रकार से घटना होना बता रहे हैं, उस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। शंकर नागदेव व उनका परिवार मध्य प्रदेश बीजेपी पाटी के सक्रिय सदस्य हैं।

व प्रभावशाली लोग हैं। कथित घटना के उपरान्त शंकर नागदेव ने घटना के तुरन्त बाद से ही प्रथम प्रयास किया था कि परिवार को दहेज हत्या के मुकदमे में फँसाकर उगाही की जाए। शंकर नागदेव ने उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस अधिकारियों पर नाजायज दबाव बनाकर मुझे व मेरे परिवार को फँसाने की योजना बनायी और उच्च अधिकारियों को तफ्तीश के लिए सरकार से नियुक्ति करायी। विचित्र रूप से पूरे मुकदमे की विवेचना बहुत से पुलिस अधिकारियों को लगाकर तफ्तीश करायी जिन्होंने जो भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं, वह न्यायसंगत नहीं है, विधिक रूप से मान्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि मेरे साथ बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जब मैं वराण्डा रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकला तब कुछ बदमाश जब मैं अपनी पत्नी ज्योति के साथ गाड़ी के मौजूद था, मुझे गाड़ी से धक्का देकर उतार दिया, मेरी पत्नी का गाड़ी समेत अपहरण कर ले गये और उसके बाद मेरी पत्नी जो भी जेवर पहने थी, बदमाश जो संख्या में कई थे, लूटकर हत्या कर दी और पत्नी को मय कार के पनकी एरिया में कार को छोड़कर भाग गये। जब ज्योति घायल अवस्था में मिली है तो उसके पास कोई जेवर नहीं था। मैं सदमे में हो गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपहरण के तुरन्त बाद पुलिस व अपने परिवार को सूचित करूँ ताकि ज्योति का तुरन्त पता चल सके। मेरे पास घटना के समय स्वाती बिस्कुट कम्पनी का मोबाइल नम्बर 9956353535 जो कम्पनी के पॉर्टनर राम जसनानी के नाम है जो कम्पनी के कर्मचारियों के प्रयोग में रहता था, बिजनेस डीलिंग के लिए, वह मेरे पास था। मैंने व मेरी पत्नी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से वराण्डा रेस्टोरेंट में खाना खाया था वहाँ से जाते समय कोई आभास भी नहीं था कि इस प्रकार की दुर्घटना हो जायेगी। मैंने मोबाइल नम्बर 9956353535 से सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को सूचित किया, उस समय पता चला कि पिता ओम प्रकाश व भाई मुकेश दिल्ली जाने के लिए स्टेशन में ट्रेन पर थे, उनसे तुरन्त रुकने के लिए कहा। मैं बहुत परेशान था, मेरे पिता ओम प्रकाश ने घबराकर तुरन्त सौ नम्बर पर पुलिस को सूचित किया। मैंने तत्काल ही अपने को संतुलित करने के उपरान्त अपने साथी अभिनव पोददार को थाने बुलाकर घटना की रिपोर्ट थाना स्वरूप नगर में लिखायी। रिपोर्ट कराते समय ही मेरे पिता जी व भाई थाने आ गये। रिपोर्ट जिस प्रकार घटना हुई थी, उसी प्रकार बोलकर व अपने दस्तखत बनाकर थाने में लिखाया था जो पत्रावली पर इंग्जी0 क-37 है जो घटना एफ.आई.आर. में लिखायी गयी है, वह अक्षरशः सही है। वास्तविकता यह है कि मैंने ही ज्योति को मोबाइल

करकर उसके मोबाइल पर बात करना चाहा तो पुलिस को उसकी लोकेशन पता चली तथा ज्योति की तलाश करने में पूरा सहयोग किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने मनगढ़न्त एवं फर्जी मोबाइल नम्बर से मेरा सम्पर्क मुकदमे में लिप्त अन्य अभियुक्तों से दिखाने का प्रयत्न किया है और मेरे नाम से एक फर्जी मोबाइल जो कथित रूप से मोबाइल नम्बर 8090766853 जो बांदा के किसी शंकर लाल के नाम है व एक अन्य नम्बर मनीषा का 8090766837 सम्पर्क स्थापित करने को दर्शाया है, यह सब फर्जी है। कथित रूप से अभियुक्त अवधेश का नम्बर 8127986342, सोनू का नम्बर 8687580730, रेनू का कथित नम्बर 7784987598 व 8687745104 से सम्पर्क करना बताया जा रहा है जब कि वास्तविकता यह है कि अभियुक्तों के उपरोक्त के नाम नम्बर नहीं हैं और न ही कथित नम्बर मेरा है बल्कि अन्य व्यक्तियों के नम्बर हैं जिनके नाम भी तफ्तीश के दौरान आये हैं। इन्हीं नम्बरों के आधार पर घटना स्थल के आसपास एवं जहाँ लाश पायी गयी है, उसके आसपास मोबाइल की मौजूदगी व अभियुक्तों की मौजूदगी व सम्पर्क करने के मानचित्र बनाये गये हैं। यह विधिवत तरीके से मनगढ़न्त व गलत एवं फर्जी हैं। टावर की लोकेशन के अनुसार बिल्कुल गलत हैं। कथित मोबाइल की बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के पास से बरामदगी के सम्बन्ध में विवेचना के दौरान कोई भी साक्ष्य नहीं हैं न ही बरामदगी के सम्बन्ध में कोई बरामदगी का गवाह पेश किया गया है। आई.टी. एक्ट के अनुसार कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया है, फर्जी प्रमाण—पत्र दाखिल किये गये हैं। अभियुक्त मनीषा मखीजा मेरे मकान के बिल्कुल नजदीक रहती है, उससे मेरे कोई प्रेम सम्बन्ध नहीं हैं। उससे जो भी मोबाइल से वार्ता हुई है, वो पारिवारिक रूप से उससे व उसके घर वालों से व्यवहारिक रूप से व घरेलू सम्बन्ध होने के नाते हुई है। मेरे ज्योति से सम्बन्ध बहुत अच्छे थे, मैंने कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी थी, उसे हरसम्भव सुख—सुविधा प्रदान कर दी थी। बच्चा न होने के कारण डा० एस.के. जुनेजा को दिखाया जा रहा था, उसे 22.04.2013 से 01. 04.2014 को डाक्टर को दिखाया गया है। शंकर नागदेव ने शुरू से ही रूपयों की मांग शुरू की थी और करोड़ों रूपये की यहाँ तक कि उसका कहना था कि हमारे पुत्रों विशेष, हितेष को बड़ी—बड़ी फैकट्री लगवा दो, मैं कोई कार्यवाही नहीं करूँगा। अभियुक्त पीयूष ने यह भी लिखित कथन किया है कि पुलिस ने यह चाहते हुए भी कि जब कि मेरे शरीर पर कुछ अन्दरूनी व जाहिरा चोटें थी, जानबूझकर डाक्टरी मुआयना नहीं कराया और उल्टा इल्जाम लगा दिया कि मैंने स्वयं डाक्टरी मुआयना नहीं कराया। जिस गाड़ी

पर घटना होना कहा जा रहा है, कुछ डेंट आयी थी जिनको पुलिस के गवाहों ने स्वीकारा किन्तु उसका मुआयना नहीं कराया गया। मुकदमे में लिप्त अभियुक्त अवधेश, सोनू आशीष व रेनू से मेरे कोई सम्बन्ध नहीं है न ही मैं घटना के समय उनको जानता था न ही मेरा फोन से कोई सम्पर्क हुआ है। पुलिस का यह कहना कथित घटना स्थल पर कोई घटना नहीं, उससे सम्बन्धित आवश्यक साक्ष्य होते हुए भी पेश नहीं किया जब कि इस तथ्य के गवाह मौजूद थे जिन्होंने घटना होते हुए देखा है।

64. इसी क्रम में अभियुक्त सोनू कश्यप ने भी अपना लिखित कथन प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि मेरे पास से दौरान विवेचना मुकदमे से सम्बन्धित किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई थी। मेरे पास से कोई मोबाइल दौरान गिरफ्तारी बरामद नहीं हुआ था। मेरे नाम से न तो कोई सिम था न ही तथाकथित मोबाइल सेट का आई.एम.ई.आई नम्बर मेरे नाम से था न ही कैफ फार्म पर मेरे हस्ताक्षर, फोटो व आईडी० पायी गयी थी। मुकदमे के विवेचक सह विवेचकों द्वारा मेरी भिन्न-भिन्न स्थानों पर घटना से सम्बन्धित तथाकथित उपस्थिति फर्जी दर्शायी गयी है। विवेचक द्वारा शामिल किये गये पत्रावली में गूगल मैप, सी.डी.आर. व धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण-पत्र फर्जी दाखिल किए गए हैं। अन्य सह अभियुक्तगण से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, मुझे झूठा फँसाया गया है।

65. अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी ने भी अपने लिखित कथन 313 (5) दं०प्र०सं० के द्वारा अपने पास से मोबाइल की बरामदगी से इन्कार किया है। यह कथन किया है कि मेरे नाम से न तो कोई सिम था न ही तथाकथित मोबाइल सेट का आई.ई.एम.आई. नम्बर मेरे नाम से था, न ही कैफ फार्म पर मेरे हस्ताक्षर, फोटो व आई.डी. पायी गयी थी। मेरी निशांदेही पर आलाकत्त्व चाकू की बरामदगी पुलिस द्वारा फर्जी, झूठी दर्शायी गयी है। मुकदमे के विवेचक, सह विवेचकों द्वारा मेरी भिन्न-भिन्न स्थानों पर घटना से सम्बन्धित तथाकथित उपस्थिति फर्जी दर्शायी गयी है। मेरे द्वारा रेव मोती मॉल बिग बाजार रावतपुर, कानपुर से तथाकथित तिथियों को चाकू खरीदने का स्टेटमेंट विवेचक को दिया जाना फर्जी मनगढ़न्त है। मेरे मुकदमे के अन्य सह अभियुक्तगण से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे विरुद्ध सारे प्रपत्र रिकवरी मेमो, फर्जी, झूठे व मनगढ़न्त तैयार किये गये हैं।

66. अभियुक्त मुकेश श्यामदसानी द्वारा भी बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के पश्चात धारा 313 (5) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत लिखित कथन प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि, दिनांक 27.07.2014 को मैं मुकेश

श्यामदसानी व मेरे पिता ओम प्रकाश श्यामदसानी श्रमशक्ति एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर बैठे थे और बैठने के बाद मेरे पिता जी ने मॉ को फोन किया कि हम लोग ट्रेन में सकुशल बैठ गये हैं, मेरा रिजर्वेशन कोच एच-01 में बर्थ नम्बर 11 व 12 थी। टिकट टी.टी ने चेक कर लिया था, ट्रेन के छूटने में कुछ विलम्ब था, गाड़ी छूटने से पहले पीयूष का मेरे मोबाइल पर फोन आया। पीयूष ने घटना के समबन्ध में मुझे बताया और मैंने पिता जी को बताया। यह बात सुनकर मैं और मेरे पिता जी ट्रेन से उत्तर गये और रेलवे की पार्किंग स्टैण्ड पर आ गये जहाँ पर मेरी कार यू पी 78 सी ई 9005 खड़ी थी। मेरे पिता जी ने सौ नम्बर पर पुलिस को 12:01 व 12:04 मिनट पर पीयूष द्वारा बतायी गयी घटना की सूचना दिया। पीयूष ने घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखायी थी लेकिन उल्टा उसे झूठा फँसा दिया। दिनांक 15.10.2014 को पुलिस ने अपराध संख्या 151/2014 में धारा 202 भा0दं0सं0 जोड़कर मुझे, मॉ, पिता और भाई को भी अभियुक्त बना दिया। पीयूष की सास माया देवी नागदेव ने एक झूठा मुकदमा अपराध संख्या 553/2015 अन्तर्गत धारा 406/34 भा0दं0सं0 थाना कैण्ट जिला जबलपुर में दर्ज कराकर नाजायज मांग लगभग दो करोड़ रुपया पूरी करने के बाद सुलह किया और सुलहनामा के आधार पर दिनांक 22.06.2018 को सम्बन्धित विद्वान न्यायालय ने दोषमुक्त किया।

67. अभियुक्त कमलेश कुमार ने भी धारा 313 (5) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह कथन किया है कि मैं बेकसूर हूँ मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मेरे भाई पीयूष ने घटना की सही रिपोर्ट थाना स्वरूप नगर में दर्ज करायी थी लेकिन पुलिस और शंकर नागदेव ने ब्लैकमेलिंग के कारण मुझे और मेरी चाची पूनम श्यामदसानी और मुकेश व पीयूष को झूठा फँसा दिया है।

68. अभियुक्ता पूनम श्यामदसानी ने भी बयान अन्तर्गत धारा 313 (5) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत संक्षेप में यह कथन किया है कि मेरा बेटा पीयूष बेकसूर है। उसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसने घटना की सही रिपोर्ट थाना स्वरूप नगर में दर्ज करायी थी लेकिन पुलिस ने उसे शंकर नागदेव के ब्लैकमेलिंग के कारण मुझे और मेरे साथ, मेरे पति, मेरे बड़े बेटे मुकेश और कमलेश को झूठा फँसा दिया है। ज्योति के परिवार वाले और पुलिस ने नाजायज तरीके से बहुत आर्थिक शोषण किया और पूरे परिवार वालों को अपमानित और प्रताड़ित किया।

69. अभियुक्ता मनीषा मखीजा द्वारा भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के क्रम में 313 (5) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत लिखित कथन प्रस्तुत कर

यह कथन किया है कि मेरा पीयूष श्यामदसानी से कोई भी प्रेम सम्बन्ध नहीं थे और न ही पीयूष से शादी करने की बात कभी चली। पीयूष मुझसे कई वर्ष छोटा था। मैं सागर रत्नानी से शादी करना चाहती थी इसलिए उसके देखने के बाद भी मैं उसके फोन नम्बर 9811007367 पर फोन नम्बर 7897139393 से बात करती रही लेकिन मेरी लम्बाई कम होने के कारण सागर रत्नानी शादी नहीं करना चाहता था। अन्य किसी फोनों का प्रयोग मेरे द्वारा नहीं किया जाता था। इस घटना से पूर्व और उसके बाद मेरे जेल जाने से पूर्व तक दिनांक 28.07.2014 को दोपहर 2:37 बजे तक मेरी सागर रत्नानी से आपस में एस.एम.एस. से शादी की बात होती रही लेकिन पुलिस द्वारा मुझे इस मुकदमे में फर्जी फँसाने के कारण मेरी शादी टूट गयी। इस मुकदमे को अखबार वालों ने काफी हाईलाईट किया, इसी कारण पुलिस ने बिना गम्भीर जॉच किए केवल गुडवर्क दिखाने की दृष्टि से दिनांक 30.07.2014 को मेरे महिला होने के बावजूद बिना न्यायिक अधिकारी की अनुमति के रात्रि 20:20 बजे गिरफ्तार करके 20:55 बजे हिरासत में ले लिया। मेरे कब्जे या निशांदेही पर अपराध से सम्बन्धित कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। मेरा किसी भी सह अभियुक्त से कोई सम्बन्ध नहीं है। सह अभियुक्त अवधेश मेरे यहाँ कभी ड्रैफ्टर नहीं था। पुलिस ने घटना से जोड़ने के सम्बन्ध में मैं कुमारी लड़की का गर्भ परीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जिसको न्यायालय ने दिनांक 16. 09.2014 को निरस्त कर दिया। आरोप—पत्र आने के बाद अधिकारियों ने दबाव डालकर कानूनी परामर्श से आरोप—पत्र में वर्णित साक्ष्यों से भी ज्यादा साक्षियों के बयान में साक्ष्य फर्जी गढ़कर अतिरिक्त कथन डेवलेप किया गया। यहाँ तक कि विवेचकों के बयानों में भी अतिरिक्त साक्ष्य गढ़ी गयी और सभी साक्षियों ने मुझे फँसाने के लिए कहानी में फर्जी रंगत देने के लिए न्यायालय में झूठा, मनगढ़न्त एवं फर्जी साक्ष्य दिया, मैं बेगुनाह हूँ।

70. अभियोजनपक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह उभयपक्षों के मध्य स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी का विवाह मृतका पूजा उर्फ ज्योति के साथ 28.11.2012 में हुआ था। अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी का सम्बन्ध अभियुक्ता मनीषा मखीजा के साथ था तथा मृतका पूजा उर्फ ज्योति श्यामदसानी एवं अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के मध्य इसी कारण आपसी मतभेद था। सम्बन्धों में बाधा बनते हुए देख अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी एवं मनीषा मखीजा ने अन्य अभियुक्तों के साथ साजिश कर मृतका ज्योति श्यामदसानी की निर्मम हत्या करायी है। प्रस्तुत

प्रकरण में अभियुक्तगण ने साजिश के तहत फर्जी नामों से मोबाइलों को लेकर इसी घटना को कारित करने हेतु उसका उपयोग किया एवं घटना के पश्चात सम्बन्धित सिम आदि को नष्ट भी कर दिया है किन्तु प्रयुक्त मोबाइल एवं घटना की परिस्थिति द्वारा अभियुक्तगण की दोषिता साबित है। अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, सोनू कश्यप एवं आशीष कश्यप ने अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी एवं मनीषा मखीजा के साथ षड्यन्त्र कर मृतका ज्योति श्यामदसानी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। अभियोजन की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी0डब्लू0-1 राजेश उर्फ राजा नागदेव, पी0डब्लू0-2 विशेष नागदेव, पी0डब्लू0-3 श्रीमती माया देवी उर्फ कंचन नागेदव, पी0डब्लू0-4 हितेश नागदेव, पी0डब्लू0-5 त्रिवेणी शंकर दीक्षित, पी0डब्लू0-6 शंकर नागदेव एवं पी0डब्लू0-7 मोनिका आसुदानी ने साक्ष्य प्रस्तुत कर अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी एवं मृतका ज्योति श्यामदसानी के मध्य मतभेद होना व तनावपूर्ण सम्बन्ध होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ अभियुक्ता मनीषा मखीजा से अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के मध्य अनैतिक प्रेम सम्बन्ध होने का कथन किया गया है। अभियोजन साक्षीगण ने यह साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है कि अभियुक्ता मनीषा मखीजा ने अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी को फोन कर मृतका के सम्बन्ध में कुछ करने को कहा था। अभियोजन पक्ष ने यह भी कथन किया है कि इस मामले में घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, बल्कि परिस्थितियाँ स्वयं साक्षी हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी मृतका ज्योति को लेकर वराण्डा रेस्टोरेन्ट वी0आई0पी0 रोड पर दिनांक 27.07.2014 को रात में 10.00 बजे ले गया था और रात्रि 11.30 बजे वराण्डा रेस्टोरेन्ट से निकलने के बाद मृतका को अपनी हाण्डा एकार्ड कार नं0 यू0पी0-78-बी0वाई0-5009 में बिठाकर ले जा रहा था तथा सह-अभियुक्तगण को साजिश में लेकर रास्ते में ही मृतका और कार को उनके सुपुर्द कर दिया तथा सह-अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, सोनू कश्यप व आशीष कश्यप उक्त कार में मृतका ज्योति को लेकर चले गये एवं बाद में उसकी हत्या कर दी और मृतका के शरीर पर पहने हुए जेवरात को लूट लिया। अभियोजन द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी ने अन्य अभियुक्तों की साजिश के कारण ही 11.30 बजे रात्रि में कार एवं मृतका ज्योति को उनके सुपुर्द किये जाने के बाद घटनास्थल से मात्र दो किलोमीटर दूर स्थित थाने पर एक घन्टे बाद पहुंचकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, जिसमें

अभियुक्त ने यह कथन किया था कि जब वह वराण्डा रेस्टोरेन्ट से निकलकर जा रहा था कि रास्ते में 7–8 मोटर साइकिल से आये हमलावरों ने उसकी कार में टक्कर मारकर उसे रोक लिया था और उसे गाड़ी से खींचकर छोड़ दिया तथा मृतका ज्योति एवं उसकी कार को अगवा करके ले गये। अभियोजन की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी का यह कथन अपने आप में बेहद संदिग्ध है। उसे हमलावरों ने रोका और गाड़ी से खींचकर कार ले जाने का कथन अभियुक्त पीयूष ने किया था, किन्तु कार तकनीकी परीक्षण करने वाले साक्षी पी0डब्लू0–12 उपनिरीक्षक राजेश कुमार शुक्ला ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि पीयूष की गाड़ी पर कोई डेन्ट या खरोंच नहीं है। साथ ही साथ अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी को भी कोई चोट नहीं आयी थी, जबकि अभियुक्त पीयूष ने यह कथन किया था कि उसे गाड़ी से खींचकर गिरा दिया गया था। अभियोजनपक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के पास मोबाइल था, किन्तु उसके द्वारा सम्बन्धित पुलिस आदि को भी कोई सूचना नहीं दी गयी, बल्कि साजिशन दो किलोमीटर दूर थाने पर एक घन्टे बाद पहुंचकर झूठी एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का प्रयास किया गया है। अभियोजनपक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी एवं मृतका ज्योति के वराण्डा रेस्टोरेन्ट में उपस्थित रहने के समय से ही शेष अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, सोनू कश्यप एवं आशीष कश्यप के मोबाइल की लोकेशन वराण्डा रेस्टोरेन्ट के इर्द गिर्द पायी गयी है। यही नहीं अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी और अन्य सह—अभियुक्तगण से लगातार फोन के माध्यम से एक दूसरे से सम्पर्क में बने रहना अभियुक्त पीयूष की साजिश को दर्शित करता है। इस प्रकार अभियोजनपक्ष, अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दंडित किया जाए।

71. बचावपक्ष की तरफ से अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी, श्रीमती पूनम श्यामदसानी, मुकेश श्यामदसानी एवं कमलेश श्यामदसानी के लिये उनक अधिवक्ता श्री सईद नकवी उपस्थित हुए और उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजनपक्ष अपने केस को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोजन का केस कल्पनाओं पर आधारित है। अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी एवं मृतका ज्योति आपस में पति पत्नी थे। उन दोनों के मध्य आपसी सम्बन्ध अत्यन्त मधुर थे। अभियुक्त

पीयूष श्यामदसानी अपनी पत्नी मृतका ज्योति के साथ विवाह के उपरान्त सिंगापुर एवं मलेशिया घूमने गया था। विभिन्न अवसरों पर कानपुर—नगर में पार्टीयों का आयोजन करता रहा। उन दोनों के मध्य सम्बन्ध अत्यन्त मधुर थे, किन्तु दुर्घटना में मृतका की अज्ञात हमलावरों द्वारा मृत्यु कारित किये जाने के उपरान्त मृतका के घरवालों ने मात्र पैसे के लालच में झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है एवं अभियोजन ने झूठा काल्पनिक केस तैयार किया है। अभियोजन के पास कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन ने मात्र कल्पनाओं के आधार पर झूठा केस तैयार करने का प्रयास किया है। घटना का न तो कोई चश्मदीद साक्षी है और न ही अभियुक्तगण के मध्य किसी साजिश का ही कोई अस्तित्व है। बचावपक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सह—अभियुक्ता मनीषा मखीजा से पड़ोसी होने के कारण बातचीत है। अभियुक्त पीयूष के पास हत्या करने का कोई हेतुक (Motive) नहीं है। विवाहेत्तर सम्बन्ध का कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त के किसी उद्देश्य की पूर्ति मृतका की हत्या करने से नहीं होती है। अभियुक्त पीयूष से किसी प्रकार के तथाकथित फोन की बरामदगी नहीं हुयी है। जिन नम्बरों का उल्लेख किया गया है, वे अभियुक्त पीयूष के फोन नहीं हैं। तथ्य के साक्षीगण का साक्ष्य After Thought है, जो सोच समझकर काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। काल डिटेल रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। धारा—65बी साक्ष्य अधिनियम का उचित प्रमाण—पत्र नहीं दिया गया है, जिसके कारण वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

72. अभियुक्ता मनीषा मखीजा के लिये अधिवक्ता श्री कमलेश पाठक एडवोकेट उपस्थित आए, जिनकी ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्ता मनीषा मखीजा का मृतका ज्योति की हत्या के लिये कोई हेतुक (Motive) नहीं है। अभियुक्ता मनीषा मखीजा का अभियुक्त पीयूष से सम्बन्ध होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र मोबाइल से बात करने से कोई सम्बन्ध दर्शित नहीं होता है। अभियुक्ता मनीषा से किसी फोन या सिम की बरामदगी नहीं है। प्रस्तुत की गयी काल डिटेल रिपोर्ट धारा—65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण—पत्र के अभाव में ग्राह्य नहीं है। मृतका ने अपने माता—पिता को फोन न करके अपनी चाची को फोन किया जाना असम्भाव्य है। मृतका ज्योति का कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, क्योंकि यह अनुश्रुत साक्ष्य है, अभियुक्ता द्वारा नहीं कहा गया है एवं धारा—120बी भा०द०सं० के अन्तर्गत भी नहीं आता है, क्योंकि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी से कहा नहीं गया है। यही नहीं तथ्य के भिन्न—भिन्न साक्षियों ने भिन्न—भिन्न

वाक्यांश का प्रयोग किया है, जो असत्य होना दर्शित करता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

73. अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी एवं सोनू कश्यप के लिये अधिवक्ता श्री सुरेश सिंह चौहान द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियोजन अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी एवं सोनू कश्यप के विरुद्ध कोई हेतुक (Motive) साबित नहीं कर सके हैं। अभियुक्तगण से कोई कथित मोबाइल की बरामदगी नहीं हुयी है। कथित गिरफ्तारी के समय अभियुक्तों अखिलेश चतुर्वेदी एवं सोनू कश्यप के पास से कोई मोबाइल फोन की बरामदगी नहीं हुयी है। कथित कार की चाभी एवं रुमाल आदि की बरामदगी भी साबित नहीं है। कथित हथियारों की बरामदगी भी साबित नहीं है। यही नहीं अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी को सम्बन्धित पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 24 घन्टे से अधिक अपनी अभिरक्षा में रखकर रिकवरी प्लान्ट की गयी है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में स्वीकार्य नहीं है तथा सम्पूर्ण विचारण इसी आधार पर दूषित हो जाता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

74. अभियुक्त रेनू के लिए उनके अधिवक्ता श्री राम बहल विद्यार्थी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त रेनू को बिल्कुल निर्दोष फर्स्या गया है। अभियुक्त रेनू के विरुद्ध अभियोजन ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अभियुक्त रेनू के पास से मोबाइल की बरामदगी फर्जी दिखायी गयी है। कथित मोबाइल नम्बर 7784987598 एवं 8787145104 मोबाइल हरगिज अभियुक्त रेनू से सम्बन्धित नहीं है। मोबाइल नम्बर 7784987598 मोनू शाक्य पुत्र मोहन शाक्य का बताया गया है। मोबाइल एवं अभियुक्त के मध्य अभियोजन द्वारा कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सका है। अभियोजन द्वारा किन्हीं सत्यम बाजपेयी एवं विनोद के कथन का उपयोग किया गया है किन्तु उन्हें साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्तगण के संयुक्त कन्फेशन एवं संयुक्त बरामदगी दर्शित की गयी है जो विधिमान्य नहीं है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक फर्जी है। अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

75. अभियुक्त आशीष कश्यप के लिए उनके अधिवक्ता मनीष कृष्णा द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक फर्जी है। अभियुक्त आशीष कश्यप के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। कथित घटना के समय आशीष कश्यप अपने मित्रों के साथ अन्यत्र मौजूद

था जिसके बारे में बचाव पक्ष के साक्षीगण ने साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। अभियुक्त आशीष कश्यप दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

76. बचावपक्ष के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभाष है। तथ्य के साक्षीगण के रूप में परीक्षित कराये गये सभी साक्षियों ने असंगत साक्ष्य प्रस्तुत की है एवं उनके साक्ष्य में विरोधाभाष यह साबित करता है कि अभियोजन कथानक काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। बचावपक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी0डब्लू0-1 के रूप में परीक्षित राजेश उर्फ राजा नागदेव ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया था कि घटना से 3-4 दिन पूर्व उसकी पत्नी की पूजा से फोन पर बातचीत हो रही थी तो उसने फोन लेकर पूजा से बातचीत की तो उसने बताया कि स्थिति बिगड़ रही है। आज पीयूष के फोन पर मनीषा का फोन आया था तो मैंने उसे उठा लिया था तो मनीषा पीयूष समझकर यह कह रही थी कि जल्दी काम कराओ। मनीषा ने बोला था कि लड़के वाले आने वाले हैं, उसका रिश्ता कहीं तय हुआ हो रहा है।

77. पी0डब्लू0-2 के रूप में परीक्षित साक्षी विशेष नागदेव ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। पी0डब्लू0-3 के रूप में परीक्षित साक्षी मृतका की माता श्रीमती माया देवी उर्फ कंचन नागदेव ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 27 घटना वाले दिन शाम को ज्योति से फोन पर बात हुयी थी। उसने बताया कि पीयूष, मनीषा के पीछे हृद से ज्यादा पागल हो गया है, कुछ भी कर सकता है। मैंने उसे धैर्य बंधाया तथा उससे कहा कि धीरज रखो। तुम रक्षाबन्धन पर आने वाली हो तब आमने-सामने बात होगी तथा इसका समाधान निकालेंगे। यह फोन लैण्डलाइन वाले फोन पर आया था। ज्योति घबराई हुयी थी। मैंने पूछा कि घबराई हुयी क्यों हो तो उसने बताया कि एक-दो दिन पहले पीयूष का फोन उठा लिया था, जिस पर मनीषा का फोन आया था। मनीषा कह रही थी कि जल्दी से ज्योति का काम खत्म करा दो। उसे देखने वाले आने वाले हैं। उसकी शादी कहीं और करा देंगे। इसी बिन्दु पर पी0डब्लू0-7 के रूप में परीक्षित साक्षी मोनिका आसुदानी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 23.07.2014 को रात करीब 11 बजे उसे पूजा ने फोन लगाया और घबराते हुए कहने लगी कि मोना दीदी पता है कि आज पीयूष का फोन बज रहा था तो उसने चुपके से फोन उठा लिया तो दूसरी ओर से मनीषा थी और वह एकदम से कहने लगी कि पीयूष ज्योति

को जल्दी से निपटाओ नहीं तो उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करवा देगें और उसे लड़के वाले देखने भी आने वाले हैं।

78. बचावपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त तीनों साक्षियों ने मृतका ज्योति के द्वारा कहे गये भिन्न-भिन्न वाक्यांश का प्रयोग किया है, जिनसे कदापि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मृतका ज्योति की हत्या के सम्बन्ध में कोई कथन उपरोक्त साक्षियों द्वारा किया गया हो। बचावपक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कथन अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी का है तथा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि मृतका ज्योति द्वारा उक्त वाक्यांश अपने घरवालों को अवगत कराये गये हैं। यह कथन मृतका के आचरण से सम्बन्धित है। यदि अनुश्रुत साक्ष्य के कारण साक्ष्य में ग्राह्य न भी हों, तब भी विषम परिस्थितियों के मध्य मृतका द्वारा अपनी स्थिति का ज्ञान अपने पारिवारिक सदस्यों को कराया गया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य है। जहां तक बचावपक्ष का यह कथन है कि भिन्न-भिन्न वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि विषम परिस्थितियों में मृतका द्वारा अभियुक्ता मनीषा के कथन को अपने पारिवारिकजनों को अवगत कराया गया है एवं यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि मृतका, अभियुक्ता मनीषा के द्वारा किये गये कथनों को शब्दशः अपने पारिवारिकजनों को अवगत करा सके। अभियुक्ता मनीषा द्वारा किये गये कथन के कुछ अन्तराल बाद ही मृतका द्वारा पी0डब्लू0-1 राजेश उर्फ राजा नागदेव, पी0डब्लू0-3 श्रीमती माया देवी उर्फ कंचन नागदेव तथा पी0डब्लू0-7 मोनिका आसुदानी से कहे गये हैं। वाक्यांश में कुछ अन्तर होना स्वाभाविक है तथा इसका कोई लाभ बचावपक्ष को नहीं दिया जा सकता।

79. बचावपक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मृतका की माता श्रीमती माया देवी उर्फ कंचन नागदेव (पी0डब्लू0-3) से मृतका ज्योति ने उक्त मनीषा मखीजा के द्वारा किये गये कथनों को सबसे बाद में बताया है, जो अस्वाभाविक है। इस सम्बन्ध में भी न्यायालय इस मत की है कि परिवार में यह स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति से अधिक जुड़ाव या स्नेह होने पर उसे अपनी समस्यायें किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम बता सकता है। नैसर्गिक अभिभावक से ही कथन किया जाए, यह आवश्यक नहीं है।

80. बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि पी0डब्लू0-7 मोनिका आसुदानी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसकी ज्योति से कभी-कभी एस0एम0एस0 द्वारा भी बात होती थी। यह सही है

कि एस०एम०एस० पर की गयी बातों का रिकार्ड रहता है। उसे ध्यान नहीं है कि दिनांक 23.07.2014 को उसके फोन पर ज्योति का कोई एस०एम०एस० आया था या नहीं। बचावपक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा कोई एस०एम०एस० रिकवर कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अभियोजन कथानक को समर्थित कर सकता हो, जबकि एस०एम०एस० को मूल रूप से रिकवर कर अभियोजन सही तथ्यों को न्यायालय के समक्ष ला सकता था। बचावपक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियोजन ने अभियुक्तगण एवं कामिनी सचान आदि के द्वारा किये गये एस०एम०एस० को भी रिकवर कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि मैसेज न्यायालय के समक्ष आता तो वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष कुछ और होती। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि यदि विवेचक द्वारा एस०एम०एस० रिकवर नहीं भी किया गया है तो उससे अभियोजन के केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभियुक्तगण का विचारण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर होना है। जो साक्ष्य संकलित नहीं की गयी है, उनके सम्बन्ध में कोई अवधारणा किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः बचावपक्ष को इस तर्क का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

81. बचावपक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 28.07.2014 को अभियुक्त पीयूष द्वारा सम्बन्धित थाने पर जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी तथा कां०० कलर्क श्री नारायण ने इस सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है, किन्तु उक्त साक्षी ने यह मिथ्या कथन किया है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी, जैसा कि पी०डब्ल०-१० कां०० श्री नारायण ने अपनी मुख्य परीक्षा के पृष्ठ-१ पर यह कथन किया है कि उसने जी०डी० लिखने के समय वादी मुकदमा पीयूष श्यामदसानी को थाने पर तैनात होमगार्ड 2557 शम्भू सिंह के साथ मजरूवी चिट्ठी देकर हैलट अस्पताल मेडिकल हेतु भेजा था। उसने उस वक्त पीयूष श्यामदसानी पर कोई जाहिरा चोट नहीं देखी थी। मुख्य परीक्षा के पृष्ठ-२ पर पी०डब्ल०-१० कां०० श्री नारायण द्वारा बताया गया है कि होमगार्ड शम्भू सिंह की वापसी का तस्करा जी०डी० नं०-१७ पर समय 5.45 बजे सुबह किया गया था। होमगार्ड शम्भू सिंह ने वापसी पर बताया था कि पीयूष श्यामदसानी ने कहा था कि डाक्टर नहीं हैं, मैं स्वयं डाक्टरी करा लूँगा, यह कहते हुए चले गये थे। बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-३ पर पी०डब्ल०-१० कां०० श्री नारायण ने यह कथन किया है कि जी०डी० नं०-६ लिखने के समय वादी के शरीर पर मैंने कोई चोट नहीं देखी। वादी के कपड़े उत्तरवाकर

उसके शरीर का मुआयना नहीं किया था। पीयूष को डाक्टरी मुआयने हेतु जी0डी0 लिखने के बाद समय 00.30 बजे भेज दिया था। बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि पी0डब्लू0-10 कां0 श्री नारायण का यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि वह कोई विशेषज्ञ नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि पी0डब्लू0-10 कां0 श्री नारायण ने मात्र जाहिरा चोट के सन्दर्भ में यह कथन किया है कि वादी के शरीर पर मैंने कोई जाहिरा चोट नहीं देखी। जहां तक चोट के सन्दर्भ में चिकित्सकीय परीक्षण का प्रश्न है, पी0डब्लू0-10 कां0 श्री नारायण ने स्वयं ही बताया है कि उक्त होमगार्ड शम्भू सिंह ने उसे यह बताया था कि वादी मुकदमा यह कहकर अस्पताल से चले गये कि वह मेडिकल स्वयं करा लेंगे। वादी मुकदमा/अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी द्वारा कोई चिकित्सकीय परीक्षण आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे वादी मुकदमा/अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी को कारित किसी चोट का कोई उल्लेख हो सके। पी0डब्लू0-10 कां0 श्री नारायण द्वारा वादी/अभियुक्त पीयूष के जाहिरा चोट न होने का कथन किया गया है तथा इसके प्रतिकूल कोई कथन बचावपक्ष द्वारा नहीं किया गया है। अतः साक्षी पी0डब्लू0-10 कां0 श्री नारायण के बयान से बचावपक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

82. पी0डब्लू0-11 के रूप में उपनिरीक्षक भोलेन्द्र चतुर्वेदी को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के जरिये अभियुक्तगण रेनू सोनू आशीष, अवधेश व पीयूष श्यामदसानी को पी0सी0आर0 पर लाने तथा उसके बाद अभियुक्तगण रेनू सोनू व आशीष को लेकर अभियुक्त आशीष से मुकदमा उपरोक्त में प्रयुक्त मोटर साइकिल नं0 यू0पी0-78-बी0वाई0-4588 की बरामदगी हेतु मुल्जिम आशीष के बताये हुए स्थान पर गाड़ियों से गये थे तथा उक्त मोटर साइकिल को रिलाइन्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट काकादेव के पास से बरामद किया था। प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ-4 पर भी पी0डब्लू0-11 उपनिरीक्षक भोलेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा यह कथन किया गया है कि मैं एस0ओ0 शिवकुमार सिंह राठौर के हमराह में अन्य पुलिस वालों के मुल्जिमानों को जिला कारागार से पी0सी0आर0 पर लेकर आया था। थाना-स्वरूप नगर से दिनांक 05.08.2014 को जिला कारागार, कानपुर-नगर के लिये साढ़े दस बजे सुबह चले थे। हम लोग थाना-स्वरूप नगर को जी0डी0 में एस0ओ0 श्री शिवकुमार सिंह राठौर के मय हमराह फोर्स के कराया था। जिन वाहनों से गये थे, वह सब सरकारी वाहन थे, कोई निजी वाहन नहीं था। प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ-5 पर पी0डब्लू0-11 उपनिरीक्षक

भोलेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि मैंने किसी मुल्जिमान से कोई पूछताछ नहीं की थी। मुल्जिमानों से पूछताछ पुलिस लाइन में आराम कक्ष में की गयी थी। एस0ओ0 स्वरूप नगर द्वारा थाने में पूछताछ की जा रही थी, वह केस डायरी में अंकित की जा रही थी।

83. पी0डब्लू0-12 के रूप में परीक्षित उपनिरीक्षक राजेश कुमार शुक्ला, जिन्होंने वादी मुकदमा/अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी की कार हाण्डा एकार्ड नं0 यू0पी0-78-बी0आर0-5009 का तकनीकी परीक्षण किया था, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह बताया था कि गाड़ी में कोई डेन्ट अथवा खरोंच नहीं थी। उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में बचावपक्ष द्वारा इसके कोई प्रतिकूल कोई कथन नहीं कराया जा सका है।

84. पी0डब्लू0-13 के रूप में सह-विवेचक श्रीमती पूनम अवस्थी को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा वराण्डा रेस्टोरेन्ट के सी0सी0टी0वी0 एवं विजिटर बुक आदि की विवेचना कर साक्ष्य संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त साक्षी द्वारा रेवमोती माल से खरीदे गये चाकू के बारे में सी0सी0टी0वी0 फुटेज आदि के सम्बन्ध भी साक्ष्य संकलित किया गया है। पी0डब्लू0-13 श्रीमती पूनम अवस्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-2 पर यह कथन किया है कि सम्पूर्ण विवेचना का सुपरवीजन पुलिस अधीक्षक (पश्चिम), कानपुर-नगर द्वारा किया जा रहा था। बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि पी0डब्लू0-13 विवेचक श्रीमती पूनम अवस्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-51 पर यह कथन किया है कि मेरे द्वारा कामिनी का मोबाइल चलाकर नहीं देखा गया कि कितने मैसेज व क्या-क्या मैसेज पीयूष ने किन नम्बरों से कामिनी के मोबाइल पर किये थे तथा यह भी नहीं देखा कि कामिनी ने क्या-क्या मैसेज पीयूष के किन-किन नम्बरों पर किये थे। मोबाइल सिर्फ मैंने कब्जे में लिया था। इस समय मोबाइल मेरे सामने नहीं है। बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि कामिनी के मोबाइल के मैसेज भी विवेचना को एक नई दिशा देकर सत्य घटना उद्घाटित कर सकता था, किन्तु विवेचना में जानबूझकर कामिनी सचान के सन्दर्भ में कोई विवेचना नहीं की गयी है। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि वर्तमान विचारण मामले के विवेचकगण द्वारा संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध किया जा रहा है तथा संकलित साक्ष्य एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्तगण की दोषिता या निर्दोषिता परखी जानी है। जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

किया जा चुका है, उन्हीं के आधार पर प्रकरण को निर्णीत किया जाना है, जिन साक्ष्यों को विवेचक द्वारा संकलित नहीं किया गया है, उन तथ्यों के सम्बन्ध में कोई कथन किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा और न ही इसका कोई लाभ बचावपक्ष को दिया जा सकता है।

85. पी0डब्लू0-15 के रूप में प्रभारी निरीक्षक हरीशंकर मिश्रा को परीक्षित किया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि इस मुकदमे के मुख्य विवेचक श्री शिवकुमार सिंह राठौर थाना-स्वरूप नगर हैं। मैं सह-विवेचक के रूप में विवेचना करके पर्चे किता करके मुख्य विवेचक को प्रेषित करता था। दिनांक 31.07.2014 को मैं थाना-मूलगंज में बतौर एस0ओ0 के पद पर तैनात था। एस0एस0पी0 के आदेश पर मैं एस0ओ0 स्वरूप नगर श्री शिवकुमार सिंह राठौर व उनके हमराहीयान व अपने थाने के कां0 रामसेवक, कां0 शशांक व कां0 महेन्द्र कुमार व कुछ थानों के थाना प्रभारी एवं उनके हमराहीयान भी आये थे। एक संयुक्त टीम गठित कर बउम्मीद बरामदगी जनता के दो गवाह जितेन्द्र पुत्र श्रीराम, निवासी-मुरारीलाल चेस्ट अस्पताल रावतपुर व किशन गोपाल पुत्र श्यामबाबू निवासी-122/414 शास्त्री नगर काकादेव, कानपुर-नगर का साथ लेकर मर्दाना हवालात थाना-स्वरूप नगर, कानपुर-नगर पहुंचे तथा वहां से अभियुक्तगण को साथ लेकर सम्बन्धित माल की बरामदगी की गयी थी। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-17 पर पी0डब्लू0-5 प्रभारी निरीक्षक हरीशंकर मिश्रा ने यह बताया है कि चाबी और रुमाल की बरामदगी का अलग से कोई नक्शा पत्रावली में नहीं है और न मेरी जानकारी में है। जब मैं थाना-मूलगंज में दिनांक 30.07.2014 को था तो शाम को सूचना मिली थी कि बरामदगी के सम्बन्ध में पूछताछ के लिये स्वरूप नगर थाना जाना है। थाना-स्वरूप नगर की हवालात में तीन मुल्जिम रेनू सोनू व अवधेश चतुर्वेदी मिले थे। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-17 पर ही इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पहली बरामदगी के बाद मुख्य विवेचक ने वहीं पर फर्द लिखी थी। पहली बरामदगी के बाद सभी पुलिस वालों ने इस पर हस्ताक्षर किये थे। गवाह ने फिर तुरन्त कहा कि नहीं पहली बरामदगी के बाद निरन्तरता में फर्द लिखी जाती रही थी। उस समय हस्ताक्षर नहीं किये थे। दूसरी बरामदगी के बाद भी उस फर्द पर पुलिस वालों ने हस्ताक्षर नहीं किये थे। तीसरी बरामदगी के बाद पढ़कर सुनकर उस फर्द पर सभी पुलिस वालों ने हस्ताक्षर बनाये थे। माल जहां से बरामद हुआ था, वहीं पर सील हुआ था। अलग-अलग सील हुआ था। पी0डब्लू0-15 उपनिरीक्षक हरीशंकर मिश्रा ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-32 पर यह

कथन किया है कि फर्द प्रदर्श क-38 में जनता के गवाह जितेन्द्र पुत्र श्रीराम व किशन गोपाल पुत्र श्यामबाबू को कहां से किया था, यह अंकित नहीं है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-33 पर पी0डब्लू0-15 उपनिरीक्षक हरीशंकर मिश्रा ने यह बताया है कि बरामदगी से पूर्व सभी पुलिस वालों, गवाहों व अभियुक्तों के द्वारा एक दूसरे की जामा तलाशी किसी आपत्तिजनक वस्तु के लिये लेने की बात फर्द में नहीं लिखी है। जिस गली में गाड़ी खड़ी की थी, उसके दोनों ओर ग्रीन बेल्ट हैं। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-35 पर उपरोक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि माल जहां से बरामद हुआ था, वहीं सील हुआ था। अलग-अलग सील हुआ था। यह बयान मैंने सही दिया है। चाबी व रूमाल बरामद होने के बाद मौके पर ही सील करने की बात फर्द में न लिखी हो, यह कहना गलत है।

86. पी0डब्लू0-16 के रूप में उपनिरीक्षक जितेन्द्र मोहन सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं मृतका ज्योति के शव का मार्चरी एल0एल0आर0 में पंचायतनामा करने हेतु सुबह 6.00 बजे अन्य हमराहीयान के साथ जिल्द पंचायतनामा व अन्य सम्बन्धित कागजात सहित पहुंचा था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि पंचायतनामा की वीडियोग्राफी शायद नहीं हुयी थी। पंचायतनामे के साथ मैंने कोई वीडियोग्राफी की सी0डी0 नहीं लगायी थी। पोस्टमार्टम में वीडियोग्राफी हुयी थी, जिसका उल्लेख मैंने पंचायतनामा प्रदर्श क-41 के संलग्नक क्रम में लिख दिया था। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-4 पर इस साक्षी ने यह बताया है कि यह बात सही है कि वीडियोग्राफी का जो उल्लेख पंचायतनामा में संलग्नक में लिखा है, वह गलत है।

87. पी0डब्लू0-17 के रूप में शुभम पोद्दार, जो वराण्डा रेस्टोरेन्ट की प्रोपराइटर स्व0 प्रभा पोद्दार के पुत्र हैं, को अभियोजन ने परीक्षित कराकर उक्त रेस्टोरेन्ट एवं उसकी विजिटर बुक व सी0सी0टी0वी0 आदि के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत कराया है।

88. पी0डब्लू0-18 के रूप में विवेचक अखिलेश कुमार गौड़ को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के द्वारा मोबाइल फोन की कॉल डिटेल व सर्विस प्रोवाइडर के सम्बन्ध में विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पृष्ठ-18 पर पी0डब्लू0-18 अखिलेश कुमार गौड़ ने कथन किया है कि यह सही है कि उसे सह-विवेचक के रूप में एस0एस0पी0 के आदेश से साक्ष्य एकत्रित करने के लिये नियुक्त किया गया था। इसका अर्थ यह है कि विवेचना में जितने भी मोबाइल नंबर, सिम व

सेट इस्तेमाल हुए हैं, वे कहां से आये हैं, किनके हैं, इन सब की मालुमात की विवेचना उसे करनी थी। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-39 पर पी0डब्लू0-18 अखिलेश कुमार गौड़ ने यह कथन किया है कि पीयूष से सम्बन्धित मोबाइल नं0 9956353535 है। इसके अतिरिक्त और भी नंबर हैं। मोबाइल नं0 9956353535 पीयूष के नाम नहीं है, किन्तु पीयूष के पिताजी के पार्टनर राम जसलानी के नाम दूरसंचार कम्पनी में अंकित है, जिसका उपयोग पीयूष करता था। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-41 पर साक्षी पी0डब्लू0-18 अखिलेश कुमार गौड़ द्वारा यह कथन किया गया है कि यह बात सही है कि मोबाइल नं0 8127986342 अवधेश के नाम नहीं है। यह नंबर अनिल कुमार पुत्र सतीराम, साकिन 43/09 नारियल बाजार के नाम से दूरसंचार कम्पनी में दर्ज है। उक्त मोबाइल नंबर अवधेश के पास से बरामद हुआ है एवं उसके द्वारा अपने निकटवर्ती व्यक्तियों से वार्ता किये जाने के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि अवधेश का है। मुझे मुख्य विवेचक द्वारा बताया गया था कि उक्त मोबाइल अवधेश के पास से बरामद किया गया था। यह मुझे याद नहीं है कि किस तारीख को और कहां से बरामद किया गया था। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-43 पर साक्षी पी0डब्लू0-18 ने कथन किया है कि मोबाइल नं0 7784987598, जो रेनू कनौजिया के कब्जे से बरामद हुआ है, वह मोनू शाक्य पुत्र महेन्द्र शाक्य हितकारी नगर के नाम से है। यह सही है कि मैंने मोनू शाक्य से न कोई पूछताछ की और न ही उसका कोई बयान लिया था। रेनू कनौजिया के पास से मोबाइल की बरामदगी मेरे द्वारा नहीं की गयी थी। बरामदगी कब, कहां, किसके द्वारा और किस जगह की गयी थी, यह मैं नहीं बता सकता। सोनू कश्यप के पास से मैं 8687580730 मोबाइल होने की बात कह रहा हूँ, लेकिन यह मोबाइल सर्वेश कुमार पुत्र विशनू प्रकाश, निवासी-1241 आवास विकास कल्यानपुर के नाम अंकित है। सर्वेश कुमार से न मैंने कोई जानकारी की और न ही उसका कोई बयान मेरे द्वारा लिया गया था। अभियुक्त आशीष कश्यप के मोबाइल नं0 8090690770 की सी0डी0आर0 में मो0नं0 9956353535 से बात होना नहीं पाया गया है। सोनू कश्यप के मोबाइल के सम्बन्ध में, सर्वेश कुमार, जिसके नाम मोबाइल है, का न मैंने कोई बयान लिया और न ही उससे मेरे द्वारा कोई पूछताछ की गयी थी। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-59 पर पी0डब्लू0-18 अखिलेश कुमार गौड़ द्वारा यह बताया गया है कि यह सही है कि मैंने स्वयं निष्कर्ष निकाला है फर्जी नंबर, जो अभियुक्त के नाम नहीं हैं, उनका प्रयोग अभियुक्त ही कर रहे थे। इस आधार पर मैंने सारे विश्लेषण दिये हैं। अदालत में मोबाइल से सम्बन्धित डिब्बों को किसने सील

किया, मैं नहीं बता सकता। उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-62 पर पी0डब्लू0-18 अखिलेश कुमार गौड़ द्वारा यह कथन किया गया है कि मेरी विवेचना में मो0नं0 8090766837 को दिनांक 27.07.2014 को समय 22.42 बजे की लोकेशन मृतका के आवास की लोकेशन पायी गयी है। मेरी विवेचना में मनीषा और पीयूष के प्रेम सम्बन्ध हों, इस प्रकरण की कोई साक्ष्य नहीं मिली, स्वयं कहा कि सी0डी0आर0 है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-73 पर पी0डब्लू0-18 अखिलेश कुमार गौड़ द्वारा यह कथन किया गया है कि यह सत्य है कि मो0नं0 7897139393, 9839955320, 9999953030, 9651886868 एवं 8090766837 का सिम अभियुक्ता मनीषा मखीजा से बरामद नहीं हुआ था।

89. पी0डब्लू0-19 के रूप में पोस्टमार्टम करने वाले डा0 राजेश कुमार अग्रवाल को परीक्षित कराया गया है, किन्तु उक्त साक्षी से बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य बचावपक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष उद्भूत नहीं किया गया, जो बचावपक्ष के कथन को समर्थित करता हो।

90. पी0डब्लू0-20 के रूप में अरविन्द श्रीवास्तव, डिप्टी मैनेजर/नोडल आफीसर टाटा टेलीकाम सर्विसेस को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने मुख्य परीक्षा के द्वारा मो0नं0 8090766853, 8604251351, 8090766837, 8090615770 व 80608768686 द्वारा किये गये कॉल डिटेल के विवरण को विवेचक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-5 पर पी0डब्लू0-20 अरविन्द श्रीवास्तव द्वारा यह कथन किया गया है कि सी0डी0आर0 इस मुकदमे में मेरी गवाही के दौरान बनायी गयी है। यह सी0डी0आर0 श्री अर्पित श्रीवास्तव के डायरेक्शन में निकाली गयी थी, यह बात मेरी निजी जानकारी में नहीं है। लेटर के आधार पर मैं यह कह रहा हूँ कि अर्पित श्रीवास्तव के अन्दर कोई अधीनस्थ कर्मचारी नहीं था। सी0डी0आर0 का प्रिन्ट आउट अर्पित ने कम्प्यूटर को कमाण्ड देकर स्वयं निकाला था। सी0डी0आर0 का प्रिन्ट किस दिनांक को, कितने बजे और कितनी देर तक निकाला गया था, मैं यह नहीं बता सकता। जिस सी0डी0आर0 के बारे में मैंने गवाही दी है, वह कितने दिन में निकाली गयी है, यह मैं नहीं बता सकता। बचावपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सी0डी0आर0 निकालने वाले अधिकारी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा अनभिज्ञ साक्षी को परीक्षित कराया गया है। इस बिन्दु पर प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-6 पर पी0डब्लू0-20 अरविन्द श्रीवास्तव ने न्यायालय द्वारा पृच्छा किये

जाने पर यह बताया है कि डेटा फीडिंग के सिस्टम में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मैं नहीं बता सकता कि सी0डी0आर0 निकालने के दौरान मेन सर्वर बन्द हुआ था अथवा नहीं। यह सही है कि प्रदर्श क-73 आज ही बनाकर मेरे द्वारा दाखिल किया गया है। यह सही है समान रूप से वही व्यक्ति प्रमाण-पत्र देता है जो कि प्रिन्ट आउट निकालता है। इस केस में अर्पित श्रीवास्तव द्वारा जारी कोई भी प्रमाण-पत्र मैंने नहीं देखा है। यह न्यायालय बचावपक्ष के इस तर्क के सम्बन्ध में इस मत की है कि अभियोजन द्वारा कॉल डिटेल के सम्बन्ध में धारा-65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं साक्ष्य में यह भी आ चुका है कि कि डेटा फीडिंग के सिस्टम में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसी दशा में यदि सी0डी0आर0 निकालने वाले अधिकारी अर्पित श्रीवास्तव को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा तैनात अधिकारी द्वारा यदि रिपोर्ट सबमिट की गयी है तो इसका कोई प्रभाव अभियोजन के केस पर नहीं पड़ता है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ-7 पर यह कथन किया है कि सी0डी0आर0 की द्वितीय हार्ड व साफ्ट कापी मेरे पास या आफिस में उपलब्ध नहीं है। मैंने आज जो प्रमाण-पत्र दाखिल किया है, उसके साथ कोई सी0डी0आर0 दाखिल नहीं किया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि मूल प्रति अथवा साफ्ट कापी सर्विस प्रोवाइडर के पास न होने से कोई प्रतिकूल अवधारणा नहीं की जा सकती है, जबकि अभियोजन द्वारा शेष साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन कथानक को साबित किया जा रहा है।

91. पी0डब्लू0-21 के रूप में राजीव सिंह सेंगर को परीक्षित कराया गया है, जो नोडल आफीसर भारतीय एयरटेल यू0पी0 वेस्ट हैं। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान पृष्ठ-1 पर यह कथन किया है कि एस0एस0पी0 कानपुर के पत्र के जवाब में मेरे कार्यालय से दिनांक 11.08.2014 को पत्र जारी हुआ था, जो मूल रूप से पत्रावली पर कागज सं0-1615 है। यह पत्र कौशलेन्द्र त्रिपाठी ने जारी किया था। इस पर कौशलेन्द्र त्रिपाठी के हस्ताक्षरों को मैं पहचान सकता हूँ। इस पत्र के द्वारा मो0नं0 9651886868, जो सायरा बानो के नाम था, की कॉल डिटेल रिपोर्ट दी गयी थी। इसके अतिरिक्त मो0नं0 8853902938, जो मुन्नी देवी के नाम था। मो0नं0 8127986342, जो अनिल कुमार के नाम से था। मो0नं0 9956353535, जो राम जसलानी के नाम से है तथा मो0नं0 7897139393, जो मनीषा मखीजा के नाम से है, की सी0डी0आर0 डिटेल दी गयी थी व सी0ए0एफ0 (कस्टमर एप्लीकेशन फार्म) दिये गये थे। कागज सं0-1615 पर

प्रदर्श क-74 डाला गया है। प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0-21 राजीव सिंह सेंगर ने यह कथन किया है कि मो0नं0 8127986342 के सी0ए0एफ0 फार्म में मुल्ज्म अवधेश के नाम से नहीं है।

92. पी0डब्लू0-22 के रूप में कौशिक घोषाल को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि एस0एस0पी0, कानपुर-नगर ने पत्र दिनांकित 25.02.2015 के द्वारा चार मोबाइल नं0 9839037272, 9838868686, 9838202354 एवं 9839031010 के कॉल डिटेल मांगे थे। उक्त कॉल डिटेल सिस्टम से निकाले गये। इस साक्षी ने उपरोक्त चारों मोबाइल नंबर के सन्दर्भ में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी0डब्लू0-22 कौशिक घोषाल ने पृष्ठ-13 पर यह कथन किया है कि मो0नं0 9999953030 पेपर सं0-1872 को देखकर बताया कि इस नंबर में भी 11 जुलाई के बाद अर्थात् 12 जुलाई से 27 जुलाई तक न तो कोई बात हुयी और न ही कोई एस0एम0एस0 हुआ। 23 जून 2014 से 10 जुलाई 2014 तक कोई बात नहीं हुयी। 11 जुलाई को केवल 05 आउट गोइंग व 02 इनकमिंग कॉल डेटा में है। 11 जुलाई 2015 को छोड़कर 23 जून 2014 से 27 जुलाई 2014 तक मो0नं0 9999953030 से किसी अन्य नंबर पर कोई एस0एम0एस0 या कॉल नहीं की गयी है।

93. पी0डब्लू0-23 के रूप में प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण मिश्रा को परीक्षित कराया गया है, जो मुकदमें में सह विवेचक थे तथा उनके द्वारा एस.सी.डी. 1 से 18 तक किता की गयी थी तथा पेपर कटिंग का संकलन भी विवेचना के लिए किया गया था। पी0डब्लू0-23 द्वारा अभियुक्त पीयूष की कथित फेकिट्रियों की तलाशी भी ली गयी थी। जिन्होंने समाचार-पत्रों में हुयी खबरों के सम्बन्ध में ही कथन किया है और दिनांक 20.07.2014 को प्रातः 8.00 बजे से दिनांक 21.07.2014 की प्रातः 8.00 बजे तक 85 एम0एम0 बारिश होने की रिपोर्ट, जो नाजिर से प्राप्त की थी, को प्रस्तुत किया है। प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी0डब्लू0-23 शशिभूषण मिश्रा द्वारा यह कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 11.08.2014 को अवधेश व सोनू के घर खाना तलाशी की फर्द उसके द्वारा नहीं लिखी गयी है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-6 पर पी0डब्लू0-23 शशिभूषण मिश्रा ने यह कथन किया है कि जो पत्र विवेचना के दौरान प्राप्त किये थे, उनको लिखने वाले के बयान मैंने केस डायरी में अंकित नहीं किया है।

94. पी0डब्लू0-24 के रूप में डा० प्रवीन कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी फारेन्सिक फील्ड यूनिट छावनी, कानपुर-नगर को परीक्षित कराया

गया है, जिन्होंने दिनांक 05.08.2014 को तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवकुमार राठौर से इस प्रकरण से सम्बन्धित हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर जाने और सड़क के किनारे दिव्य अस्पताल के सामने लोधेश्वर मंदिर के पास पनकी रोड कल्यानपुर, कानपुर-नगर में दिनांक 05.08.2014 को सांय 5.45 पी0एम0 पर अपनी फारेन्सिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचने तथा घटना स्थल पर सड़क के किनारे झाड़ियों में एक अदद चाकू पड़ा होने का साक्ष्य दिया है तथा चाकू पर परीक्षण में कोई अंगुलियों के निशान न मिलने तथा बेन्जीडीन परीक्षण में चाकू पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि होने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0-4 डा० प्रवीन कुमार श्रीवास्तव द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 05.08.2014 को थानाध्यक्ष स्वरूप नगर शिवकुमार राठौर ने सांय लगभग 5.00 बजे सूचना दी थी। राठौर साहब ने मुझे पनकी लोधेश्वर मंदिर पहुंचने के लिये कहा था। जब यह सूचना मिली थी, तब मैं आफिस कैन्ट, कानपुर में था। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-4 पर पी0डब्लू0-24 डा० प्रवीन कुमार श्रीवास्तव ने यह कथन किया है कि मेरे पहुंचने पर चाकू लोकेट हो चुकी थी। उक्त चाकू लोकेट होने की बात मैंने विवेचकों को बतायी थी या नहीं, याद नहीं है। बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त साक्षी के पहुंचने के पूर्व ही उपरोक्त कथित बरामदगी की गयी थी। साक्षी के पहुंचने से पूर्व ही बरामदगी कराये जाने से स्पष्ट है कि उक्त बरामदगी प्लान्टेड है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि पी0डब्लू0-24 डा० प्रवीन कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपने सामने ही चाकू के लोकेट होने की बात कही गयी है। इससे कदापि यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उक्त साक्षी के आने के पहले ही सारी कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त न्यायालय इस मत की भी है कि यदि फर्द बरामदगी अन्यथा साक्ष्य से साबित है तो मात्र किसी एक साक्षी के समक्ष बरामदगी न होने से कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन पर नहीं पड़ता है। अतः इस तर्क का भी कोई लाभ बचावपक्ष को नहीं दिया जा सकता है।

95. पी0डब्लू0-25 के रूप में विनोद कुमार, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने घटनास्थल पर खड़ी कार में से साक्ष्य एकत्रित किये जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0-5 विनोद कुमार द्वारा यह कथन किया गया है कि मौके पर रात्रि 2.30 ए0एम0 पर पहुंचा था। मेरा बयान विवेचक ने नहीं लिया था। वस्तु प्रदर्श-56 लगायत 92 डिजिटल कैमरे से खिंचवाये थे। मेरे पास जो डिजिटल कैमरे हैं, उनमें तारीख व समय नहीं आता है। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा था तो कार के

दरवाजे खुले हुए थे। शान्ति मेडिकल स्टोर पनकी मंदिर से आधा एक किलोमीटर पड़ेगा। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-6 पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि 65बी का प्रमाण-पत्र दिनांक 09.08.2018 को विवेचक को नहीं दिया, बल्कि सीधे न्यायालय में दिया था। यह कहना गलत है कि यह फोटोग्राफ बाद में फर्जी तैयार कराये गये हैं।

96. पी0डब्लू0-26 के रूप में धर्मप्रकाश शुक्ला प्रभारी निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में विधिविज्ञान प्रयोगशाला में माल पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-5 पर पी0डब्लू0-26 धर्मप्रकाश शुक्ला ने यह कथन किया है कि विधिविज्ञान प्रयोगशाला से कौन-कौन विसंगति के कारण माल वापस आया, इसका सी0डी0 में उल्लेख नहीं किया है। क्यों नहीं किया, इसका कारण नहीं बता सकता। दिनांक 26.08.2014 को मेरे द्वारा विधिविज्ञान प्रयोगशाला में डाकेट सं0 न होकर क्रमांक नं0 लिखा है। वीडियोग्राफी वाली सी0डी0 दिनांक 07.10.2014 को एफ0एस0एल0 परीक्षण हेतु भेजी गयी थी। देरी के कारण सी0डी0 में उल्लेख नहीं किया है। जो माल मैंने मालखाने से प्राप्त किया था, लाल रंग की सील लगी थी। सील किसकी थी, सी0डी0 में अंकित है। उस सील पर क्या चिन्ह बना था, मुझे याद नहीं है।

97. पी0डब्लू0-27 के रूप में परीक्षित गोपीचन्द्र यादव निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 28.07.2014 को मैं थानाध्यक्ष पनकी के पद पर तैनात था। उस दिन मैं अपने हमराही कर्मचारियों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर था, तभी जरिये आर0टी0 सेट सूचना मिली कि थाना-स्वरूप नगर क्षेत्र से एक गाड़ी (कार) नं0 यू0पी0-78-बी0आर0-5009 हान्डा एकार्ड, जिसमें एक महिला है और थाना-स्वरूप नगर क्षेत्र से कुछ लोग अपहरण करके ले गये हैं, की तलाश हेतु चेकिंग करता हुआ ई0 ब्लाक के सामने ग्रीन बेल्ट के पास आया, जहां शांति मेडिकल स्टोर के सामने बनी सड़क के किनारे गाड़ी नं0 यू0पी0-78-बी0आर0-5009 थी, जिसे अपहरण करके लाया गया था। शीशे से झांककर देखा तो महिला रक्त रंजित हालत में गाड़ी के अन्दर पड़ी थी। प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी0डब्लू0-27 गोपीचन्द्र यादव द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 28.07.2014 को निरीक्षण के समय गाड़ी के अन्दर से जो सामान बरामद हुआ था, उसको फील्ड यूनिट वालों ने मुझे दिया था। उसको मैंने लेकर कपड़े में सील सर्वमोहर करके अपनी सील लगायी थी। सील मेरे नाम की नहीं थी।

98. पी0डब्लू0-28 के रूप में अमित कुमार वर्मा, नोडल आफीसर, रिलायन्स कम्युनिकेशन लिंग को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के जरिये यह अवगत कराया है कि रिलायन्स एम0बी0एल0 का कारोबार नवम्बर-2017 में बन्द हुआ था, जिसका कार्यालय अब लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो गया है, जिसका कवरिंग लेटर कागज सं0-1828 है। उस समय तत्कालीन नोडल आफीसर मधु वलुसू थे, जिन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। मैं मधु वलुसू के हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। उक्त साक्षी ने धारा-65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया है। साक्षी द्वारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण-पत्र को साबित किया गया है जो प्रदर्श क-138 व 139 के रूप में शामिल पत्रावली है। साथ ही साथ प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-4 पर पी0डब्लू0-28 अमित कुमार वर्मा ने यह कथन किया है कि सी0ए0एफ0 फार्म प्रदर्श क-136 में लगी फोटो सर्वेश कुमार की है, सोनू की नहीं है। सर्वेश की आई0डी0 लगी है। सोनू के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श क-38 मोबाइल नं0 8687580730 प्रमाण-पत्र धारा-65बी, मैंने आज न्यायालय में दाखिल किया है। इस प्रमाण-पत्र को मेरे पूर्व नोडल अधिकारी द्वारा दौरान विवेचना विवेचक को दिया गया था या नहीं, मुझे मालूम नहीं है।

99. पी0डब्लू0-29 के रूप में उपनिरीक्षक कुलभूषण सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने यह साक्ष्य दिया है कि वर्ष 2014-2015 के दौरान मैं आरक्षी के पद पर सर्विलांस कार्यालय एस0एस0पी0, कानपुर-नगर में तैनात था। वर्तमान में भी सर्विलांस यूनिट, कानपुर-नगर में तैनात हूँ। वर्तमान में एयरसेल कम्पनी बन्द हो चुकी है। बन्द होने के कारण सी0डी0आर0 मोबाइल नं0 7784987598 से सम्बन्धित सी0ए0एफ0 उपलब्ध न होने के कारण कम्पनी की मेल अधिकृत एन0आई0सी0 आई0डी0 से घटना के समय निकाली गयी थी, जो कि दिनांक 17.03.2014 से 29.07.2014 तक का का डिटेल का विवरण है। उक्त डेटा सी0ए0एफ0 मैं अपने साथ लाया हूँ। प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इस साक्षी से बचावपक्ष द्वारा ऐसा कोई कथन न्यायालय के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया है, जो बचावपक्ष के कथनों को समर्थित करता हो।

100. पी0डब्लू0-30 के रूप में निरीक्षक राजीव द्विवेदी को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ब्लैकबेरी मोबाइल की डिटेल मैंने कम्पनी से मांगी। कम्पनी ने आई0एम0ई0आई0 व ई0मेल0 आई0डी0, जिसमें नाम एकटीवेट किया गया था, का विवरण कम्पनी

ने दिया था। कम्पनी के पत्र के अनुसार आई0एम0ई0आई0 नंबर 358567040242816 ई0मेल0 आई0डी0 दिनांक 17.09.2011 को Manisha05 @hotmail.com एवं दिनांक 02.10.2012 को ई0मेल0 आई0डी0 Piyush Shyam Dasani@ yahoo.com से एकटीवेट हुआ था। इस मोबाइल सेट पर आखिरी आई0एम0ई0आई0 नं0 405045017477576 दिनांक 30.07.2014 को हुआ था। मुख्य परीक्षा में ही पी0डब्लू0-30 निरीक्षक राजीव द्विवेदी ने यह कथन किया है कि सह-विवेचक अखिलेश कुमार गौड़ के साथ दिनांक 27 / 28.07.2014 को सभी अभियुक्तगण द्वारा आपस में की गयी वार्ता और उनकी लोकेशन को एक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिसकी प्रति मैंने प्राप्त की है। इस चार्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मुख्य परीक्षा में ही पी0डब्लू0-30 निरीक्षक राजीव द्विवेदी द्वारा पृष्ठ-14 पर यह कथन किया गया है कि अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया व आशीष कश्यप की गिरफ्तारी के दौरान जामा तलाशी में बरामद मोबाइल फोन कमशः सफेद रंग का सैमसंग मोबाइल, काले रंग का सैमसंग मोबाइल व माइक्रोसैक्स ए-62 अन्दर मालगृह से निकलवाकर उनका आई0एम0ई0आई0 नंबर देखे गये। उक्त मोबाइल मुकदमे से सम्बन्धित घटित घटना की योजना बनाने, वार्तालाप करने व अपराध कारित करने में इनका प्रयोग अभी तक के कॉल विवरण के विश्लेषण से स्पष्ट व प्रमाणित है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-32 पर पी0डब्लू0-30 निरीक्षक राजीव द्विवेदी द्वारा यह कथन किया गया है कि मोबाइल नं0 8127986342 के बारे में पता किया, जो अनिल कुमार के नाम था, जिसका अवधेश द्वारा प्रयोग किया जाता था। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-38 पर पी0डब्लू0-30 निरीक्षक राजीव द्विवेदी द्वारा यह कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि मुल्जिम अवधेश की गिरफ्तारी मेरे सामने नहीं हुयी और न ही मेरे सामने तथाकथित मोबाइल सैमसंग की बरामदगी हुयी। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-32 पर ही इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी के मोबाइल को सर्व सीलमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था, जिसका उल्लेख सी0डी0 एवं जी0डी0 नं0-592055 दिनांक 17.10.2014 को किया था। यह कहना सही है कि नमूना मोहर की फर्द अदालत में मेरे सामने नहीं है। सीलबन्द डिब्बा जो प्रदर्श क-102 न्यायालय में खोलने पर मुल्जिम अवधेश का मोबाइल तो उसका रंग सफेद सैमसंग निकला, काला नहीं। यह कहना सही है कि आला कत्ल चाकू मु0अ0सं0-155 / 2014, धारा-4 / 25 आयुध अधिनियम का आरोप पत्र मेरे द्वारा अभियुक्त सोनू के विरुद्ध प्रेषित नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त अवधेश

और सोनू के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-153 व 153ए झूठा, निराधार व फर्जी थाने पर बैठकर तैयार कर प्रेषित किया है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-46 पर पी0डब्लू0-30 निरीक्षक राजीव द्विवेदी द्वारा यह कथन किया गया है कि जिन पांच मोबाइल नंबरों का मनीषा द्वारा प्रयोग किया जाना कहा गया है, मेरे द्वारा जो धारा-161 द0प्र0सं0 का बयान लिया गया है, उसमें पांच नंबर 789713939393, 8090766837, 9651886868, 9839955320 एवं 9999953030 का मनीषा द्वारा प्रयोग किया जाना किसी साक्षी के साक्ष्य में नहीं आया है। मेरे द्वारा मनीषा के पास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं किया गया है।

101. पी0डब्लू0-31 के रूप में उपनिरीक्षक रीना गौतम को परीक्षित कराया गया है, जिनके सम्बन्ध में बचावपक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी, किन्तु उनकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जो बचावपक्ष के कथनों के समर्थन में हो।

102. पी0डब्लू0-32 के रूप में कां0 करन कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के द्वारा अभियुक्त सोनू से लिये गये कपड़ों की बरामदगी का साक्ष्य दिया है तथा उक्त कपड़ों पर वस्तु प्रदर्श-109, 110, 111, 112, 113 व 114 डाला गया। प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी0डब्लू0-32 कां0 करन कुमार सिंह द्वारा यह कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि अभियुक्त सोनू से बरामद नीली जीन्स का ब्राण्ड कोकिन 1994, जो जीन्स पर कढ़ा हुआ है। अभियुक्त सोनू से बरामद टी0शर्ट पर जो लोगो बना हुआ है, उसमें आर0टी0 रिंग टोन्स अंकित है। उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर बचावपक्ष द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य न्यायालय के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया है, जो बचावपक्ष को समर्थित करता हो।

103. पी0डब्लू0-33 के रूप में सागर रत्नानी को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी से भी प्रतिपरीक्षा किये जाने पर बचावपक्ष द्वारा कोई ऐसा कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो बचावपक्ष के केस को समर्थित करता हो।

104. पी0डब्लू0-34 के रूप में प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार सिंह राठौर को परीक्षित कराया गया है, जो कथित घटना के विवेचक हैं। इस साक्षी से बचावपक्ष द्वारा की गयी विस्तृत प्रतिपरीक्षा के उपरान्त प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-105 पर पी0डब्लू0-34 शिवकुमार सिंह राठौर ने कथन किया है कि जी0डी0 नं0-22 में इस बात का तस्करा है कि मैंने दिनांक 30.07.2014 को मुल्जिम अवधेश को रावतपुर स्टेशन के पास से समय 11.30 बजे गिरफ्तार

किया था। इस बात का भी तस्करा है कि मैंने गिरफतारी मेमो बनाया था। गिरफतारी के समय अभियुक्त अवधेश के पास से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ था। अभियुक्त का दाखिला उसी दिन 21 बजकर 55 मिनट पर बहवाले जी0डी0 नं0-63 थाने पर किया था। इसी पृष्ठ पर जी0डी0 नं0-3 के सम्बन्ध में विवेचक ने यह कथन किया है कि मैंने ही किता किया है। सी0डी0 में जो भी लिखा है, सही लिखा है। मुल्जिम सोनू की गिरफतारी का तस्करा सी0डी0 नं0-3 में है तथा गिरफतारी मेमो बनाने का भी तस्करा इसमें है। इसकी गिरफतारी गोल चौराहे के पास कानपुर से की गयी थी। इस बात का तस्करा सी0डी0 में किया था। इस दिन सोनू के पास से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ था। आला कत्ल चाकू की बरामदगी में नक्शा नजरी प्रदर्श क-160 मौके पर आकर बनाया था। नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-108 पर पी0डब्लू0-34 शिवकुमार सिंह राठौर ने यह कथन किया है कि कार हाण्डा एकार्ड की चाबी की बरामदगी अभियुक्त सोनू अवधेश व रेनू की निशानदेही पर की थी। जहाँ से चाभी बरामद थी, उस जगह की नक्शा नजरी मुझे अभियोजन प्रपत्रों में नहीं दिख रही है और न ही बनाया है। चाभी बरामद होने की फर्द बनाया है। जहाँ से मैंने चाभी बरामद की थी, उस समय वह पार्क एक ही था, टुकड़ों में नहीं था। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-109 पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि होण्डा एकार्ड कार की चाभी पार्क में से टार्च की रोशनी में बरामद की थी। जहाँ से रुमाल बरामद किया है, वहाँ से इंडियन ऑयल कारपोरेशन विजय नगर का मुख्य गेट लगभग डेढ़ से दो कि0मी0 दूर है। यह फर्द में अंकित नहीं किया है। इंडियन ऑयल गेट के पास स्थित मंदिर के सामने लोहे के पाइप हैं, जिसमें रिफ्लेक्टर लगा था, से गहनों की बरामदगी गड़दों से निकालकर की गयी थी। तन्दूरी रोटी निकालने वाली छड़ कहाँ से लायी गयी, गहनों को निकालने के लिये इसका फर्द में उल्लेख नहीं है। हाण्डा एकार्ड कार की चाभी, जो न्यायालय के समक्ष सीलहालत में है, जिस पर वस्तु प्रदर्श-25 पड़ा है। चाभी के सीलबन्द कपड़े के ऊपर प्रार्थी ने अपना हस्ताक्षर होना नहीं पाया है। सीलबंडल कपड़े वस्तु प्रदर्श-25 पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस साक्षी ने कहा है कि इस पर उसकी अपनी सील लगी है। पृष्ठ-112 पर पी0डब्लू0-34 शिवकुमार सिंह राठौर ने यह कथन किया है कि मैंने जी0डी0 नं0-3 दिनांकित 31.07.2014 के पृष्ठ-81 पर मैंने अंकित किया है कि “ मुझ एस0ओ0 द्वारा गिरफतार शुदा तीन नफर अभियुक्तगण का थाना लाकर रपट नं0-2 समय 00.30 ए0एम0 रोजनामचा आम तारीखी इमरोजा पर दाखिल

किया गया एवं अभियुक्तगण को अन्दर हवालात मर्दाना बन्द कराया गया। “ उपरोक्त तथ्य मैंने बिल्कुल सही लिखे हैं। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-123 पर इस साक्षी ने यह बताया है कि प्रभारी निरीक्षक राजीव द्विवेदी विवेचक द्वारा तैयार की गयी फर्द अवधेश का मोबाइल अन्दर मालगृह से निकलवाकर सील सर्वमोहर करके पुनः माल मुकदमाती को अन्दर मालगृह रखवाया गया, से सम्बन्धित फर्द प्रदर्श क-167 बाद में विवेचक राजीव द्विवेदी द्वारा बनायी गयी थी। यह फर्द माल को मालखाने से निकलवाकर माल के विवेचक श्री राजीव द्विवेदी द्वारा बनायी गयी थी। मामले के द्वितीय विवेचक श्री राजीव द्विवेदी जीवित हैं। फर्द प्रदर्श क-167 मेरे द्वारा नहीं बनायी गयी है। फर्द प्रदर्श क-167 झूठी एवं फर्जी है, जिसे मैंने नियमानुसार साबित न किया हो, यह कहना गलत है। फर्द प्रदर्श क-167 में दूसरे मोबाइल नम्बर सैमसंग का जिक्र है, जिसका आई0एम0ई0आई0 नं0 358303057266625 लिखा है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-162 पर पी0डब्लू0-34 शिवकुमार सिंह राठौर द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त आशीष की निशानदेही पर कोई आला कत्ल बरामद नहीं हुआ था। शव सहित कार बरामदगी स्थल पर अभियुक्त आशीष की मौजूदगी थी, कोई साक्ष्य नहीं मिली। अभियुक्त आशीष के होण्डा एकार्ड कार के अन्दर होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-164 पर पी0डब्लू0-34 शिवकुमार सिंह राठौर ने बताया है कि मैं अपने बयान में बता चुका हूँ कि मुझे याद है कि घटना से पहले आशीष अभियुक्तों के साथ था, जो मोटर साइकिल से था और कार की स्पीड अधिक होने के कारण साथ नहीं चल पाया, जिसको अभियुक्त सोनू ने घटना के बाद फोन करके बुलाया था। फोन करने व आशीष के आने में कितना समय लगा, मैं नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-166 पर पी0डब्लू0-34 शिवकुमार सिंह राठौर ने यह कथन किया है कि कथित घटना कारित करन के एवज में आशीष को कोई प्रतिफल मिला हो, इसकी कोई साक्ष्य नहीं है। इसकी भूमिका सहयोग करने की पायी गयी है। आशीष को कोई प्रतिफल दिया जाना तय हुआ हो, इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं है। धारा 311 दं0प्र0सं0 क अन्तर्गत पी0डब्लू0-34 का साक्ष्य कराये जाने के उपरान्त बचाव पक्ष द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी थी। उक्त प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ 4 पर पी0डब्लू0 34 द्वारा दिनांक 23.09.2022 को यह कथन किया गया है कि कथित जी.डी. नम्बर 63 व जी.डी. नम्बर 2 को थाना स्वरूप नगर से प्राप्त करने हेतु थाना प्रभारी से मौखिक अनुमति प्राप्त की थी जिनके द्वारा पैरोकार जमुना लाल को निर्देशित किया गया और पैरोकार जमुना लाल द्वारा उपरोक्त जी.डी. प्रदान

की गयी है। यह पृच्छा किये जाने पर कि परचा नम्बर 2सी के अन्त में संलग्नक में जिन प्रपत्रों को शामिल सी.डी. का उल्लेख किया है, उसमें जी.डी. नम्बर 63 का उल्लेख किया है? पी0डब्लू0 34 द्वारा कथन किया गया है कि संलग्नक में जी0डी0 नम्बर 63 न लिखकर उसके स्थान पर दाखिला लिखा है। दाखिला का तात्पर्य जी0डी0 से ही है। परचा नम्बर 3 दिनांकित 31.07.2014 में मेरे द्वारा अभियुक्त सोनू की गिरफ्तारी का उल्लेख समय 23:50 बजे पकड़ने का उल्लेख किया है। पृष्ठ 7 पर पी0डब्लू0 34 ने यह कथन किया है कि मेरे द्वारा मुख्य परीक्षा में दिनांक 09.08.2019 को पेज नम्बर 16 पर अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी की गिरफ्तारी का थाने में लाकर दाखिल करने की बात कही थी। बरामदगी के बारे में नहीं बताया था जिसका उल्लेख केस डायरी के परचों व जी0डी0 में है। यह पूछे जाने पर कि जी0डी0 नम्बर 63 प्रदर्श क-177 के प्रथम पृष्ठ पर तलाशी में जो पाया गया सामान अंकित किया गया है, उसमें सैमसंग मोबाइल का जिक्र उस समय क्यों नहीं किया गया? साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि जी0डी0 के अन्तिम पृष्ठ पर सैमसंग मोबाइल का उल्लेख किया गया है, प्रथम पृष्ठ पर नहीं किया गया है। पृष्ठ 13 पर यह पूछे जाने पर कि दिनांक 30.07.2014 को मुल्जिम अवधेश को रावतपुर स्टेशन के पास से 11:30 मिनट पर गिरफ्तार किया, इस बात का भी तस्करा है कि मैंने गिरफ्तारी मेमो बनाया। गिरफ्तारी के समय मुल्जिम अवधेश के पास से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ था। साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है यह मेरा बयान सही है लेकिन अरेस्टिंग मेमो में मोबाइल बरामदगी का उल्लेख है। अरेस्टिंग मेमो में मोबाइल का मॉडल नम्बर और आई.एम.ई.आई. नम्बर नहीं लिखा है और सिम नम्बर भी नहीं लिखा है। सिम बरामदगी भी नहीं लिखा है। सोनू रेनू और आशीष के अरेस्टिंग मेमो में उनके पास से किसी मोबाइल की बरामदगी नहीं लिखी है लेकिन जी0डी0 में उल्लेख है। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि यह कहना गलत है कि जी0डी0 नम्बर 63 व 2 फर्जी बनाकर लायी गयी हो।

105. पी0डब्लू0-35 के रूप में हेड कां0 ओमप्रकाश को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने फर्द बरामदगी प्रदर्श क-171 के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में बचावपक्ष द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य न्यायालय के समक्ष उद्घृत नहीं किया गया है, जो बचावपक्ष के कथनों को समर्थित करता हो।

106. पी0डब्लू0-36 के रूप में कां0 223 बृजकिशोर दीक्षित को परीक्षित कराया गया है, जिनसे विस्तृत प्रतिपरीक्षा बचावपक्ष द्वारा की गयी है, किन्तु प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तथ्य न्यायालय के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया है, जो बचावपक्ष के केस का समर्थन करता हो।

107. पी0डब्लू0-37 के रूप में रामप्रकाश प्रभारी निरीक्षक, जो मु0अ0सं0-155/2014, अन्तर्गत धारा-4/25 आयुध अधिनियम के विवेचक हैं, को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी से बचावपक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है, जिसमें पृष्ठ-3 पर इस साक्षी ने बताया है कि यह बात सही है कि नवशा नजरी प्रदर्श क-174 में गाड़ी खड़ी होने का समय दर्शाया गया है। गाड़ियों खड़ी होने का स्थान नहीं दर्शाया गया है, किन्तु यह कहना भी सही है कि नवशा नजरी के हमराहियान, पुलिस कर्मियों व प्रभारी यूनिट के खड़े होने का स्थान नहीं दर्शाया गया है।

108. न्यायालय साक्षी नं0-1 मधु वलुसू को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा कागज सं0-1829, 1830 व 1830 प्रमाणित सी0ए0एफ0 को कम्प्यूटर सिस्टम से डाउनलोड किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। साक्षी ने मोबाइल नम्बर 8687145104 तथा 8687580730 का कॉल डिटेल रिपोर्ट एवं सी.ए.एफ. को प्रस्तुत किया है तथा समक्ष न्यायालय उपस्थित आकर साबित किया है जो प्रदर्श क-140, क-141 व क-142 के रूप में शामिल पत्रावली है।

109. उभयपक्षों को सविस्तार सुनने एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी एवं मृतका पूजा उर्फ ज्योति श्यामदसानी का विवाह दिनांक 28.11.2012 को होना स्वीकृत तथ्य है। प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन का यह तर्क है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी अन्य सह-अभियुक्तों से साजिश करके मृतका ज्योति श्यामदसानी को अपने साथ वराण्डा रेस्टोरेन्ट ले गया। वराण्डा रेस्टोरेन्ट पहुंचने के बाद से ही अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी अन्य अभियुक्तों के साथ लगातार फोन पर सम्पर्क में था तथा शेष अभियुक्तों की लोकेशन भी मोबाइल के अनुसार वराण्डा रेस्टोरेन्ट के इर्द गिर्द में है तथा अभियुक्त पीयूष ने वराण्डा रेस्टोरेन्ट से निकलने के बाद अन्य अभियुक्तों की साजिश में होकर अपनी कथित कार होण्डा एकार्ड नम्बर यू0पी0-78-वी0वाई0-5009 एवं अपनी पत्नी मृतका ज्योति को अन्य सह-अभियुक्तों को सौंप दिया तथा उन लोगों ने मृतका ज्योति को ले जाकर

पनकी आवास विकास के पास उसकी हत्या कर एवं जेवरात को लूटकर मृतका को गाड़ी में छोड़कर वहां से भाग गये।

110. प्रस्तुत मामले में चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0-19 डा० राजेश कुमार अग्रवाल ने मौखिक साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-70 को साबित करते हुए यह कथन किया है कि मृतका श्रीमती ज्योति श्यामदसानी की मृत्यु चाकू के मारने से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुयी है। स्पष्टतया मृतका ज्योति की हत्या कारित की गयी है। अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य साबित हो चुका है कि दिनांक 27.07.2014 को अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी अपनी पत्नी (मृतका ज्योति) को लेकर वराण्डा रेस्टोरेन्ट में आया था तथा डिनर के उपरान्त रात्रि 11.30 बजे अपनी पत्नी (मृतका ज्योति) को लेकर नीचे उतरा और अपनी कार में बिठाकर रवाना हुआ। स्पष्ट है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी “अंतिम समय” में अपनी पत्नी (मृतका ज्योति) के साथ रात्रि 11.30 बजे के बाद भी साथ में था। मृतका का शव रात्रि के 12.30 बजे के बाद में बरामद होने का साक्ष्य भी अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी मृतका की मृत्यु का समय दिनांक 27 / 28.07.2014 की रात्रि 12.30 बजे होना संभव है, जैसा कि चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0-19 डा० राजेश कुमार अग्रवाल ने यह कथन किया है कि “मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व आयी चोटें दिनांक 27.07.2014 को रात्रि 11 से 12 बजे पहुँचाया जाना सम्भव है। पी0डब्लू0 19 के उक्त बयान से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु दिनांक 27-07-2014 में रात्रि 12:00 बजे के आसपास की कारित की गयी है। मृतका ज्योति के साथ अभियुक्त पीयूष रात्रि 11.30 बजे के बाद भी था। अंतिम बार देखे जाने के पश्चात् कुछ ही समय बाद रात्रि लगभग 12.30 बजे मृतका की हत्या कारित कर दी गयी। अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया गया था कि वराण्डा रेस्टोरेन्ट से निकलने के बाद सात-आठ लोग मोटरसाइकिलों से आये और उसकी कार (होण्डा एकार्ड) में टक्कर मारकर उसे रोक दिया तथा उसे धक्का देकर गिरा दिया और उसकी गाड़ी व पत्नी को अपहरण करके ले गये, किन्तु इस सन्दर्भ में यह साक्ष्य आ चुका है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी की कार में कोई डेन्ट या खरोंच नहीं था, जबकि मोटरसाइकिल से टक्कर मारे जाने पर अथवा किसी प्रकार की कोई टक्कर होने पर गाड़ी में डेन्ट एवं खरोंच आना अति संभाव्य है। इस सन्दर्भ में पी0डब्लू0-10 उपनिरीक्षक राजेश कुमार शुक्ला का साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जिन्होंने टेक्निकल मुआयना रिपार्ट को प्रदर्श क-10 के रूप में साबित

किया है और यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी की कार में कोई डेन्ट अथवा खरोंच नहीं थी, जबकि होण्डा एकार्ड जैसी कार में यदि कोई टक्कर होती है तो निश्चित रूप से डेन्ट भी आयेगा और यदि टक्कर बहुत हल्की है, तब भी खरोंच आयेगा, किन्तु उपरोक्त कार में किसी प्रकार की खरोंच भी न आना अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के उक्त कथन को संदिग्ध बनाता है। यही नहीं अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी ने तो अपनी तहरीर प्रदर्श क-37 में यह भी कथन किया था कि समय करीब रात 11:30 पी.एम बजे मेरी गाड़ी के सामने चार मोटर साईकिल सवार कुल सात-आठ लोग सामने से कम्पनी बाग से रावतपुर रोड पर आ गये और मेरी गाड़ी पर ठोकर मारी सामने से मारी, मेरे विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट कर मुझे गाड़ी के बाहर गिरा दिया तथा तीन-चार लोग गाड़ी में बैठकर जिसमें एक व्यक्ति गाड़ी चलाकर लेकर भाग गया। बयान अन्तर्गत धारा-161 द०प्र०सं० में अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी ने हाथ में किसी नुकीली चीज से मारे जाने का भी कथन किया था, किन्तु इस सम्बन्ध में पी०डब्ल०-१० कां० श्री नारायण ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के शरीर पर आयी किसी चोट से इन्कार किया है तथा यह कथन किया है कि मैंने उस वक्त पीयूष श्यामदसानी पर कोई जाहिरा चोट नहीं देखा था। पीयूष श्यामदसानी को एहितयातन मेडिकल हेतु भेजा था। होमगॉर्ड शम्भू सिंह की वापसी का तस्करा मैंने जी.डी. संख्या 17 पर समय 5:45 सुबह दिनांक 28.07.2014 को किया था। शम्भू सिंह होमगॉर्ड ने वापसी पर बताया था कि पीयूष श्यामदसानी ने कहा था कि डाक्टर नहीं है, मैं स्वयं डाक्टरी करा लूँगा। यह कहते हुए चले गये थे। प्रतिपरीक्षा में भी पी०डब्ल०-१० ने यह कथन किया है कि पीयूष को डाक्टरी मुआयना हेतु जी.डी. लिखने के बाद 00:30 पर भेज दिया था। होमगॉर्ड शम्भू सिंह पॉच-सवा पॉच घण्टे बाद थाने से जाने के बाद वापस आया था। चिट्ठी मजरूबी वापस शम्भू सिंह लाया था चूंकि डाक्टरी नहीं हुई इसलिए उसे दाखिल नहीं किया था। उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पीयूष ने मेडिकल कराने से भी मना कर दिया था। अभियुक्त पीयूष के शरीर पर किसी चोट का न होना भी अभियुक्त पीयूष के कथन को संदिग्ध बनाता है। यह सामान्य तथ्य है कि यदि किसी व्यक्ति के सामने उसकी पत्नी का कोई व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध करने का प्रयास करेगा, किन्तु प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के सामने ही उसकी पत्नी को कार में हमलावरों द्वारा ले जाये जाने का कथन किया

गया है, किन्तु अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी द्वारा उनका पुरजोर विरोध न किया जाना अथवा अपनी पत्नी को हमलावरों से बचाए जाने का प्रयास न किया जाना भी अभियुक्त के कथन का संदिग्ध बनाता है। यदि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को बचाए जाने का प्रयास किया गया होता तो निश्चित रूप से उसे चोटें भी आयी होतीं।

111. यही नहीं इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि कथित हमलावरों द्वारा मृतका ज्योति के साथ कोई बलात्कार या छेड़छाड़ जैसी कोई घटना नहीं की गयी है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से विदित होता है। इसके अतिरिक्त मृतका के पास से कोई महत्वपूर्ण सम्पत्ति को लूटे जाने का भी कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी ने भी तहरीर प्रदर्श क—37 अथवा बयान अन्तर्गत धारा 161 एवं अपने लिखित कथन के माध्यम से कथित हमलावरों द्वारा उससे किसी प्रकार की लूट अथवा लूट के प्रयास का कोई कथन नहीं किया गया है, जब कि यदि हमलावरों का उद्देश्य लूट करने का होता तो निश्चित रूप से यह लूट अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के साथ भी हो सकती थी किन्तु पीयूष श्यामदसानी से किसी प्रकार की लूट अथवा लूट का प्रयास न किया जाना तथा मात्र होण्डा एकार्ड कार एवं मृतका को लेकर चले जाना लूट की कहानी को संदिग्ध बना देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कथित हमलावरों का उद्देश्य मृतका की हत्या करने का था। तथाकथित हमलावरों द्वारा मृतका के साथ ही उक्त होण्डा एकार्ड कार का भी छोड़ दिया गया है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि तथाकथित हमलावरों का उद्देश्य मात्र मृतका ज्योति की हत्या कारित करने का था। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि मृतका ज्योति, जिसका विवाह दिनांक 28.11.2012 में होना कहा गया है तथा मृतका का मायका जबलपुर, मध्य प्रदेश में है और मृतका से किसी अन्य की किसी रंजिश या दुश्मनी का कोई कथन नहीं आया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य ही आया है। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी द्वारा इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग एक घन्टे बाद 12.30 बजे दर्ज कराने की चेष्टा की गयी है जब कि जिस स्थान से मृतका एवं कार को तथाकथित हमलावरों द्वारा ले जाए जाने का कथन किया गया है, वहां से थाने की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि चार मोटरसाईकिलों से तथाकथित लुटेरों द्वारा घटना कारित किये जाने की बात कहने के बावजूद भी अभियुक्त ने किन्हीं वाहन का प्रकार अथवा नम्बर का भी कोई उल्लेख नहीं किया है। यही नहीं, यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त पीयूष

श्यामदसानी द्वारा अपने पास रखे मोबाइल से भी किसी पुलिस अथवा किसी अन्य से सहायता लेने की कोई चेष्टा नहीं की गयी, जो अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के कृत्यों को संदिग्ध बनाता है। यहाँ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मृतका को चाकू की कुल चौदह चोटें कारित की गयी हैं। कारित चोटों की प्रकृति व संख्या से भी यह दर्शित होता है कि कथित हमलावरों द्वारा मृतका की मात्र निर्ममता से हत्या करने का ही उद्देश्य था। इस बिन्दु पर अभियोजन पक्ष ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये गये विधि व्यवस्था हरेन्द्र नरायण सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 1842 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या के मामले में यदि अभियुक्त द्वारा गलत स्पष्टीकरण दिया जाना उसके विरुद्ध एक अतिरिक्त कड़ी (Additional Link) के रूप में देखा जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी द्वारा कथित घटना के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए गलत सूचना दी गयी है। ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना भी उसके विरुद्ध ही देखी जायेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही त्रिमुख मारुति करकन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2006) 10 एस.सी.सी. पेज 681 में यह कथन किया था कि

Where an accused is alleged to have committed the murder of his wife and prosecution succeeds in leading evidence to show that shortly before the commission of crime they were seen together or the offence takes place in the dwelling home where the husband also normally resided, it has been consistently held that if the accused does not offer any explanation how the wife received injuries or offers an explanation which is found to be false, it is a strong circumstance which indicates that he is responsible for commission of the crime.

112. अभियुक्त पीयूष द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क-37 में अभियुक्त पीयूष ने अपना मोबाइल नम्बर 9956353535 अंकित किया है। दौरान विवेचना केस डायरी दिनांकित 30.07.2014 सी.डी. 2ए में विवेचक द्वारा अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी से एक मोबाइल फोन ब्लैकबेरी नम्बर 9900ईटीए1251 / 2011डब्लू.पी.20 बरामद हुआ था जिसका रंग काला था

जिस मोबाइल में कोई सिम नहीं था और न ही मेमोरी कॉर्ड था। सह विवेचक राजीव द्विवेदी ने पी0डब्लू0-30 के रूप में परीक्षित होकर मुख्य परीक्षा पेज 17 पर दिनांक 17.01.2019 को यह साक्ष्य दिया है कि “महत्वपूर्ण यह है कि मोबाइल नम्बर 8090766853 में प्रयोग किये जाने वाला ब्लैकबेरी मोबाइल जिसकी आई.ई.एम.आई. नम्बर 358576040242810 के सी.डी.आर. एनालिसिस से अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबर जो कि घटना वाले दिन लगातार सम्पर्क में रहे हैं और इनकी लोकेशन भी घटना स्थल पार्वती बांगला रोड से लेकर मृतका ज्योति के शव व होण्डा एकार्ड गाड़ी मिलने के स्थान पनकी ई ब्लॉक तक पायी गयी है।” इसी कम में पी0डब्लू0-30 राजीव द्विवेदी ने भी पृष्ठ 22 पर यह कथन किया है कि “एस.सी.डी. 5 27.03.2015 टाटा टेलीकॉम सर्विस से प्राप्त पत्र जिसमें उनके द्वारा मोबाइल नम्बर 8090766853 के आई.ई.एम.आई. नम्बर 358567040242810 में यह बताया गया है कि सिस्टम द्वारा बाई डिफाल्ट लास्ट में शून्य का अंक आता है। इसी प्रकार एयरटेल द्वारा प्रेषित पत्र जिसमें आई.ई.एम.आई. नम्बर 358567040242810 और 358567040242816 यह दोनों एक ही मोबाइल हैंडसेट के हैं।” पृष्ठ 23 पर पी0डब्लू0-30 ने परचा नम्बर 75 / 18.10.2014 में अभियुक्त पीयूष का मोबाइल रंग काला ब्लैकबेरी जिसमें पर मेरे हस्ताक्षर व दिनांक हैं, मोबाइल पर वस्तु प्रदर्श 107 व डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श 108 डाला गया। विवेचक पी0डब्लू0-30 राजीव द्विवेदी द्वारा यह कथन किया गया है कि आई0एम0ई0आई0 नं0 358567040242816 उक्त ब्लैकबेरी मोबाइल दिनांक 17.09.2011 को मनीषा मखीजा की ई0मेल आई0डी0 Manisha05 @hotmail.com एवं दिनांक 02.10.2012 को अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी की ई0मेल आई0डी0 Piyush Shyam Dasani@ yahoo.com से एकटीवेट हुआ था। इस सम्बन्ध में केस डायरी में संलग्न कागज संख्या 766, 767, 768, व 769 महत्वपूर्ण हैं जिसमें ब्लैकबेरी कम्पनी लिमिटेड द्वारा विवेचक श्री शिव कुमार सिंह राठौर को फाइल नम्बर 151 / 14 लीगल डिमाण्ड डेटेड अगस्त 14, 2014 प्रेषित किया है तथा उक्त अभिलेख से भी यह दर्शित होता है कि उक्त ब्लैकबेरी मोबाइल दिनांक 17.09.2011 को manisha.05@hotmail.com piyush.shyamdsni@yahoo.com से ऐकटीवेट हुआ है। पी0डब्लू0-30 निरीक्षक राजीव द्विवेदी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त पीयूष के उपयोग का दूसरा मो0नं0 8090766853 दिनांक 03.07.2014 को उक्त ब्लैकबेरी मोबाइल में एकटीवेट हुआ था। काल डिटेल से स्पष्ट है कि उक्त मो0नं0 8090766853 का प्रथम बार अभियुक्त पीयूष के द्वारा अपनी उसी मोबाइल में दिनांक 27.05.

2014 को एकटीवेट किया गया था तथा उसके बाद लगातार उसका प्रयोग दिनांक 17.06.2014 तक किया गया। तत्पश्चात् पुनः दिनांक 03.07.2014 को चालू किया गया। उक्त साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उपरोक्त मो०नं० 8090766853 में प्रयोग किये जाने वाले ब्लैकबेरी मोबाइल, जिसका आई०एम०ई०आई० नं० 358576040242810 है, अभियुक्त पीयूष के पास से बरामद हुआ था। स्पष्ट है कि अभियुक्त का उपरोक्त मोबाइल प्रारम्भ में अभियुक्ता मनीषा मखीजा के द्वारा उपयोग किया गया, उसके पश्चात् उसी मोबाइल को अभियुक्त पीयूष द्वारा अपने ई०मेल० आई०डी० में एकटीवेट कर अपना सिम (जिसे राम जसनानी के नाम से जारी किया गया था) 9956353535 को एकटीवेट कर चलाया गया तथा उसी मोबाइल में 8090766853 का सिम डालकर प्रयोग किया गया, जिससे यह दर्शित होता है कि उक्त मोबाइल नं० 8090766853 अभियुक्त पीयूष के ही उपयोग में था। इसी क्रम में अभियुक्त पीयूष द्वारा अपनी उक्त मोबाइल 8090766853 आई०एम०ई०आई० नम्बर 358567040242810 से विभिन्न नम्बरों पर की गयी बातचीत का विवरण प्रस्तुत किया गया है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत किया गया टाटा टेली सर्विसस लिमिटेड द्वारा निर्गत कॉल डिटेल रिपोर्ट प्रदर्श क-72 के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी द्वारा अपने उक्त आई०एम०ई०आई० नम्बर 358567040242810 में सिम कॉर्ड जिसका नम्बर 8090766853 है, का उपयोग किया गया है। उक्त कॉल डिटेल रिपोर्ट से यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी द्वारा अन्य बहुत से संदिग्ध नम्बरों पर बात की गयी है। इसी क्रम में विवेचक शिव कुमार सिंह राठौर ने पी०डब्ल०-३४ के रूप में परीक्षित होकर अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी की गिरफ्तारी के दौरान प्राप्त जमा तलाशी से एक मोबाइल फोन ब्लैकबेरी 9900 आई०ई०एम०आई० नम्बर 358567040242810 को अन्दर माल गृह से निकलवाकर प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सर्वमोहर किया गया व नमूना मोहर तैयार किये जाने का साक्ष्य दिया है। उक्त अभिलेख को प्रदर्श क-168 के रूप में साबित किया है। कॉल डिटेल रिपोर्ट प्रदर्श क-72 के द्वारा अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी से बरामद मोबाइल के आई०एम०ई०आई० नम्बर 358567040242810 का उपयोग मोबाइल नम्बर 8090766853 में किया गया है। उक्त कॉल डिटेल रिपोर्ट साक्षी पी०डब्ल०-२० द्वारा साबित किया गया है एवं उसके सन्दर्भ में टाटा टेली सर्विसेस द्वारा पत्र को भी प्रस्तुत किया गया है जो प्रदर्श क-71 के रूप में शामिल पत्रावली है। इस सन्दर्भ में

साक्षी द्वारा धारा—65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण—पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है।

113. पी0डब्लू0—18 के रूप में परीक्षित उप निरीक्षक अखिलेश कुमार गौड़ ने पेज संख्या 2 व 3 में यह कथन किया है कि मोबाइल नम्बर 9956353535 का विश्लेषण अवलोकन किया गया तो दिनांक 27.07.2014 को समय 22:42 बजे मोबाइल नम्बर 8090766837 से करीब सात मिनट का वार्ता होना पाया गया है जो उस दिनांक को मृतका के आवास के लोकेशन पर पाया गया है। पृष्ठ—5 पर पी0डब्लू0—18 द्वारा कथन किया गया है कि पीयूष श्यामदसानी ने बताया कि मेरे पास 9956353535 के अतिरिक्त अन्य कोई मोबाइल नम्बर नहीं है। इसके उपरान्त मेरे द्वारा मोबाइल नम्बर 8090766837 के बारे में पीयूष से पूछा गया तो उसने बताया कि यह महिला मित्र मनीषा मखीजा पुत्री हरीश मखीजा निवासी [117/618](#) पाण्डु नगर थाना काकादेव कानपुर नगर का है। पृष्ठ 8 पर भी पी0डब्लू0—18 द्वारा यह कथन किया गया है कि तब मेरे द्वारा मनीषा से पीयूष के अन्य नम्बरों के बारे में पूछा गया तो बताया कि एक अन्य नम्बर 8090766837 व 9956353535 से मुझसे सम्पर्क किया जाता रहा है तथा मेरे पास अन्य नम्बर भी हैं जिनका समय—समय पर उपयोग किया जाता है, 9839955320, 9651886868, 9999953030, 7897139393 मेरे द्वारा पीयूष के दोनों नम्बरों पर बात हुई है तथा मनीषा द्वारा बताया गया है कि 8090766837 सिम कॉर्ड पीयूष द्वारा लाकर दिया गया था जो घटना वाले दिन के बाद बन्द करने के बात पीयूष ने 21:56 बजे दिनांक 27.07.2014 को कहा था व ब्लैक बेरी फोन जिसका आई.एम.ई.आई. नम्बर 358567040242810 है जिसमें मोबाइल नम्बर 8090766853 का प्रयोग करता था, मुझे सांय 21:56 बजे के बाद वापस किया था जो मैंने उनको 28.07.2014 को फिर वापस कर दिया था। मेरे द्वारा उक्त ब्लैक बेरी का इस्तेमाल मोबाइल नम्बर 9651886868 पर किया गया था। उल्लेखनीय रहा कि पीयूष श्यामदसानी द्वारा मोबाइल नम्बर 8090766853 का प्रयोग किये जाने की पुष्टि हो रही है। उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के पास से बरामद ब्लैक बेरी मोबाइल जिसका आई.एम.ई.आई नम्बर 358567040242810 है, का मोबाइल नम्बर 8090766853 के लिए प्रयोग किया जाना दर्शित होता है।

114. अभियुक्त मनीषा मखीजा से विवेचक अखिलेश कुमार गौड़ पी0डब्लू0—18 ने दिनांक 01.08.2014 को आई फोन एप्पल आई.एम.ई.आई नम्बर 01380007819949 एवं सैमसंग मोबाइल जिसका आई.एम.ई.आई नम्बर

356893050247640 को बरामद किया था। उक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श क-51 के रूप में शामिल पत्रावली है। पी0डब्लू0-18 ने ही उक्त सैमसंग मोबाइल में निम्नलिखित नम्बरों के प्रयोग करने का साक्ष्य दिया है जो क्रमशः 9651886868, 9999953030, 9839955320 एवं 8090766837 हैं। इस सम्बन्ध में मनीषा मखीजा की कॉल डिटेल रिपोर्ट जो टाटा टेली सर्विसेस द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त मोबाइल नम्बर 8090766837 का उपयोग मोबाइल सेट जिसका आई.एम.ई.आई नम्बर 356894050247640 है, का उपयोग अभियुक्ता मनीषा द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में विवेचक अखिलेश कुमार गौड़ का भी साक्ष्य महत्वपूर्ण है जिन्होंने पृष्ठ 24 पर यह विवरण प्रस्तुत किया है कि मोबाइलों का आई.एम.ई.आई के रेखांचित्र में अभियुक्ता का सिम सैमसंग जी.टी. 19152 में आई.एम.ई.आई. संख्या 356893050247640 में मोबाइल संख्या 9651886868 दिनांक 15.01.2014 से 16.01.2014 तथा मोबाइल संख्या 9639955320 दिनांक 16.02.2014 से 06.03.2014 तक तथा मोबाइल संख्या 8090766837 दिनांक 18.01.2014 से 22.01.2014 तक व पुनः दिनांक 21.07.2014 से 27.07.2014 तक प्रयोग किया गया है तथा दूसरे सिम आई.एम.ई.आई संख्या 356894050247640 में मोबाइल संख्या 9651886868 दिनांक 16.02.2014 से 16.03.2014 तक एवं 9999953030 दिनांक 15.01.2014 से दिनांक 16.03.2014 तक तथा 9839955320 दिनांक 11.03.2014 से 15.03.2014 तक पुनः 16.03.2014 से 18.07.2014 तक तथा मोबाइल नम्बर 8090766837 दिनांक 27.05.2014 से 21.06.2014 तक पुनः 22.06.2014 से 21.07.2014 तक प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अभियुक्ता द्वारा प्रयोग किये जा रहे ब्लैक बेरी मोबाइल संख्या 99100 आई.एम.ई.आई. नम्बर 358567040242810 को अपने मोबाइल नम्बर 9651886868 को दिनांक 01.01.2014 से 15.01.2014 तक प्रयोग किया गया है जिसमें अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 8604351351 व 9956353535 व 8090766853 में आई.एम.ई.आई नम्बर ब्लैक बेरी 358567040242810 को 15 जनवरी 2014 से 27.07.2014 तक प्रयोग किया गया है। पी0डब्लू0-18 के उक्त कथन की पुष्टि कॉल डिटेल रिपोर्ट प्रदर्श क-78 जिसे पी0डब्लू0-21 ने साबित किया है, से होती है। धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जो प्रदर्श क-85 के रूप में शामिल पत्रावली है। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये कॉल डिटेल रिकॉर्ड के सन्दर्भ में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर अनवार पी.वी. बनाम पी.के. बशीर व अन्य, सिविल अपील संख्या 4226/2012 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचना कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं धारा 65बी के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र के सन्दर्भ में निर्देश दिये गये हैं। प्रस्तुत प्रकरण में कॉल डिटेल रिकॉर्ड के प्रमाणन हेतु सम्बन्धित दूर संचार कंपनियों द्वारा धारा 65बी के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। यह सही है कि पी0डब्लू0—20 अरविन्द श्रीवास्तव ने अपूर्णता श्रीवास्तव द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड एवं पी0डब्लू0—21 राजीव सेंगर द्वारा पूर्व नोडल अधिकारी कौशलेन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रेषित रिकॉर्डों का प्रमाणन किया है किन्तु साक्ष्यों में यह आ चुका है कि उक्त रिकॉर्ड किसी मानवीय हस्तक्षेप से दूर थे। ऐसी दशा में उक्त इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को साक्ष्य में ग्राहय न किया जाना विधि सम्मत न होगा जब कि प्रस्तुत प्रकरण एक महिला की निर्मम हत्या से सम्बन्धित है। इस बिन्दु पर अभियोजन पक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था अर्जुन पण्डित राव खोटकर बनाम कैलाश कुशन राव गोरांटियाल व अन्य सिविल अपील संख्या 2407/2018 प्रस्तुत किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह प्रतिपादित किया है कि,

It may also be seen that the person who gives this certificate can be anyone out of several persons who occupy a 'responsible official position' in relation to the operation of relevant device, as also the person who may otherwise be in 'management of relevant activities' spoken of in Sub-section (4) of Section 65B. Considering that such certificate may also be given long after the electronic record has actually been produced by the computer, Section 65B(4) makes it clear that it is sufficient that such person give the requisite certificate to the "best of his knowledge and belief" (Obviously, the word " and " between knowledge and belief in Section 65B(4) must be read as "or", as a person cannot testify to the best of his knowledge and belief at the same time). उपरोक्त के आलोक में न्यायालय इस मत की है कि धारा 65बी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत किया गया धारा 65बी का प्रमाण—पत्र साक्ष्य में ग्राहय है। इसी क्रम में अभियोजन पक्ष ने एक अन्य विधि व्यवस्था शाफी

मोहम्मद बनाम स्टेट हिमाचल प्रदेश एस.एल.पी. (क्रिमिनल) 9431, 2011

में यह प्रतिपादित किया है कि

The applicability of procedural requirement under Section 65B(4) of the Evidence Act of furnishing certificate is to be applied only when such electronic evidence is produced by a person who is in a position to produce such certificate being in control of the said device and not of the opposite party. In a case where electronic evidence is produced by a party who is not in possession of a device, applicability of Section 63 and 65 of the Evidence Act Cannot be held to be excluded. In such case, procedure under the said Section can certainly be invoked. if this not so permitted, it will be denial of justice to the person who is in possession of authentic evidence/ witness but on account of manner of proving, such document is kept out of consideration by the court in absence of certificate under Section 65B(4) of the Evidence Act, which party producing cannot possibly secure. उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में न्यायालय इस मत की है कि धारा 65बी के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र तथा सी.डी.आर. को साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने योग्य है।

115. जहां तक अभियुक्त मनीषा मखीजा का प्रश्न है, यह साक्ष्य में आ चुका है कि अभियुक्ता मनीषा मखीजा का मोबाइल नंबर 9651886868, जो विवेचना में सायरा बानो के नाम से पंजीकृत होना पाया गया है, को ब्लैकबेरी मोबाइल सेट, जिसका आई0एम0ई0आई0 नंबर 358567040242810 है, से एकटीवेट किया जाना अभियुक्ता मनीषा मखीजा के ई0मेल एकाउण्ट Manisha05 @hotmail.com पर किया गया है। बचावपक्ष द्वारा इस बिन्दु पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि ई0मेल एकाउण्ट किसी के नाम का भी बन सकता है। ई0मेल एकाउण्ट मात्र से यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त मोबाइल नंबर अभियुक्ता मनीषा मखीजा का ही है। इस सन्दर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि मनीषा मखीजा द्वारा उक्त मोबाइल को एकिटवेट घटना से पूर्व ही किया गया है। ऐसी दशा में यह कहा जाना कि यह ई0मेल एकिटवेशन दौरान विवेचना किया गया है, उचित नहीं है। यही नहीं यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्ता मनीषा के अन्य नंबरों पर भी अभियुक्त पीयूष से लगातार बातें होती रही हैं एवं विवेचक द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि दिनांक 01.01.2014 से घटना के दिनांक तक

अभियुक्त पीयूष एवं अभियुक्ता मनीषा के मध्य लगभग 5500 काले की गयी हैं तथा लगभग 2200 मेसेजे किये गए। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्ता मनीषा का मोबाइल नंबर 8090766837 जिस पर अभियुक्त पीयूष की बातचीत लगातार हो रही थी, उक्त घटना के ठीक पहले 22:42 बजे बात होने के बाद से उपरोक्त मोबाइल फोन लगातार बन्द होना भी अभियुक्ता मनीषा मखीजा के साजिश में शामिल होने का संकेत दे रहा है। उक्त नम्बर 8090766837 का उपयोग मनीषा मखीजा से बरामद सैमसंग मोबाइल के आई.एम.ई.आई. 356894050247640 में किया जाना सी.डी.आर. से दर्शित होता है। अतः स्पष्ट है कि उक्त नम्बर 8090766837 का उपयोग मनीषा मखीजा द्वारा ही किया जा रहा था।

116. मोबाइल नम्बर 8090766837 तथा मोबाइल नम्बर 8090766853 दोनों क्रमशः मनीषा मखीजा एवं पीयूष श्यामदसानी द्वारा प्रयोग किये जा रहे थे। उक्त दोनों नम्बर किसी शंकर के नाम से लिये गये थे। इससे भी यह तथ्य दर्शित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा साजिश करके उद्देश्य विशेष के लिए फर्जी नम्बर लिया गया था। यही नहीं अभियुक्ता मनीषा द्वारा अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी से दिनांक 27.07.2014 को रात्रि 22:42 बजे तक उस नंबर से बात हुयी थी, किन्तु उक्त नम्बर का प्रयोग दिनांक 27.07.2014 को रात्रि 22:42 बजे के बाद से बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। कॉल डिटेल रिपोर्ट के अवलोकन से एवं विवेचक राजीव द्विवेदी के साक्ष्य से यह तथ्य दर्शित होता है कि अभियुक्ता मनीषा मखीजा द्वारा कुल पांच नंबर प्रयोग में लाए जा रहे थे, जिनमें नंबर 7897139393 एवं 9999953030 अभियुक्ता मनीषा के अपने नाम पर जारी हैं, जबकि तीन नंबर विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर लिये गये हैं, जिनमें से वह एक नंबर 8090766837, जिससे अभियुक्त पीयूष से लगातार घटना के दिन बात हो रही थी, घटना के ठीक बाद बन्द कर दिया जाना यह तथ्य दर्शित करता है कि अभियुक्त द्वारा इस मोबाइल का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही लिया गया था। बचाव पक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था कीर्ति पाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल व अन्य, क्रिमिनल अपील संख्या 50, 1725/2014 1841/2012 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि मात्र फोन कॉल के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। फोन कॉल सन्देह उत्पन्न कर सकते हैं किन्तु मात्र फोन कॉल के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा

सकता। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि प्रतिपादित विधि व्यवस्था की परिस्थितियों प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न हैं तथा वर्तमान मामले की परिस्थितियों स्वयं अभियुक्तगण की दोषिता को दर्शित कर रही हैं। अतः प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में प्रस्तुत विधि व्यवस्था का कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता। इसी क्रम में बचाव पक्ष ने एक अन्य विधि व्यवस्था **रविन्द्र सिंह उर्फ काकू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब** प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज्ञापक विधिक आवश्यकता है उसका स्थान मौखिक साक्ष्य नहीं ले सकता है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि प्रस्तुत प्रकरण में समस्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सम्बन्ध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का अभियोजन साक्षियों द्वारा अनुपालन किया गया है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था का कोई लाभ बचाव पक्ष को दिया जाना विधिसम्मत नहीं है।

117. अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस के माध्यम से यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना चूकपूर्ण है। दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं पुलिस रेगुलेशन के अनुसार किसी घटना की विवेचना में कई विवेचक नहीं हो सकते हैं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस उच्चाधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के कारण अविधिक आदेश पारित कर एक ही समय में एक से अधिक विवेचकों द्वारा विवेचना करायी है जो अविधिक है तथा मात्र इसी कारण भी अभियुक्ता दोषमुक्त होने योग्य है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि यदि विवेचना एक से अधिक विवेचकों द्वारा भी की गयी है तो इससे अभियुक्त को कोई प्रिज्यूडिश कॉर्ज नहीं होता है। यही नहीं पुलिस रेगुलेशन के पैरा 109 के अनुसार किसी इटना में एक से अधिक विवेचक भी हो सकते हैं। अतः इस आधार पर बचाव पक्ष का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। बचाव पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **गुलाम सरवर बनाम वेस्ट बंगाल, 2014 सी.ए.एल. एच.सी. 1303** तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **बाबू भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2011 किमिनल अपील नम्बर 1599/2010** प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि निष्पक्ष विवेचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष पक्षपातपूर्ण विवेचना का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है तथा विवेचना में कोई पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण भी दृष्टिगत नहीं होता है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में कोई मत व्यक्त किये जाने की कोई आवश्यकता दर्शित नहीं होती है। बचाव पक्ष द्वारा भेरु सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1994 एस.सी.आर. (1) 559, असर मोहम्मद व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी 0 किमिनल अपील संख्या 1617/2011 एवं अग्नू नागेशिया बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 1966, ए.आई.आर. पेज 119 प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि धारा 25 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं दशा में भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष से सहमत है। प्रस्तुत मामले में धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत लिये गये बयान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था का कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता। बचाव पक्ष ने एक अन्य विधि व्यवस्था शिव कुमार बनाम हुकुम चन्द्र व अन्य प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि जिला शासकीय अधिवक्ता को स्टेट का प्रतिनिधित्व करना चाहिए न कि पुलिस अधिकारियों का बचाव करना चाहिए। इस सन्दर्भ में भी न्यायालय इस मत की है कि प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियाँ सन्दर्भित विधि व्यवस्था से मेल नहीं खाती है। अतः इसका भी कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता।

118. बचाव पक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में न्यायालय ने सम्पूर्ण विवेचना की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराये जाने हेतु आदेशित किया था किन्तु विवेचक ने उक्त वीडियोग्राफी को केस डायरी के साथ संलग्न नहीं किया है, यदि वीडियो फुटेज न्यायालय के समक्ष आये होते तो सही तथ्य न्यायालय के समक्ष आ पाते। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि कथित वीडियो फुटेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तो इस आधार पर कोई प्रतिकूल अवधारणा नहीं की जा सकती है। प्रकरण में विवेचक द्वारा संकलित किए गए साक्ष्य एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर ही विचारण किया जा रहा है। मात्र इस आधार पर कि विवेचक ने फुटेज प्रस्तुत नहीं किया है, बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। अधिवक्ता मनीषा मखीजा द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में अभियोजन ने बार-बार अभियुक्ता मनीषा मखीजा एवं अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी का प्रेम सम्बन्ध होने का कथन किया है किन्तु इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया कि पी0डब्लू0-18 विवेचक अखिलेश कुमार गौड़ ने पेज 63 पर यह कहा है कि मेरी सम्पूर्ण विवेचना में मनीषा और पीयूष के प्रेम सम्बन्ध

हो, यह कोई अभिलेख साक्ष्य नहीं थी। मेरी विवेचना में मनीषा और पीयूष के प्रेम सम्बन्ध हो, इस प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं मिली है, स्वयं कहा कि सी. डी.आर. है। पी0डब्लू0-30 विवेचक राजीव द्विवेदी ने पेज 45 पर यह कहा है कि इस मुकदमे में अभियुक्ता मनीषा के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य विवेचना में नहीं मिली जिससे उसकी संलिप्तता मुकदमे में पायी गयी हो। पी0डब्लू0-15 विवेचक हरिशंकर मिश्र ने पेज 6 पर यह कथन किया है कि मैंने उक्त मुकदमे में मनीषा के संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं पायी। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि यह सही है कि प्रकरण में अभियुक्ता के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है किन्तु घटना की परिस्थितियों अभियुक्ता मनीषा की संलिप्तता को साबित करती हैं। अभियुक्ता मनीषा द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि अभियुक्ता मनीषा द्वारा अभियुक्त पीयूष के साथ असामान्य बातचीत हुई है। बचाव पक्ष द्वारा यह कथन किया गया कि पड़ोसी होने के कारण सामान्य बातचीत होना स्वाभाविक है किन्तु इस सन्दर्भ में कॉल डिटेल रिपोर्ट के हवाले से पी0डब्लू0 30 राजीव द्विवेदी ने पेज 20 पर यह कथन किया है कि दिनांक 01.01.2014 से पिछले कुछ महीनों में ही मनीषा और पीयूष के बीच लगभग **5500** कॉल और लगभग **2200** एस.एम.एस. का आदान-प्रदान हुआ है। न्यायालय इस मत की है कि लगभग सात महीनों के अन्तराल में ही लगभग 5500 कॉल पर बातचीत होना और लम्बी अवधि तक बातचीत होना तथा 2200 एस.एम.एस. का होना सामान्य नहीं है। मात्र इतनी लम्बी बातचीत ही यह तथ्य इंगित करती है कि अभियुक्ता मनीषा और अभियुक्त पीयूष के सम्बन्ध मात्र पड़ोसी के नहीं थे। 5500 कॉल पर घण्टों-घण्टों बाते होना तथा उक्त कॉल देर रात तक का होना यह तथ्य दर्शित करता है कि अभियुक्त पीयूष और मनीषा के मध्य प्रेम सम्बन्ध थे। यही नहीं यह तथ्य यह भी दर्शित करता है कि जब कि अभियुक्त पीयूष विवाहित है और इस प्रकार की बाते एक अन्य महिला से हो रही है तो निश्चित रूप से इसमें अनैतिकता भी है। यही नहीं यदि कथित घटना के दिन दिनांकित 27.02.2014 की कॉल डिटेल को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि दिनांक 27.07.2014 को दिन में 11:00 बजे से रात्रि पौने ग्यारह तक कुल 18 बार दोनों के मध्य बातचीत हुई है। यह विदित होता है कि दिनांक 27.07.2014 को प्रातः 11:44 बजे 266 सै0 11:50 बजे 1078 सै0, 12:08 बजे 587 सै0, 16:33 बजे 28 सै0, 17:09 बजे 1176 सै0, 17:30 बजे 155 सै0, 17:34 बजे 78 सै0, 17:48 बजे 67 सै0, 17:49 बजे 244 सै0, 18:19 बजे 223 सै0, 18:28 बजे 24 सै0, 18:35 बजे 10

सै0, 19:01 बजे 89 सै0, 19:39 बजे 101 सै0, 19:50 बजे 1236 सै0, 11:09 बजे 441 सै0, 21:56 बजे 775 सै0 तथा अभियुक्त पीयूष के स्वीकृत नम्बर 9956353535 से अभियुक्ता मनीषा के नम्बर 8090766837 पर 22:42 बजे 457 सै0 बात हुई है। यदि समय को ध्यान में रखे तो समय करीब 22:42 बजे ही अभियुक्त पीयूष मृतका के साथ उक्त होटल वराण्डा में विद्यमान था। इस प्रकार की असामान्य बातचीत लगभग सात महीनों में 5500 कॉल तथा 2200 एस.एम.एस. एवं घटना के दिन 12 घण्टों के अन्तराल में ही 18 बार फोन पर बात होना यह दर्शित करता है कि यह बातचीत अतिरेक प्रेम सम्बन्ध के कारण है। यही नहीं घटना के समय भी लगातार बातचीत करते रहना भी यह दर्शित करता है कि यह सम्बन्ध मात्र औपचारिक नहीं हैं। इसी बिन्दु पर विवेचक अखिलेश कुमार गौड़ द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि उक्त नम्बर 8090766853 व 8090766837, जो कमशः पीयूष श्यामदसानी तथा मनीषा मखीजा द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे थे, किन्हीं शंकर पुत्र निखिल, 65 / 08 खौदा जिला बांदा के नाम पर निर्गत किया गया है। विवेचना में यह पाये जाने पर कि उक्त ग्राम खौदा में शंकर पुत्र निखिल कुमार नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है तथा इसी आधार पर मुख्य विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 158 / 2014 धारा 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 भी पंजीकृत कराया गया यह सही है कि प्रेम सम्बन्ध का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है किन्तु परिस्थितियों यह साबित करती है कि अभियुक्ता मनीषा और अभियुक्त पीयूष के मध्य प्रेम सम्बन्ध थे। बचाव पक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया कि अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 120बी भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया है किन्तु 120बी का अपराध नहीं बनता है। सम्पूर्ण पत्रावली में हुए अपराध से सम्बन्धित प्रार्थिनी की सहमति होने का कोई साक्ष्य नहीं है। पीयूष, अवधेश व अन्य किसी से किसी अभियुक्त के साथ बातचीत का कोई साक्ष्य नहीं है। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि कथित षडयन्त्र का कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और न ही यह अपेक्षा ही की जा सकती है, किन्तु परिस्थितियां यह दर्शित करती है कि अभियुक्ता मनीषा तथा पीयूष फर्जी नम्बरों के माध्यम से उक्त घटना की साजिश में संलिप्त थे। अभियुक्ता मनीषा और अभियुक्त पीयूष का लगातार असामान्य बातचीत का साक्ष्य है। तथाकथित घटना के दिन भी लगातार अभियुक्त पीयूष और अभियुक्ता मनीषा के बीच सम्पर्क बना हुआ था यही नहीं घटना के ठीक पूर्व भी बातचीत होने का साक्ष्य है जिससे यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्ता मनीषा भी इस सम्पूर्ण प्रकरण में इस प्रकार से संलग्न थी कि घटना के पूर्व भी उससे

बातचीत हो रही थी। यही नहीं उक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगणा द्वारा फर्जी सिम के माध्यम से बातचीत की गयी और उक्त सिम को घटना के बाद बन्द (नष्ट) कर दिया गया। अतः इन परिस्थितियों में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्ता का इस प्रकरण में षड्यन्त्र में कोई हाथ नहीं था। बचाव पक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रत्येक आपराधिक घटना के लिए हेतुक (मोटिव) का होना अनिवार्य है किन्तु अभियुक्ता मनीषा के पास मृतका ज्योति की हत्या का कोई मोटिव नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि यह साक्ष्य में आ चुका है कि अभियुक्ता मनीषा व अभियुक्त पीयूष के मध्य प्रगाढ़ प्रेम सम्बन्ध थे। प्रेम सम्बन्ध को अभियुक्तों के मध्य असामान्य फोन कॉल दर्शित करता है। प्रेम सम्बन्धों में अभियुक्त पीयूष की विवाहिता पत्नी ज्योति का बाधक होना स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक है कि कोई भी विवाहिता पत्नी अपने पति के अनैतिक प्रेम सम्बन्धों को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। प्रेम सम्बन्धों में बन रही बाधा (मृतका) को रास्ते से हटाया जाना एक स्पष्ट हेतुक (Motive) अभियुक्ता मनीषा मखीजा को प्रदान करता है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष द्वारा मारुति रामा नायक बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए.आई.आर. 2003 एस.सी. पेज 3884 प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में मोटिव प्राथमिक शर्त है। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना से अभियुक्ता मनीषा के पास स्पष्ट हेतुक होना पाया गया है। अतः इस बिन्दु पर इस विधि व्यवस्था का लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। बचाव पक्ष ने एक अन्य विधि व्यवस्था सुभाष उर्फ धिल्लू बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा किमिनल अपील संख्या 1375/2010, प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि आपराधिक षड्यन्त्र के मामलों में अभियुक्तगण के मध्य एक करार का अस्तित्व में होना आवश्यक है। जहाँ कि इस प्रकार की कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है वहाँ दोषसिद्धि उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि प्रस्तुत मामले में स्पष्ट षड्यन्त्र का कोई साक्ष्य नहीं है किन्तु परिस्थितियां स्वयं इस बात की साक्षी हैं कि अभियुक्तगण के मध्य आपराधिक षड्यन्त्र था। प्रतिपादित विधि व्यवस्था की परिस्थितियों प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न हैं, अतः इस मामले में प्रयोज्य नहीं हैं।

119. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तथ्य के साक्षी के रूप में परीक्षित राजेश नागदेव, विशेष नागदेव, श्रीमती माया देवी, हितेश नागदेव, शंकर नागदेव तथा मोनिका आशुदानी ने अपने साक्ष्य के द्वारा

मनीषा मखीजा के सम्बन्ध में यह कथन किया है कि अभियुक्त पीयूष से उसके सम्बन्ध थे तथा उसने ही अभियुक्त पीयूष से मृतका की हत्या के सम्बन्ध में फोन पर कथन किया जिसे मृतका ने अपने घर वालों को बताया था। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा यह कथन किया गया कि यह साक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं है तथा अनुश्रुत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। यह भी कथन किया गया कि उक्त कथन जब कि अभियुक्त पीयूष को संसूचित नहीं हुआ है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्ता द्वारा कोई षड्यन्त्र किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि मृतका द्वारा अपने घर वालों को अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में अभियुक्ता द्वारा किए गए कथन को कहा गया है जो मृतका के कन्डकट को दर्शित करता है। अभियोजन पक्ष द्वारा इस बिन्दु पर इस बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था वासा चन्द्रशेखर राव बनाम पोन्ना सत्यनरायण व अन्य 2000 सी.आर.एल.जे. पेज 3175 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दूरभाष पर की गयी वार्ता को अनुश्रुत साक्ष्य न मानते हुए धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत रेसजेस्टे मानते हुए साक्ष्य में ग्राह्य माना था। अतः जहाँ मृत्यु के कारण के सन्दर्भ में स्पीकर किसी दबाव या उत्तेजना में कोई कथन कर रहा हो तो उसे साक्ष्य में ग्राह्य माना जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में मृतका ने अभियुक्तगण द्वारा किये गये कथन को मोबाइल फोन पर अपने घर वालों को बताया है। न्यायालय इस मत की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में यह साक्ष्य में ग्राह्य है। जहाँ तक यह तर्क है कि उक्त कथन पीयूष को संसूचित नहीं है, इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि यह सही है कि उक्त वाक्यांश अभियुक्त पीयूष को संसूचित नहीं है किन्तु लम्बी फोन वार्ता एवं दोनों के मध्य प्रेम सम्बन्ध यह साबित करता है कि घटना में अभियुक्ता की संलिप्तता भी थी। बचाव पक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया कि सम्पूर्ण तथ्य के साक्षीगण का कथन “आफ्टर थॉट” है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष द्वारा विजय हाय भानाभाई बनाम नवन्त भाई नत्थ भाई पटेल व अन्य, सुप्रीम कोर्ट 2004 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि यदि साक्षीगण से पूछताछ करने में विवेचक द्वारा विलम्ब किया गया है तो यह अभियोजन के पार्ट पर गम्भीर चूक है। इस सन्दर्भ में न्यायालय इस मत की है कि प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य के समस्त साक्षी कानपुर से दूर जबलपुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तथा मृतका की लोमहर्षक हत्या के पश्चात उनके स्वजनों का सदमे में होना स्वाभाविक है। अतः यदि विवेचक द्वारा तथ्य के साक्षीगण से पूछताछ करने में

विलम्ब हुआ है तो भी इसका कोई लाभ बचाव पक्ष को दिया जाना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय इस मत की भी है कि विधि का यह सुरक्षाप्रिय सिद्धांत है कि विवेचक की चूक का कोई परिणाम अभियोजन पक्ष पर नहीं पड़ता है तथा इससे पीड़ित पक्ष को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बचाव पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि साक्षीगण ने विवेचक को दिये गये अपने प्रथम बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया था। बाद में सिखाने—पढ़ाने पर उक्त कथन किया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि मृतका की निर्मम हत्या के पश्चात उसके घर वालों का सदमे में होना स्वाभाविक है तथा सम्भव है कि इसी कारण से उनके द्वारा यह कथन न किया गया हो किन्तु इससे अभियोजन के केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्ता मनीषा मखीजा जनपद कानपुर नगर की निवासिनी है एवं मृतका का मायका व उसके घर वाले जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अभियुक्ता मनीषा मखीजा से वादी **मुकदमा/मृतका** के परिवार वालों की शत्रुता होने का कोई कारण नहीं है। बचाव पक्ष यह बता पाने में भी असफल रहा है कि मृतका के माता—पिता और उसके घर वालों द्वारा अभियुक्ता मनीषा मखीजा का ही नाम क्यों लिया गया है? जब कि मृतका के घर वालों का न तो मनीषा मखीजा से कोई सम्बन्ध है और न ही कोई अन्यत्र शत्रुता का कोई कारण है। ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा इस बिन्दु पर **तहसीलदार सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०** की विधि व्यवस्था को सन्दर्भित किया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि मैटेरियल इम्प्रूवमेंट भी मैटेरियल कन्ट्राडिक्शन की श्रेणी का है तथा इससे गवाह की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस सन्दर्भ में न्यायालय इस मत की है कि प्रस्तुत मामले में मृतका की निर्मम हत्या के उपरान्त उनके घर वालों का सदमे में होना स्वाभाविक है तथा इस कारण यदि कोई तथ्य विवेचक के समक्ष नहीं आ सका हो तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रकरण में नहीं पड़ता है। सन्दर्भित विधि व्यवस्था की परिस्थितियां प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न हैं। अतः इस मामले में प्रयोज्य नहीं हैं। बचाव पक्ष द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **निर्मल कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 1993 सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल)पेज 289** प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन साक्षीगण के साक्ष्य में महत्वपूर्ण कन्ट्राडिक्शन पाते हुए दोषमुक्त किया था जिन कन्ट्राडिक्शन्स को अवर न्यायालय द्वारा तात्त्विक न मानते हुए दोषसिद्ध

किया था। न्यायालय इस मत की है कि प्रतिपादित विधि व्यवस्था की परिस्थितियों प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न हैं। अतः प्रस्तुत वाद में प्रयोज्य नहीं है। इसी बिन्दु पर बचाव पक्ष ने एक अन्य विधि व्यवस्था डा० सुनील कुमार शम्भू दयाल गुप्ता व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा किमिनल अपील संख्या 891/2004 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि जहाँ साक्षीगण मृतका के पिता, भाई व चाची हैं तथा अपीलार्थीगण के विरुद्ध उनके मन में दुश्मनी के भाव हो चुके हैं तथा वे इस निष्कर्ष के हो चुके हैं कि अपीलार्थीगण ही मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं एवं उनके बयानों में गम्भीर विरोधाभास है, वहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया था। प्रस्तुत मामले में यह सही है कि तथ्य के साक्षीगण मृतका के पिता, चाचा व भाई तथा माता हैं किन्तु अभियुक्तगण से उनकी दुश्मनी का कोई कारण नहीं है। तथ्य के साक्षीगण जनपद कानपुर नगर से दूर जबलपुर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ उनका सम्पर्क स्वाभाविक रूप से उनके पुत्री के घर वालों से रहा होगा। अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी जो उनका दामाद है, के सम्बन्ध में जो भी अवधारणा साक्षीगण की रही हो किन्तु शेष अभियुक्तगण के सम्बन्ध में शत्रुता का कोई कारण नहीं है। साथ ही साथ अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य में कोई गम्भीर विरोधाभास भी नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त विधि व्यवस्था जो भिन्न परिस्थितियों में प्रतिपादित है, उसका कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। बचाव पक्ष ने एक अन्य विधि व्यवस्था अशोक विष्णु दावरे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा 2004 सुप्रीम कोर्ट केसेस (किमिनल) 1468 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृतका को दहेज के लिए पीटने के कथन को इम्प्रूवमेंट मानते हुए अभियोजन केस को सन्देह से परे साबित होना नहीं माना था। प्रस्तुत प्रकरण में इस प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट बचाव पक्ष द्वारा नहीं कहा गया है। अतः इस विधि व्यवस्था का कोई लाभ बचाव पक्ष को दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। इसी बिन्दु पर एक अन्य विधि व्यवस्था स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम मुस्लिम हुसैन व अन्य 1988 (25) ए.सी.सी. पेज 8 पर बचाव पक्ष द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया है। जहाँ विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतंत्र व विश्वसनीय साक्षीगण के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त दोषमुक्ति को सही ठहराया था। इस बिन्दु पर भी न्यायालय इस मत की है कि प्रतिपादित विधि व्यवस्था

की परिस्थितियाँ प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न हैं। अतः इसका कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता।

120. इस घटना की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा उद्घाटित किया गया है कि घटना से पूर्व अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के द्वारा प्रयोग किया जा रहा मोबाइल संख्या—8090766853 से लगातार कुछ नम्बरों पर बात किया जा रहा है एवं उन मोबाइल नंबरों की मोबाइल टावर के माध्यम से लोकेशन लिये जाने पर भी यह ज्ञात होता है कि उक्त सभी मोबाइल नंबर की लोकेशन वराण्डा रेस्टोरेन्ट के पास है तथा कुछ अन्तराल के पश्चात् वे सभी मोबाइल नंबर, जहां मृतका का शव बरामद हुआ है, उस लोकलिटी तक जाना दर्शित होता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि जिन नम्बरों से अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी से लगातार बात हो रही थी, अपहरण के स्थान से लेकर मृतका के शव की बरामदगी के स्थान तक उन नम्बरों की लोकेशन मिली है। ऐसी दशा में उन संदिग्ध मोबाइल नंबर की विस्तृत जांच की गयी एवं उन मोबाइल नम्बरों के सन्दर्भ में अभियोजनपक्ष द्वारा साक्षी पी0डब्लू0—30 निरीक्षक राजीव द्विवेदी ने परीक्षित होकर यह साक्ष्य दिया है कि उक्त तिथि 27.07.2014 को शाम से ही अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी की अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, सोनू कश्यप, आशीष कश्यप एवं मनीषा मखीजा से लगातार बात हो रही थी। पी0डब्लू0 34 के रूप में परीक्षित विवेचक शिव कुमार सिंह सेंगर ने पृष्ठ 40 पर यह साक्ष्य दिया है कि मोबाइल नम्बर 8090766853 के विश्लेषण पर संदिग्ध नम्बर 8127986342 की सी.डी.आर. मंगाकर देखने पर ज्ञात हुआ कि संदिग्ध नम्बर 8127986342 व अन्य नम्बर 8090615770 पर बात किये जाने का उल्लेख व इस नम्बर का कनेक्शन घटना वाले दिन वराण्डा रेस्टोरेंट में पाया जाना अंकित है तथा इसी नम्बर पर अन्य नम्बर 8090615770 पर अन्य नम्बर 8687580730 से सम्पर्क होना अंकित है तथा घटना वाले दिन इन नम्बरों का लोकेशन पाण्डु नगर, स्वरूप नगर व पनकी होना पाया जाना अंकित है। उपरोक्त नम्बरों पर सम्पर्क का विवरण सह विवेचक के द्वारा एस.सी.डी. में प्रदर्शित किया गया है। इन नम्बरों में 8127986342 अवधेश चतुर्वेदी, 8687580730 सोनू कश्यप, 8090615770 आशीष एवं 7784987598 रेनू कनौजिया का होना अंकित है। इसी बिन्दु पर **प्रदर्श क-167** महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा विवेचक ने मालखाने से बरामद मोबाइलों को मंगाकर उनकी आई.एम.ई.आई नम्बर के माध्यम से जॉच प्रारम्भ किया है। फर्द प्रदर्श क-167 से विदित होता है कि अभियुक्त अवधेश से सैमसंग मोबाइल जिसका आई.एम.

ई.आई. नम्बर 358302057266627 तथा 358303057266625 है। अभियुक्त रेनू से बरामद मोबाइल सैमसंग की आई.एम.ई.आई नम्बर 351926060438729 तथा 3519227060438727 है एवं आशीष कश्यप का मोबाइल माइक्रोमैक्स की आई.एम.ई.आई नम्बर 911358250771052 तथा 911358250771060 है। इसी बिन्दु पर पी0डब्लू 34 द्वारा जी0डी0 संख्या 2 दिनांकित 01.08.2014 एवं जी0डी संख्या 63 दिनांकित 31.08.2014 को न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.09.2022 को उपस्थित होकर अपने साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तों के गिरफ्तारी के समय मोबाइल की बरामदगी का कथन किया है। बचाव पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई मोबाइल बरामद नहीं हुई थी। अभियुक्तगण के सन्दर्भ में कोई फर्द बरामदगी नहीं है, यही नहीं पी0डब्लू0-34 के रूप में परीक्षित विवेचक शिव कुमार सिंह राठौर ने स्पष्ट रूप से प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त से किसी मोबाइल की बरामदगी से इन्कार किया है। पी0डब्लू0 34 ने पृष्ठ 105 पर यह कथन किया है कि मैंने दिनांक 30.07.2014 को मुल्जिम अवधेश को रावतपुर स्टेशन के पास से करीब 11:30 मिनट पर गिरफ्तार किया। इस बात का भी तस्करा है कि मैंने गिरफ्तारी मेमो बनाया था। गिरफ्तारी के समय मुल्जिम अवधेश के पास से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ था। अवधेश का दाखिला उसी दिन 21:55 मिनट पर बहवाले जी0डी0 नम्बर 62 थाने पर किया था। इसी क्रम में पी0डब्लू0-34 ने पृष्ठ 105 पर यह भी कथन किया है कि सी.डी. नम्बर 3 दिनांक 31.07.2014 को किता की गयी थी, मैंने किता किया है। सी.डी. में जो भी लिखा है, सही लिखा है। मुल्जिम सोनू की गिरफ्तारी का तस्करा सी.डी. नम्बर 3 में है। गिरफ्तारी मेमो बनाने का भी तस्करा इसमें है। इसकी गिरफ्तारी गोल चौराहे के पास कानपुर से की गयी थी। इस बात का भी तस्करा सी.डी. में किया है कि इस दिन सोनू के पास से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ था। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया जब कि अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई मोबाइल की बरामदगी नहीं हुई थी फिर किसी कॉल डिटेल अथवा प्रदर्श क-167 का कोई औचित्य नहीं है। इस बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष धारा 311 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र देकर परीक्षित कराये जाने पर उन्हीं विवेचक शिव कुमार सिंह राठौर द्वारा यह कथन किया गया है कि 'मैंने अभियुक्त अवधेश, रेनू सोनू व आशीष इत्यादि के साथ अन्य मुल्जिमों को गिरफ्तार किया था। अवधेश के पास गिरफ्तारी के समय पैन कॉर्ड, डी.एल. ब्लड डोनेशन कॉर्ड, पी.एन.बी. में दो हजार रुपये जमा पर्ची, तीन फोटो, ए.टी.एम. कार्ड व एक सैमसंग

मोबाइल बरामद किया था जिसका उल्लेख जी.डी. नम्बर 63 समय 21:55 दिनांक 30.07.2014 में किया है। इसी क्रम में विवेचक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि जी.डी. नम्बर 2 समय 00:30 बजे दिनांक 31.07.2014 में अभियुक्त आशीष कश्यप, रेनू व सोनू की गिरफ्तारी का उल्लेख है। अभियुक्त रेनू से सैमसंग मोबाइल तथा अभियुक्त आशीष से माइक्रोमैक्स बरामद किया है जिसका उल्लेख इसी जी.डी. में है। प्रतिपरीक्षा किये जाने पर भी पी0डब्लू0 34 ने पृष्ठ 13 दिनांकित 23.09.2022 को यह कथन किया है कि मुल्जिम अवधेश को रावतपुर स्टेशन के पास 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। मैंने गिरफ्तारी मेमो बनाया था। गिरफ्तारी के समय मुल्जिम अवधेश के पास से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ था। यह मेरा बयान सही है किन्तु अरेस्टिंग मेमो में मोबाइल बरामदगी का उल्लेख है। अभियुक्त सोनू रेनू व आशीष के पास से अरेस्टिंग मेमो में किसी मोबाइल की बरामदगी नहीं लिखी है लेकिन जी.डी. में उल्लेख है। यह बात सही है कि सोनू रेनू व आशीष का जो जी.डी. में मोबाइल का जिक्र है, उसमें मोबाइल नम्बर, आई.एम.ई.आई नम्बर, मॉडल नम्बर नहीं लिखा है। पृष्ठ 13 पर ही पी0डब्लू0 34 ने यह भी बताया है कि अवधेश से बरामद माल को हेड मोहर्रिंग को दिये जाने का उल्लेख जी.डी.नम्बर 63 में किया है। अभियुक्त रेनू व आशीष से बरामद मोबाइल का उल्लेख जी.डी. में किया है, हेड मोहर्रिंग को देने की बात का उल्लेख नहीं है। यह सही है कि पी0डब्लू0-34 ने अपने मौखिक साक्ष्य के पृष्ठ 105 पर अभियुक्तगण से मोबाइल बरामदगी का उल्लेख नहीं किया है किन्तु प्रदर्श क-167 जिसके द्वारा मालखाने से मोबाइल को मंगाकर विवेचना में प्रयोग किया गया है, वह विवेचक द्वारा साबित किया गया है। साथ ही साथ तत्समय की जी.डी. संख्या 63 व 2 को भी द्वितीयक साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विवेचना में प्रयुक्त मालखाने से मंगायी गयी मोबाइलें के सन्दर्भ में विवेचना में अन्य साक्षियों से पृच्छा एवं अभियुक्तगण की लोकेशन आदि के आधार पर यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण से मोबाइलें बरामद की गयी थी। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि डी0डब्लू0-5 के साक्ष्य से आ चुका है कि अभियुक्तगण अवधेश, रेनू सोनू व आशीष को दिनांक 31.07.2014 को सायं 6:15 बजे जेल में दाखिला किया गया है किन्तु विवेचक पी0डब्लू0-34 शिव कुमार सिंह राठौर ने अपने बयान में पृष्ठ संख्या 31 पर दिनांक 31.07.2014 को समय 23:50 बजे अभियुक्तगण रेनू व सोनू की गिरफ्तारी का उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि समस्त अभियोजन कार्यवाही फर्जी है, यही नहीं विवेचक ने फर्जी

बरामदगी भी दर्शायी है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि जेल दाखिला रजिस्टर में अभियुक्तगण की जेल में प्रविष्टि का समय 31.07.2014 को सायं 6:15 बजे दर्शित की गयी है। स्वाभाविक है कि जो भी गिरफ्तारी हुई हागी, वह उक्त समयावधि से पूर्व की होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि लिपिकीय त्रुटि के कारण हुई है। यही नहीं अभियुक्तगण द्वारा भी जेल दाखिला से पूर्व कराये गये फर्द बरामदगी पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर हैं। ऐसी दशा में उक्त लिपिकीय त्रुटि का कोई लाभ बचाव पक्ष को दिया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। यदि विवेचक ने अरेस्टिंग मेमो में अथवा अपने बयानों में इसका उल्लेख नहीं किया है तो यह मानवीय चूक का परिणाम हो सकता है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विवेचक की गलतियों के कारण अभियोजन पक्ष का केस प्रभावित नहीं होता है तथा विवेचक की चूक व लापरवाही के कारण पीड़ित व्यक्ति को न्याय पाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने इसी बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **हेमा बनाम स्टेट ड्रान्सपोर्ट इस्पेक्टर ऑफ पुलिस मद्रास** प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि चूकपूर्ण विवेचना का कोई प्रभाव अभियोजन पर नहीं पड़ता है तथा विवेचक की चूक का कोई लाभ बचाव पक्ष को दिया जाना उचित नहीं है तथा इसका कोई प्रभाव अभियोजन पक्ष पर नहीं पड़ता है।

121. बरामद मोबाइलों के आई.एम.ई.आई नम्बरों के आधार पर उनमें प्रयुक्त नम्बर तथा कॉल डिटेल एवं मोबाइल धारकों की लोकेशन इस प्रकरण में महत्वपूर्ण है। पी0डब्लू0-30 निरीक्षक राजीव द्विवेदी ने अभियुक्त आशीष के द्वारा घटना में प्रयोग किये गये मो0नं0 8090615770 के सम्बन्ध में टाटा टेलीकाम द्वारा धारक का नाम पता किया तो उक्त सिम आशीष पुत्र कमलेश के नाम से रजिस्टर्ड होना पाया गया। अभियुक्त आशीष से बरामद मोबाइल माइक्रोमैक्स रंग सफेद जो आई0एम0ई0आई0 नं0 911858250771052/ 911358250771060 डबल सिम का है। आशीष का मोबाइल नं0 8090615770 के सी0डी0आर0 से इस आई0एम0ई0आई0 के प्रयोग किये जाने की पुष्टि होती है।

122. पी0डब्लू0-30 निरीक्षक राजीव द्विवेदी ने ही अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी के बरामद मो0नं0 8127986342 सैमसंग रंग सफेद आई0एम0ई0आई नं0 358302057266627/35830305726625 डबल सिम का है। उसके द्वारा प्रयुक्त मो0नं0 8127986342 चला है, जो बरामद हुआ है। इस मोबाइल नंबर

से अवधेश द्वारा बी—पार्टी से वार्ता की गयी तो 9807480013 पर बबली नाम की महिला ने बताया कि यह नंबर उसके पति का है। अवधेश उसके मोहल्ले का है, जिससे इस नम्बर पर वार्ता होती है। अन्य बी—पार्टी के नंबर 9935064555 पर वार्ता की गयी तो उसने बताया कि उसका नाम धीरज अरोड़ा है। मोबाइल नं० 8127986342 उसके पूर्व ड्राइवर अवधेश का है, जिसने लगभग तीन माह तक उसकी हाण्डा गाड़ी चलायी है। पी०डब्लू०—३० निरीक्षक राजीव द्विवेदी ने अभियुक्त सोनू कश्यप द्वारा अपराध में प्रयुक्त मो०नं० 8687580730, जो कि उसके द्वारा नियमित प्रयोग किये जाने वाला नम्बर है, से बी—पार्टी के नं० 8756484572 पर मुन्नी देवी से वार्ता हुयी, जिन्होंने बताया कि मैं सोनू की मां हूँ और यह नम्बर सोनू का है। अन्य बी—पार्टी नं० 9559069210 पर नागेश पुत्र छोटेलाल ने बताया कि वह सोनू का बड़ा भाई है। एक अन्य बी—पार्टी नंबर 9169838772 पर बात करने पर बताया कि मैं सोनू का भाई विनोद बोल रहा हूँ और मो०नं० 8687580730 पर ही हमारी सोनू से वार्ता होती है।

123. पी०डब्लू०—३० निरीक्षक राजीव द्विवेदी ने अभियुक्त रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मो०नं० 7784987598 और 8687145104 में मो०नं० 8687145104 अभियुक्त रेनू पुत्र रामबाबू कनौजिया, रामचरन की बगिया पाण्डु नगर, कानपुर—नगर के नाम पर है। दूसरा मोबाइल नं० 7784987598 सोनू शाक्य पुत्र मोहनलाल, निवासी 152/95 हितकारी नगर, कानपुर—नगर के नाम से है। अभियुक्त रेनू के मो०नं० 7784987598 की काल डिटेल से बी—पार्टी नं० 8574169055 पर बात की गयी तो उसने बताया कि मैं सत्यम बाजपेई बोल रहा हूँ, जबकि ऐ—पार्टी रेनू थी। वह जे०के० आई०टी०आई० में काम करता है। मो०नं० 7784987598 पर उसकी रेनू से बात होती है। एक अन्य बी—पार्टी नं० 9935403414 पर बात की तो उसने बताया कि विनोद पुत्र रज्जन बोल रहा हूँ लक्ष्मण बाग कालोनी, विष्णुपुरी, कानपुर—नगर में रहता हूँ और ड्राइवरी करता हूँ। मो०नं० 7784987598 ड्राइवर रेनू का है, जिससे उसकी बात होती है। इस प्रकार अभियुक्त रेनू से बरामद मोबाइल सैमसंग रंग लाल आई०एम०ई०आई० नं० 351926060438729 / 351927060438727 डबल सिम अभियुक्त रेनू का ही होना पूर्णतया प्रमाणित है।

124. पी०डब्लू०—३० निरीक्षक राजीव द्विवेदी के बयान से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी द्वारा मो०नं० 8090766853 तथा स्वीकृत मोबाइल नंबर 9956353535 का उपयोग किया जा रहा था। साथ ही

साथ अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी द्वारा मो०नं० 8123986342 तथा अभियुक्त रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया द्वारा मो०नं० 8687145104 एवं 7784987598 का प्रयोग किया जा रहा है। अभियुक्त सोनू कश्यप द्वारा मो०नं० 8687580730 एवं अभियुक्त आशीष कश्यप द्वारा मो०नं० 8090615770 का उपयोग किया जा रहा है। विवेचक पी०डब्लू०-३० निरीक्षक राजीव द्विवेदी द्वारा यह साक्ष्य भी दिया गया है कि उक्त पांचों अभियुक्तों द्वारा कथित घटना की दिनांक 27.07.2014 को इन सभी अभियुक्तों के बीच आपस में लगातार बात हो रही थी और मोबाइल टावरों के आधार पर अभियुक्तगण की लोकेशन भी वराण्डा रेस्टोरेन्ट के समीप की है।

125. प्रस्तुत मामले में घटना का कोई चश्मदीद साक्षी न होने के कारण परिस्थितियाँ ही महत्वपूर्ण हैं एवं अभियुक्तगण के मोबाइल फोन नम्बर की काल डिटेल रिपोर्ट एवं उनकी लोकेशन की इस सम्पूर्ण विचारण में महत्वपूर्ण भूमिका है। कॉल विवरण के सन्दर्भ में भी पी०डब्लू०-१८ अखिलेश कुमार गौड़ ने कॉल डिटेल को केस डायरी में संलग्न किये जाने का कथन करते हुए यह बताया है कि अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी के मो०नं० 8127986342 से अभियुक्त आशीष कश्यप के मो०नं० 8090615770 से 54 कॉल का किया जाना तथा 29 कॉल का प्राप्त किया जाना विश्लेषण से प्राप्त हुआ है एवं अभियुक्त रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया द्वारा प्रयोग किये जा रहे मो०नं० 7784987598 पर 29 कॉल किया जाना व 47 कॉल प्राप्त किया जाना, 03 एस०एम०एस० किया जाना तथा 07 एस०एम०एस० प्राप्त किये जाने का विश्लेषण प्राप्त हुआ है। अभियुक्त रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया द्वारा प्रयोग किये जा रहे मो०नं० 8687145104 से एक कॉल का होना। अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी द्वारा प्रयोग किये जा रहे मो०नं० 8127986342 से अभियुक्त सोनू कश्यप के मो०नं० 8687780730 पर 61 कॉल किया जाना और 80 कॉल का प्राप्त किया जाना पाया गया। पत्रावली में शामिल चार्ट प्रदर्श क-५० को देखकर पी०डब्लू०-१८ अखिलेश कुमार गौड़ ने अभियुक्त सोनू द्वारा प्रयोग किये जा रहे दूसरे मो०नं० 8853902938 से 59 कॉल किया जाना तथा 11 कॉल प्राप्त किया जाना पाया गया। पी०डब्लू०-१८ अखिलेश कुमार गौड़ ने उपरोक्त घटना में सभी अभियुक्तों का आपस में वार्ता का एक रेखाचित्र फोटो लगाकर चार्ट प्रस्तुत किया है, जो प्रदर्श क-५६ के रूप में शामिल पत्रावली है। पी०डब्लू०-१८ द्वारा अभियुक्तगण के आई.एम.ई.आई नम्बरों के आधार पर आपसी बातचीत का विवरण रेखाचित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जो प्रदर्श क-५६ के रूप में शामिल पत्रावली है। उक्त रेखाचित्र से यह विदित

होता है कि अभियुक्ता मनीषा का अभियुक्त पीयूष के साथ बातचीत का लम्बा विवरण है जिसके अनुसार अभियुक्त पीयूष ने मनीषा को कुल 3093 कॉल किये तथा 1187 एस.एम.एस. किये थे जब कि अभियुक्ता मनीषा द्वारा अभियुक्त पीयूष को कुल 2423 कॉल किये गये हैं तथा 1077 एस.एम.एस. किये गये। इसके अतिरिक्त अभियुक्त पीयूष द्वारा स्वयं अभियुक्त अवधेश को लगभग 103 कॉल और 06 एस.एम.एस. किये गये एवं अवधेश ने पीयूष को 40 कॉल व 09 एस.एम.एस. किये। इसी तरह अभियुक्त पीयूष ने अभियुक्त रेनू को 08 कॉल किये तथा रेनू ने पीयूष को 02 कॉल किये। अभियुक्त पीयूष ने अभियुक्त आशीष को 01 कॉल किया तथा आशीष ने पीयूष को 02 कॉल किये। अभियुक्त सोनू को पीयूष ने 01 कॉल किया और 02 एस.एम.एस. किये थे। अभियुक्त पीयूष के अतिरिक्त अन्य अभियुक्त अवधेश, रेनू आशीष व सोनू के मध्य परस्पर बातचीत का भी कॉल रिकॉर्ड है। पी0डब्लू0 30 द्वारा दिनांक 27 / 28.07.2014 को दिन अभियुक्तगण की आपस में बातचीत का कॉल रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है जो प्रदर्श क-151 के रूप में शामिल पत्रावली है तथा विवेचक राजीव द्विवेदी ने बतौर पी0डब्लू0-30 साबित भी किया है। उक्त कॉल डिटेल से ज्ञात होता है कि अभियुक्तगण की आपस में परस्पर बातचीत प्रातः 9:00 बजे से लेकर रात्रि 12:05 मिनट तक का विवरण प्रस्तुत किया गया है। उक्त बातचीत में आशीष ने अभियुक्त अवधेश को प्रातः 09:00 बजे अभियुक्त सोनू को दिन में 10:00 बजे, आशीष ने पुनः अवधेश को दिन में 11:14 बजे पर, आशीष ने सोनू को 11:57 बजे पर पुनः आशीष ने अवधेश को 17:59 बजे पर आशीष ने ही अभियुक्त सोनू को 22:23 बजे व 22:25 बजे पर फोन किया था। इसी प्रकार अभियुक्त अवधेश ने रेनू को 10:32 बजे पर, पुनः अवधेश ने ही रेनू को 18:12 बजे, सोनू को भी 18:12 बजे पर ही, पुनः रेनू को 18:21 बजे पर, अवधेश को 18:36 बजे पर तथा आशीष को ही 19:56 बजे पर फोन किया था। अभियुक्त सोनू ने आशीष को 11:53 बजे पर, 11:55 बजे, 11:56 बजे, 11:58 बजे, 11:59 बजे, 12:01 बजे, 14:39 बजे, 14:56 बजे तथा रात्रि में 23:37 बजे, 23:54 बजे, 23:58 बजे, 12:01 बजे तथा 12:05 बजे पर भी अन्तिम बार 28 सै0 बात किया था। अभियुक्त रेनू ने आशीष को 21:08 बजे पुनः आशीष को 21:15 बजे, आशीष को ही 22:13 बजे, आशीष को ही 22:51 बजे एवं 22:58 बजे पर फोन किया था। यहाँ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इन्हीं अभियुक्तगण के साथ अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी की भी परस्पर वार्ता हो रही है। अभियुक्त पीयूष ने अभियुक्त अवधेश को 17:42 मिनट तथा 17:43 मिनट पर क्रमशः 34 सै0 व 97 सै0 बात किया है तथा

पीयूष ने ही अवधेश से 18:23 बजे पर 11 सै0 व 18:25 बजे पर 21 सै0 बात किया है। साथ ही साथ अभियुक्त पीयूष ने अवधेश से 21:05 मिनट पर 101 सै0 तथा 21:55 बजे पर 16 सै0 बात किया है। दिनांक 27 / 28.07.2014 को अभियुक्तगण की परस्पर बातचीत तथा अभियुक्त पीयूष की बातचीत से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अभियुक्तगण आपसी योजना के अनुसार काम कर रहे थे तथा एक—दूसरे से घटना की योजना को लेकर परस्पर जुड़े हुए थे। प्रदर्श क—151 के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से अभियुक्तगण के द्वारा आपसी षड्यन्त्र से घटना कारित किया जाना दर्शित होता है। परस्पर बातचीत के विश्लेषण चार्ट प्रदर्श क—57 एवं क—58 के रूप में प्रस्तुत किया है। यही नहीं अभियुक्तगण की आई.एम.ई.आई. नम्बर के आधार पर मोबाइल की लोकेशन का अभिलेख भी विवेचक पी0डब्लू0—30 श्री राजीव द्विवेदी द्वारा साबित किया गया है जो प्रदर्श क—152 के रूप में शामिल पत्रावली है। उक्त लोकेशन चार्ट भी अभियुक्तगण के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर अभियोजन केस को समर्थन प्रदान करती है।

126. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक हरिशंकर मिश्रा द्वारा पी0डब्लू0—15 के रूप में परीक्षित होकर अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि दिनांक 31.07.2014 को मैं थाना मूलगंज में बतौर एस.ओ. के पद पर तैनात था। एस.एस.पी. के आदेश से मैं एस.ओ. स्वरूप नगर शिव कुमार सिंह राठौर एवं उनके हमराहियान व कुछ थानों के थाना प्रभारी एक संयुक्त टीम गठित करके तथा उम्मीद बरामदगी जनता के दो गवाह जितेन्द्र पुत्र श्री राम व किशन गोपाल पुत्र श्यामबाबू को लेकर थाने में दाखिल अभियुक्तगण अवधेश, रेनू सोनू व आशीष को लेकर अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान जानकारी हुई थी। गोल चौराहे से रावतपुर कासिंग होते हुए कल्यानपुर से पहली बाई तरफ पनकी रोड पर शान्ति मेडिकल स्टोर से पहले बॉये तरफ गली में अभियुक्तों ने गाड़ी रुकवा दी। उसके ठीक दाहिने तरफ ग्रीन बेल्ट है जहाँ पर मुल्जिमों ने बताया था कि हमने गाड़ी लॉक करके गाड़ी की चाबी ग्रीन बेल्ट में फेंक दी थी। अभियुक्तों की निशांदेही पर रात्रि 01:45 बजे चाबी बरामद की गयी। वही पर अभियुक्तों ने बताया कि जहाँ पर जेवर रखे हैं, वह बरामद करा सकते हैं, रुमाल भी बरामद करा सकते हैं जिससे मैंने ज्योति मर्डर के बाद हाथ पोछा था। अभियुक्तगण आगे—आगे चलकर शान्ति मेडिकल स्टोर से दो सौ मीटर आगे व दूसरे ग्रीन बेल्ट से पचास कदम बॉये हाथ पर छोटा सा पेड़ था। पेड़ के उपर सफेद काले रंग की चेकदार रुमाल जिसमें खून लगा हुआ था, बरामद किया गया। उसके पश्चात् सभी मुल्जिमानों को गाड़ी में

बैठाकर विजय नगर मोड़ इण्डियन ऑयल डिपो गेट के पास गाड़ी रुकवायी, वही से बॉये पांचवे खम्भे पर किनारे रिफ्लेक्टर लगा हुआ था। उसके ठीक सामने पोल के अन्दर खोल के अन्दर टार्च की रोशनी से देखा गया तो उसमें तीनों अभियुक्तों ने बताया कि हमने मृतका ज्योति के शरीर से जेवर उतारे थे, वह मैंने इसी में डाल दिये थे तत्पश्चात लोहे की मुड़ी हुई सरिया होल में डालकर बारी—बारी से तीन अंगूठी व दोनों कान की बाली जिसमें से एक अंगूठी हीरे की व एक अंगूठी पन्ने व एक अंगूठी मोती की है। कान की दो बालियाँ पीली धातु की हैं। साक्षी ने इस सन्दर्भ में तैयार की गयी फर्द बरामदगी प्रदर्श क-38 को साबित किया है जो शामिल पत्रावली है। इसी सम्बन्ध में पी0डब्लू0-3 श्रीमती माया देवी, मृतका की माँ, का साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में पृष्ठ 5 पर यह कथन किया है कि मैंने मृतका अपनी बेटी के कुछ गहनों की शिनाख्त की थी। शिनाख्त घटना के एक माह बाद किया था, दिन याद नहीं है। लिखापढ़ी मजिस्ट्रेट ने किया था। मैंने उस फर्द को पढ़कर, सुनकर दस्तखत बनाये थे जो शामिल मिसिल मेरे सामने हैं। गवाह ने उक्त फर्द प्रदर्श क-1 को साबित किया है जो शामिल पत्रावली है। न्यायालय के समक्ष भी वह बण्डल खोला गया जिसमें तीन अंगूठी एक पीली धातु व दो सफेद धातु से व दो पीली धातु के दो टॉप्स आपस में गुंथे हुए निकले। गवाह ने देखकर कहा कि इन्हीं धातुओं की फर्द मेरे सामने बनायी गयी थी, ये सभी मेरी बेटी पूजा की थी। पीली धातु की अंगूठी पर वस्तु प्रदर्श-1, सफेद धातु की अंगूठी पर वस्तु प्रदर्श-2, सफेद धातु की मोती लगी अंगूठी पर वस्तु प्रदर्श-3 व कान के पीली धातु के दो टॉप्स पर वस्तु प्रदर्श-4 डाला गया। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बरामद आभूषणों में किसी विशिष्ट पहचान का कोई उल्लेख नहीं है तथा यह भी नहीं कहा जा सकता है कि बरामदशुदा आभूषण की दूसरी प्रति नहीं बन सकती है। इस सन्दर्भ में न्यायालय इस मत की है कि जो आभूषण मृतका द्वारा धारण किये गये हो और मृतका की माँ के द्वारा उन आभूषणों की पहचान किया जाना स्वाभाविक है। स्त्रियाँ स्वयं के आभूषण एवं अपने बच्चों के आभूषणों के विषय में अति संवेदनशील होती हैं। अतः मृतका की माँ द्वारा आभूषणों की पहचान किया जाना स्वाभाविक है। प्रदर्श क-1 के द्वारा शिनाख्त किये गये आभूषण की बरामदगी प्रदर्श क-38 से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू पुत्र रामबाबू व सोनू पुत्र छोटेलाल कश्यप की निशांदेही पर मृतका के शरीर पर धारण किये गये आभूषण बरामद किये गये हैं। मृतका के शरीर के आभूषणों की अभियुक्तगण अवधेश, सोनू व

रेनू से बरामद होने के आधार पर भी अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता दर्शित होती है। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी0डब्लू0-15 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ 15 पर यह स्वीकार किया है कि बरामदगी के समय वीडियोग्राफी की गयी थी, वह वीडियोग्राफी आज मेरे सामने न्यायालय में नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब कि कथित बरामदगी की वीडियोग्राफी करायी गयी थी, वह सर्वोत्तम साक्ष्य था और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए थी। इस सन्दर्भ में न्यायालय इस मत की है कि यदि वीडियोग्राफी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं भी की गयी है और अन्यथा साक्ष्य से उक्त फर्द बरामदगी साबित है तो अभियोजन के केस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। पी0डब्लू0-15 ने ही पृष्ठ 17 पर यह कथन किया है कि चाबी व रुमाल के बरामदगी का अलग से कोई नक्शा पत्रावली में नहीं है और न ही मेरी जानकारी में है।

127. अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के उपरान्त न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड लेने के पश्चात विवेचक ने अभियुक्तगण को आलाकत्तल व अन्य वस्तुओं के बरामदगी हेतु अभियुक्तगण की निशांदेही पर ले जाया गया है तथा उक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श क-171 विवेचक शिव कुमार सिंह राठौर द्वारा साबित किया गया है। उक्त प्रदर्श क-171 से विदित होता है कि अभियुक्तगण रेनू सोनू व आशीष से पृच्छा के आधार पर आलाकत्तल चाकू मोटर साईकिल हेतु कल्यानपुर पनकी रोड पर तीनों अभियुक्तों के साथ मौके पर ले जाया गया तथा रेनू व सोनू के साथ राय मशविरा करके सड़क के किनारे खड़ी झाड़ी में तलाश किया तो एक खड़ी झाड़ी के बीच में एक चाकू को सोनू व रेनू ने देखकर एक साथ सामूहिक रूप से बताया कि यह वहीं चाकू है जिससे हम दोनों बारी-बारी से वार करके ज्योति की हत्या की। चाकू को रेनू ने अपने हाथ में उठाकर विवेचक को दिया। मौके पर जरिये मोबाइल फोन फील्ड यूनिट प्रभारी पी0के0 श्रीवास्तव, वैज्ञानिक सहायक मय टीम के स्थान पर उपस्थित आये और चाकू पर लगे अंगुष्ठ छाप लेना चाहा तो बताया कि पानी गिरने से अंगुष्ठ छाप मिट गया है। अभियुक्त रेनू व सोनू का यह कृत्य धारा 4/25 आर्स एकट की हद को पहुँचता है। इसी कम में अभियुक्त आशीष की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल नम्बर यू पी 78 बी वाई 4588 को अभियुक्त आशीष द्वारा दिनांक 05.08.2014 को ही रिलायन्ट इंस्ट्रीट्यूट आलोक दीक्षित की कोचिंग के पास से बरामद कराया गया।

128. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के माध्यम से यह साक्ष्य आ चुका है कि अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, अभियुक्त रेनू व सोनू की निशांदेही पर मृतका द्वारा धारण किये गये आभूषणों की बरामदगी हुई है। मृतका के आभूषणों की बरामदगी यह दर्शित करती है कि अभियुक्तगण की उपस्थिति मृतका के साथ थी। अभियुक्त अवधेश, रेनू व सोनू द्वारा ही हाण्डा एकार्ड कार की चाबी तथा खून लगा हुआ सफेद काला चेकदार रुमाल की भी बरामदगी भी अभियुक्तगण की निशांदेही से हुई है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण रेनू व सोनू के द्वारा आलाकत्त्व चाकू की बरामदगी भी करायी गयी है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से भी चाकू पर लगे रक्त की जांच से मानव स्त्री मूल का रक्त होने की आख्या प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त आशीष की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल यू पी 78 बी वाई 4588 भी बरामद हुई है। अभियोजन द्वारा यह भी कथन किया गया है कि जब अभियुक्तगण अवधेश, रेनू व सोनू मृतका को होण्डा एकार्ड कार से लेकर हत्या करने के उद्देश्य से जा रहे थे तो उनके पीछे—पीछे अभियुक्त आशीष भी मोटर साईकिल से चल रहा था। अभियुक्त आशीष द्वारा उसी मोटर साईकिल की रिलायण्ट इंस्ट्रीट्यूट कोचिंग सेन्टर के पास से बरामद भी कराया गया है। उक्त फर्द बरामदगियों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की हत्या में प्रयुक्त वस्तुयें तथा मृतका की हत्या करने के उपरान्त लिये गये जेवरात, आलाकत्त्व व चाकू की बरामदगी अभियुक्तगण के पास से हुई है। अभियुक्तगण द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत करायी गयी बरामदगियाँ उनके बयानों से इतर साक्ष्य में ग्राह्य हैं। बरामद वस्तुओं से भी अभियुक्तगण अवधेश, रेनू व सोनू तथा आशीष की घटना में संलिप्तता दर्शित होती है।

129. प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त साक्ष्य से एवं विवेचना से यह तथ्य आ चुका है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी एवं अभियुक्ता मनीषा मखीजा के आपस में प्रेम सम्बन्ध थे तथा प्रेम सम्बन्धों में बाधा बनते देख अभियुक्त पीयूष ने अपनी पत्नी ज्योति श्यामदसानी की हत्या हेतु साजिश कर फर्जी आई.डी. के जरिये दो सिम कार्ड 8090766853 तथा 8090766837 लेकर स्वयं एवं अभियुक्ता मनीषा मखीजा द्वारा उनका उपयोग किया गया तथा हत्या करने के उद्देश्य से अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, सोनू कश्यप व आशीष कश्यप को अपने साथ पैसे का लालच देकर षड्यन्त्र में शामिल किया। अभियुक्त पीयूष व मनीषा द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे मोबाइल 8090766853 व 8090766837 के माध्यम से आपसी बातचीत का

कॉल डिटेल रिकॉर्ड प्रदर्श क-71 व क-72 के द्वारा पत्रावली में हैं जिससे उक्त दोनों अभियुक्तगण की परस्पर बातचीत और घटना के दिन भी रात्रि 22:42 बजे तक लगातार सम्पर्क में हैं। अभियुक्त पीयूष भी शेष अभियुक्तगण के साथ 27 / 28.07.2014 को लगातार जुड़ा हुआ है और उनसे परस्पर देर रात तक बात हो रही है। अभियुक्तगण अवधेश, रेनू सोनू व आशीष भी लगातार पीयूष के साथ परस्पर सम्पर्क में बने हुए थे। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर भी अभियुक्तगण रेनू सोनू व आशीष घटना स्थल व मृतका के शव के बरामदगी के स्थल तक उनकी उपस्थिति भी दर्शित होती है। अभियुक्तगण रेनू व सोनू की निशांदेही पर आलाक्त्तल की बरामदगी हुई है। अभियुक्त आशीष की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल यू पी 78 बी वाई 4558 की बरामदगी हुई है तथा अभियुक्त अवधेश, रेनू व सोनू की निशांदेही पर होण्डा एकॉर्ड कार की चाबी तथा रक्त रंजित रूमाल एवं मृतका के शरीर पर पहने हुए गहनों की बरामदगी हुई है। बरामद वस्तुओं और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड से अभियुक्तगण की घटना में दोषिता साबित होती है। बचाव पक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था गमपरल हदया राजू बनाम स्टेट ऑफ ए.पी. थू पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2009 (2) जे.आई.सी. पेज 532, सुप्रीम कोर्ट प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में अभियोजन पर यह दायित्व होता है कि वह यह साबित करे कि घटनाओं की श्रृंखला पूर्ण है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने घटना के सन्दर्भ में अपने साक्ष्य के द्वारा परिस्थितियों की सम्पूर्ण श्रृंखला पूर्ण की है। ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में बचाव पक्ष को कोई लाभ दिया जाना विधिसम्मत न होगा। बचाव पक्ष द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था स्टेट ऑफ गुजरात बनाम रसूल मियॉ अहमदिया मलेक व अन्य 1990 सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल) पेज 554 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि विचारण न्यायालय के समक्ष साक्षीगण के साक्ष्य व डिमनियर के देखने से दो व्यू (View) सम्भव हैं तो जो व्यू (View) अभियुक्त के पक्ष का हो, वही स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ने अभियोजन कथानक को सन्देह से परे जाकर साबित किया है। ऐसी दशा में उपरोक्त विधि व्यवस्था का कोई लाभ बचाव पक्ष को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी बिन्दु पर बचाव पक्ष द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था राजू उर्फ देवेन्द्र चौबे

बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2015 (2) जे.आई.सी. पेज 878 सुप्रीम कोर्ट
प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 120बी भा0दं0सं0 षड्यन्त्र के मामलों में यदि अभियोजन साक्ष्य में कोई सन्देह है तो सन्देह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। इस सन्दर्भ में न्यायालय इस मत की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के क्रम में प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के मध्य विद्यमान षड्यन्त्र के साक्ष्य स्पष्ट है तथा सन्देह न होने की दशा में अभियुक्तगण को इस विधि व्यवस्था के आलोक में लाभ दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था रोहताश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2012) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल) पेज 287 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि साक्ष्य में महत्वपूर्ण कन्ट्राडिक्शन्स व इनकन्सट्रेन्सिज के होने पर अभियुक्त दोषमुक्त किया जाना चाहिए किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य में कोई गम्भीर विरोधाभास व असंगति नहीं है जिसका कोई लाभ बचाव पक्ष को दिया जा सके। बचाव पक्ष द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था सम्पत कुमार बनाम इस्पेक्टर ऑफ पुलिस कृष्णागिरि (2012) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल) 42 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विरोधाभासी व असंगत कथनों को लेकर महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट मानते हुए साक्षीगण के विश्वसनीयता को संदिग्ध बताया था किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में साक्षीगण द्वारा दिये गये साक्ष्य में असंगति व विरोधाभास उस प्रकृति की नहीं है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था का लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता। बचाव पक्ष द्वारा नागेन्द्र शाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2021 (4) जे.आई.सी. पेज 187 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि अभियोजन द्वारा स्थापित की गयी परिस्थितियाँ मात्र एक सम्भावित निष्कर्ष अभियुक्त की दोषिता का नहीं देती है, वहाँ अभियुक्त से अपनी निर्दोषिता साबित करने का भार अन्तर्गत धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य के द्वारा साक्ष्य की ऐसी श्रृंखला तैयार की है जिसमें मात्र अभियुक्तगण की दोषिता ही दर्शित होती है। ऐसी दशा में भिन्न परिस्थितियाँ होने के कारण उक्त विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण में प्रयोज्य नहीं हैं। इसी क्रम में अरुण भानुदास पवार बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2008 (61) ए.सी.सी. पेज 32 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य मामलों

में दोषिता के लिए आवश्यक परीक्षण को सन्दर्भित किया है। इसके सन्दर्भ में न्यायालय इस मत की है कि उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं और अपने केस को अभियोजन ने साबित किया है। अतः इस विधि व्यवस्था का कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता। इसी क्रम में बचाव पक्ष ने एक अन्य विधि व्यवस्था बलदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2009 (64) ए.सी.सी. पेज 994 तथा शिवा जी चिनटपा पाटिल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा 2021 (2) जे.आई.सी. पेज 394 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को अपना केस सन्देह से परे जाकर साबित करना होगा तथा दोषिता साबित करने का भार अभियोजन पर ही होगा। इस सन्दर्भ में न्यायालय इस मत की है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष ने सन्देह से परे जाकर अपना पक्ष साबित किया है। अतः इस विधि व्यवस्था का भी कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता। इसी बिन्दु पर अभियोजन पक्ष ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था रोहताश कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा किमिनल अपील नम्बर 896 / 2011 2013 (3) ए.आई.आर. पेज 566 निर्णीत दिनांक 29.05.2013 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में जहां मृतका अभियुक्त के साथ अन्तिम बार मृत्यु से पूर्व देखे जाने का साक्ष्य हो, वहां Last Seen Together Theory के अनुसार अभियुक्त का यह दायित्व है कि वह उन परिस्थितियों को स्पष्ट करें जिनमें मृतका की हत्या हुई हो। Last Seen Together Theory अभियुक्त पर यह साबित करने का भार अधिरोपित करती है कि मृतका की मृत्यु किस प्रकार हुई? इसी बिन्दु पर अभियोजन ने एक अन्य विधि व्यवस्था अरविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा किमिनल अपील संख्या 1515–1516 / 2017 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि सामान्यतः समस्त आपराधिक मामलों में साबित करने का भार अभियोजन पर रहता है किन्तु धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई विशेष तथ्य अभियुक्त की जानकारी में हो, वहां साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा। इसी बिन्दु पर एक अन्य विधि व्यवस्था शरद बिरदी चन्द्र शारदा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा 1984 ए.आई.आर. पेज 1622 भी प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त विधि व्यवस्था में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर

आधारित मामलों में निश्चित परीक्षण हेतु बिन्दु निर्धारित किये हैं। उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में भी प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अपना केस साबित किया गया है।

130. बचाव पक्ष द्वारा डी0डब्लू0-1 के रूप में अजीत कश्यप एवं डी0डब्लू0-2 सूरज कश्यप को परीक्षित कराया गया है। अजीत कश्यप ने अपने साक्ष्य के द्वारा यह कथन किया है कि दिनांक 27.07.2014 को रविवार को मैं रोज की तरह अपनी दुकान बन्द करके साढ़े दस बजे पाण्डु नगर चौराहे पर अभियुक्त आशीष कश्यप भाई सूरज व सुशील आदि के साथ पाण्डु नगर चौराहे पर खड़ा था। लगभग आधे घण्टे तक हम सभी आशीष कश्यप के साथ रहे और उसके बाद खाना खाने और सोने अपने-अपने घर चले गये। इस सन्दर्भ में न्यायालय इस मत की है कि अभियोजन द्वारा कथित घटना में अभियुक्त आशीष की घटना स्थल में संलिप्तता के सम्बन्ध में उसकी उपस्थिति का साक्ष्य रात्रि 11:30 बजे के बाद आया है। ऐसी दशा में पाण्डु नगर चौराहे से रात्रि 10:30 बजे के बाद घटना स्थल पर पहुँचना असम्भाव्य नहीं है। अतः डी0डब्लू0-1 के उक्त साक्ष्य का कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता। इसी क्रम में डी0डब्लू0-2 के रूप में सूरज कश्यप को परीक्षित कराया गया है जिसने भी मुख्य परीक्षा में दिनांक 27 जुलाई 2014 को रात में 08:00 बजे अपनी दुकान पर उपस्थित होना बताया है तथा यह कथन किया है कि वह मेरी दुकान रात्रि 10:30 बजे बंद होने तक मेरे साथ रहा। दुकान बन्द होने के बाद हम बाहर निकले और पाण्डु नगर चौराहे से जब लाइट आ गयी तब करीब पौने बारह बजे रात्रि हम घर को गये थे। आशीष को पुलिस 30 जुलाई दिन बुधवार को ले गयी थी, समय रात्रि के 03:00 बजे। जब पहली बार पुलिस आशीष को ले गयी थी। आशीष का कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। पृष्ठ 3 पर डी0डब्लू0-2 द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मुझे यह जानकारी थी कि पीयूष के साथ मिल करके आशीष ने ज्योति की हत्या कर दी है। डी0डब्लू0-1 एवं 2 ने साक्ष्य के द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति रात्रि में पाण्डु नगर चौराहे पर बतायी है किन्तु रात्रि में पाण्डु नगर चौराहे से घटना स्थल तक पहुँचना उसके सम्बन्ध में कोई असम्भाव्यता नहीं है। अतः डी0डब्लू0-1 एवं 2 के साक्ष्य का कोई लाभ अभियुक्त आशीष को दिया जाना विधि सम्मत नहीं है।

131. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त पीयूष के अपनी पत्नी से अन्तरंग सम्बन्ध थे, वे दोनों बाहर घूमने जाया करते

थे। एक-दूसरे के साथ वे बहुत खुश थे तथा उनका सुखद वैवाहिक जीवन था। इस तथ्य को साबित करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा डी0डब्लू0-3 के रूप में मुकेश श्यामदसानी को परीक्षित कराया गया है। डी0डब्लू0-3 द्वारा अपने साक्ष्य के साथ मृतका व पीयूष के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये हैं तथा यह कथन किया गया है कि फोटोग्राफ में दोनों प्रसन्न दिख रहे हैं। इस सन्दर्भ में न्यायालय इस मत की है कि स्वीकृत रूप से पीयूष का विवाह 28. 11.2012 को होना कहा गया है। मृतका की हत्या 27.07.2014 को हुई है। इस मध्य में दो वर्षों के अन्तराल में घटनाक्रम में क्या-क्या परिवर्तन हुआ है एवं पति-पत्नी के सम्बन्ध किस प्रकार प्रभावित हुए हैं, इसका आंकलन नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य में यह आ चुका है कि अभियुक्त पीयूष एवं अभियुक्ता मनीषा के मध्य 01 जनवरी 2014 से 27 जुलाई 2014 तक कुल 5500 कॉल तथा 2200 एस.एम.एस. पर बात हुई है (P.W-30)। एक विवाहित पुरुष का पर स्त्री से सात महीनों के अल्प अन्तराल में 5500 कॉल होना स्वयं ही यह तथ्य दर्शित कर देता है कि पति-पत्नी के सम्बन्ध सामान्य नहीं थे। मृतका एवं पीयूष के सुखद वैवाहिक जीवन के सन्दर्भ में डा० एस०के० जुनेजा को भी डी0डब्लू0-4 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिन्होंने न्यायालय के समक्ष आकर यह कथन किया है कि दिनांक 31.05.2013 को मैंने ज्योति नाम के मरीज को देखा था जो अपने फेमिली मेम्बर के साथ आयी थी। ज्योति नाम की मरीज मेरे पास आती थी कि उसके बच्चा नहीं हो रहा था। इस इलाज के लिए आती थी। प्रदर्श ख-111,112 व 113 मेरे लिखे प्रिसक्रेष्णन है। डायगनोसिस के लिए अल्द्रासाण्ड व खून की जाँच करायी थी। प्रतिपरीक्षा में डी0डब्लू0-4 द्वारा यह कथन किया गया है कि मरीज को मेरे पास दवा कराने के लिए कौन लेकर आया था, उसका नाम नहीं लिखा जाता है। सन् 2013-14 में जो इलाज मैंने किया था, वह अधूरा इलाज हुआ था। अल्द्रासाण्ड की रिपोर्ट में आया है कि मरीज की दाहिनी किडनी में स्टोन है और बच्चेदानी के आसपास सूजन है। डी0डब्लू0-4 का यह कथन मात्र यह दर्शित करता है कि उनके समक्ष ज्योति इलाज हेतु गयी थी किन्तु डी0डब्लू0-4 के साक्ष्य से पति-पत्नी के सम्बन्धों के बीच में कोई कथन नहीं है। यह भी नहीं आया है कि मृतका को डाक्टर के पास कौन लेकर गया था? ऐसी दशा में डी0डब्लू0-4 का यह बयान पति-पत्नी के सम्बन्धों को लेकर महत्वहीन है। अभियोजन साक्ष्य से यह आ चुका है कि पति-पत्नी के सम्बन्ध में आपसी कटुता थी एवं अभियुक्त पीयूष के अभियुक्ता मनीषा से अत्यधिक अन्तरंगता थी। अभियुक्त पीयूष एवं अभियुक्ता मनीषा के इस प्रकार

के सम्बन्ध के चलते ही प्रेम सम्बन्ध में बाधा बनते देख अभियुक्त पीयूष द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। प्रेम सम्बन्धों में बाधा बनते देख बाधा को हटाया जाना अभियुक्त पीयूष को एक सुस्पष्ट हेतुक प्रदान करता है। यहाँ यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि इसी हेतुक की पूर्ति के लिए अभियुक्तगण ने फर्जी नामों से सिम लेकर सम्पूर्ण योजना तैयार किया है।

132. अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य सामने आ चुका है कि प्रस्तुत मामले में मुख्य अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी एवं अभियुक्ता मनीषा मखीजा अपने प्रेम सम्बन्धों को लेकर पीयूष की पत्नी श्रीमती ज्योति श्यामदसानी को रास्ते से हटाने के लिए फर्जी सिम को प्रयोग में लाकर हत्या की साजिश रची गयी। मृतका ज्योति श्यामदसानी की हत्या प्रेम सम्बन्धों में बाधा बनने के कारण अभियुक्त पीयूष व मनीषा को स्पष्ट हेतुक प्रदान करते हैं। जहाँ तक शेष अभियुक्तगण का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में भी परिस्थितियों यह दर्शित करती है कि अभियुक्त पीयूष ने शेष अभियुक्तगण रेनू उर्फ अखिलेश, सोनू कश्यप व आशीष से किसी गुप्त योजना के आधार पर उनको षड्यन्त्र में शामिल किया और साक्ष्य में यह भी आया है कि अभियुक्त पीयूष ने कथित घटना वाले दिन 27.07.2014 के पहले दिनांक 13.07.2014 एवं 20.07.2014 को ही हत्या की योजना बनायी थी। उक्त दोनों योजनायें निष्फल हो जाने पर तीसरी योजना दिनांक 27.07.2014 के लिए बनायी गयी। अभियुक्त पीयूष द्वारा अभियुक्त अवधेश व सोनू को रेव मोती मॉल से चाकू भी दिलाया गया था जिसके सन्दर्भ में भी अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त पीयूष ने अभियुक्त अवधेश, रेनू उर्फ अखिलेश, सोनू व आशीष को पैसे का लालच देकर ही उक्त घटना के लिए साजिश में सम्मिलित किया होगा। स्पष्ट है कि जहाँ एक तरफ पीयूष और मनीषा के पास मृतका ज्योति की हत्या का स्पष्ट हेतुक विद्यमान था, वहाँ शेष अभियुक्तगण का पैसे के लालच उनका उद्देश्य बनी हुई थी।

133. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा योजनाबद्ध ढंग से षड्यन्त्र रचकर फर्जी नामों से मोबाइल लेकर उक्त घटना को कारित की गयी है। स्पष्टतः घटना में कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। यही नहीं अभियुक्त पीयूष व मनीषा ने अपने द्वारा प्रयुक्त सिम कॉर्डों को भी नष्ट कर दिया था किन्तु प्रकरण में अभियुक्त पीयूष व मनीषा के कब्जे से बरामद मोबाइलों की आई.एम.ईआई. नम्बरों के माध्यम से घटना के सन्दर्भ में आवश्यक कॉल डिटेल रिकॉर्ड पत्रावली पर संलग्न है जिन्हें सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियमतः साबित किया गया है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी

के अन्तर्गत उचित प्रमाणन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त पीयूष की संदिग्ध भूमिका जो बिल्कुल असामान्य है। कथित घटना जिसे पीयूष ने होना बताया था, वह अस्वाभाविक है तथा स्वयं ही अभियुक्त पीयूष की संलिप्तता इंगित करती है। अभियुक्ता मनीषा मखीजा का व्यवहार भी अभियुक्त पीयूष के साथ इस प्रकार का है कि मोबाइल फोन के माध्यम से अन्तर्रंगता ही यह स्पष्ट कर देती है कि, जहाँ सात महीनों में दोनों अभियुक्तों के मध्य 5500 कॉल हुए हो, वहाँ स्थिति सामान्य नहीं कही जा सकती है। यही नहीं फर्जी नामों से सिम लेना भी इस साजिश को उद्घाटित करता है। जहाँ तक शेष अभियुक्तों का प्रश्न है। फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड एवं मोबाइल के जरिये घटना स्थल पर उपस्थिति साबित होती है। यही नहीं अभियुक्त अवधेश, रेनू व सोनू की निशांदेही पर होण्डा एकॉर्ड कार की चाबी, रक्त रंजित रूमाल और मृतका के आभूषण की बरामदगी हुई है। अभियुक्त आशीष की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल की बरामदगी हुई है और अभियुक्त रेनू व सोनू के कब्जे से आलाकत्तल चाकू की बरामदगी हुई है। अभियुक्तगण के पास से हुई बरामदगी भी अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता साबित करती है।

134. जहाँ तक अभियुक्त रेनू व सोनू का प्रश्न है। दोनों अभियुक्तगण की निशांदेही पर एक चाकू की बरामदगी साबित की गयी है जो प्रदर्श क-171 के रूप में शामिल पत्रावली है। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त बरामदगी संयुक्त बरामदगी है और चाकू एक ही बरामद हुआ है। अतः यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि उक्त चाकू का प्रयोग किसने किया है? साथ ही साथ संयुक्त बयान व संयुक्त बरामदगी विधि मान्य नहीं है। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि अभियुक्तगण द्वारा बारी-बारी से उक्त चाकू का प्रयोग किये जाने का कथन प्रदर्श क-171 में किया गया है। यही नहीं मृतका के शरीर पर चाकू की कुल चौदह चोटें पायी गयी हैं। ऐसी दशा में चाकू का बारी-बारी से प्रयोग किया जाना असम्भाव्य नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा चाकू का प्रयोग किया जाना भी साबित है। अतः यदि अभियुक्तगण के कब्जे से आलाकत्तल की बरामदगी दर्शित है तो मात्र किसी तकनीकी आधार पर उसे साक्ष्य में स्वीकार न किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः न्यायालय के मत में बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अभियुक्तगण से चाकू की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त रेनू कनौजिया व अखिलेश कनौजिया एवं अभियुक्त सोनू कश्यप के विरुद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम का अपराध भी बखूबी

साबित होता है। बचाव पक्ष द्वारा विधि व्यवस्था सौकेन्द्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2022 (118) ए.सी.सी. पेज 388 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने घटना के 14 दिन बाद फायर ऑर्म्स की रिकवरी को संदिग्ध माना था। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण से आलाकत्तल को घटना के 07 दिन बरामद पाया गया है। ऐसी दशा में भिन्न परिस्थितियाँ होने के कारण उक्त विधि व्यवस्था का लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता। एक अन्य विधि व्यवस्था बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि जहाँ अभियोजन आलाकत्तल से हत्या को जोड़ न सके तथा स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष आलाकत्तल की बरामदगी न हो वहाँ दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है तथा बचाव पक्ष ने करमवीर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2018 (3) जे.आई.सी. पेज 87 इलाहाबाद पर विश्वास व्यक्त किया है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था इस प्रकरण में प्रयोज्य नहीं हैं। इसी क्रम में एक अन्य विधि व्यवस्था लड्डन उर्फ मुजफ्फर अली बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2015 (3) जे.आई.सी. 315 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कथन किया है कि पुलिस साक्षीगण का पूर्ण विश्वसनीय साक्षीगण में नहीं आते हैं तथा स्वतंत्र साक्षीगण के सम्पोषण के बगैर दोषसिद्धि उचित नहीं है। इस सन्दर्भ में भी न्यायालय इस मत की है कि प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस साक्षीगण के अतिरिक्त स्वतंत्र साक्षी एवं परिस्थितियाँ स्वयं साक्षी हैं। अतः इस विधि व्यवस्था का कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता। बचाव पक्ष द्वारा अन्य विधि व्यवस्था किरन पाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2009 (1) जे.आई.सी पेज 794 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि जहाँ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में अभियुक्त के पास से की गयी बरामदगी संदिग्ध हो, वहाँ दोषसिद्धि नहीं किया जाना चाहिए किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के पास से आलाकत्तल व मृतका के जेवरात आदि की बरामदगी पुष्ट है, ऐसी दशा में भिन्न परिस्थिति होने के कारण उक्त विधि व्यवस्था का लाभ बचाव पक्ष को नहीं दिया जा सकता। इसी क्रम में एक अन्य विधि व्यवस्था मनी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2008 सी.आर.एल.जे. पेज 1048 बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन्दर्भित मामले में जहाँ मृतक के शव से तीन सौ फीट दूर दस दिन पश्चात वस्तुओं की बरामदगी को संदिग्ध माना था किन्तु प्रस्तुत मामले में मृतका की हत्या के सात दिन बाद ही आलाकत्तल आदि, जो अभियुक्तगण द्वारा छिपाये गये थे, बरामद हुए हैं। ऐसी दशा में सन्दर्भित

विधि व्यवस्था का कोई लाभ बचाव पक्ष को दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। बचाव पक्ष ने थिम्मा बनाम स्टेट ऑफ मैसूर 1971 सी.आर.एल.जे पेज 1314 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि जहाँ कोई तथ्य अन्य स्रोतों से पहले से ही उजागर हो चुका हो, उसे अभियुक्त के इस सूचना पर पुनः बरामद नहीं किया जा सकता। सन्दर्भित विधि व्यवस्था की परिस्थितियों मिन्न हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा इसी बिन्दु पर एक विधि व्यवस्था स्टेट ऑफ हिमाचल बनाम जीत सिंह प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिन्दु पर यह प्रतिपादित किया है कि There is noting in Section 27 of the Evidence Act which renders the statement of the accused inadmissible if recovery of the articles was made from any place which is "open or accessible to other." It is fallacious notion that when recovery of any incriminating article was made from a place which is open or accessible to others. It would vitiate the evidence under Section 27 of the Evidence Act. Any object can be concealed in places which are open or accessible to others. अतः प्रस्तुत प्रकरण में प्रयोज्य नहीं हैं। बचाव पक्ष ने एक अन्य विधि व्यवस्था स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली) बनाम नवजोत संधू प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ज्वाइंट रिकवरी को विश्वसनीय नहीं माना है। यह सही है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त रेनू व सोनू के द्वारा संयुक्त रूप से आलाकत्तल की बरामदगी करायी गयी है एवं दोनों ने ही उक्त चाकू के बारी-बारी प्रयोग करने का भी कथन किया है। मृतका के शरीर पर चाकू की कुल 14 चोटें भी पायी गयी हैं। प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियों सन्दर्भित विधि व्यवस्था से मिन्न हैं। उपरोक्त विधिव्यवस्था इस प्रकरण में प्रयोज्य नहीं हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा इसी बिन्दु पर किशोर भादके बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र किमिनल अपील संख्या 854/2010 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त विधि व्यवस्था एन.सी.टी बनाम नवजोत संधू को उद्धृत करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि In the case of State (NCT of Delhi) Vs. Navjot Sandhu, [20] this Court has held that a joint disclosure or simultaneous disclosure, per se, are not inadmissible under Section 27. A person accused need not necessarily be a single person, but it could be a plurality of the accused. The Court held that a joint or simultaneous disclosure is myth, because two or

more accused person would not have uttered informant word in chorus. When two persons in custody are interrogated separately and simultaneously and both of them may furnish similar information leading to the discovery of fact which was reduced into writing, such disclosure by two or more persons in police custody do not go out of the purview of Section 27 altogether. What is relevant is that information given by one after the other without any break, almost simultaneously, as in the present case and such information is followed up by pointing out the material things by both of them then there is no good reason to eschew such evidence from the regime of Section 27.

135. जहाँ तक अभियुक्त पूनम श्यामदसानी, मुकेश श्यामदसानी और कमलेश श्यामदसानी का प्रश्न है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पीयूष द्वारा रात्रि में इन लोगों से फोन कॉल किये गये हैं किन्तु अभियुक्तगण मुकेश, कमलेश व पूनम श्यामदसानी को कथित घटना की सूचना कब दी गयी, इसका स्पष्ट साक्ष्य नहीं है तथा यह भी स्पष्ट नहीं है कि वस्तुतः उन्हें सूचना क्या दी गयी है? अभियुक्त पीयूष ने स्वयं ही विलम्ब से थाने में गलत सूचना दी थी। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 202 भा०द०सं० का आरोप विरचित किया गया था। इस बात का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि पीयूष ने अपने घर वालों को इस योजना में सम्मिलित कर रखा था या नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त पीयूष ने वस्तुतः घर वालों को क्या सूचना दी? उन्हें सही बात बताया या जो कथन थाने पर दिया था, वही दिया है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण मुकेश श्यामदसानी, कमलेश श्यामदसानी एवं पूनम श्यामदसानी के विरुद्ध धारा 202 भा०द०सं० का जुर्म बखूबी साबित नहीं होता है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण मुकेश, कमलेश व पूनम श्यामदसानी को धारा 202 भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषी करार दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

136. उपरोक्त विवेचना के उपरान्त न्यायालय इस मत की है कि अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी का प्रश्न है। अभियुक्त पीयूष ने मृतका ज्योति के अपहरण व हत्या का आपराधिक षड्यन्त्र रचकर उसे अपहरणकर्ताओं के सुपुर्द किया तथा साजिशन मृतका के शव को न केवल छिपाया बल्कि गलत सूचना देकर सम्बन्धित पुलिस थाने को भ्रमित किया। ऐसी दशा में अभियुक्त

पीयूष श्यामदसानी के विरुद्ध धारा 120बी/364, 120बी/302, 201/120बी एवं 203 भा0दं0सं0 का अपराध बखूबी साबित होता है।

137. अभियुक्ता मनीषा मखीजा का घटना में प्रत्यक्ष रूप से घटना स्थल पर उपस्थिति साबित नहीं है किन्तु हत्या का सुस्पष्ट हेतुक होना तथा घटना की पूर्व से सह अभियुक्त के साथ लगातार फर्जी नामों से लिये गये मोबाइल के आधार पर संलिप्तता तथा घटना के ठीक पहले 22:42 बजे तक मुख्य अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी से लगातार मोबाइल फोन पर बात करना अभियुक्ता मनीषा मखीजा की घटना में अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के साथ आपराधिक षड्यन्त्र में सम्मिलित होना साबित होता है। साथ ही साथ अभियुक्ता द्वारा षड्यन्त्र कर मृतका के शव को भी छिपाया है। ऐसी दशा में अभियुक्ता मनीषा मखीजा के विरुद्ध भी धारा 302/120बी, 201/120बी भा0दं0सं0 का जुर्म बखूबी साबित होता है।

138. इसी क्रम में अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी, अभियुक्त रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया, अभियुक्त सोनू कश्यप द्वारा भी अभियुक्त पीयूष के साथ आपराधिक षड्यन्त्र में सम्मिलित होकर मृतका का अपहरण कर हत्या किया जाना तथा मृत शरीर से आभूषण को ले लिया जाना साबित है। अतः अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया व सोनू कश्यप: के विरुद्ध धारा—364/120बी, 302/120बी, 201/120बी एवं 404 भा0दं0सं0 का अपराध बखूबी साबित है।

139. अभियुक्त आशीष कश्यप द्वारा भी अभियुक्त पीयूष के साथ आपराधिक षड्यन्त्र में सम्मिलित होकर मृतका का अपहरण कर हत्या किया जाना तथा साक्ष्य को विलोपित किया जाना साबित है। अतः अभियुक्त आशीष कश्यप के विरुद्ध धारा—364/120बी, 302/120बी, 201/120बी भा0दं0सं0 का अपराध बखूबी साबित है।

140. उपरोक्त विवेचना से यह भी साबित हो चुका है कि अभियुक्त रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया और अभियुक्त सोनू कश्यप की निशांदेही पर आलाकत्त्व चाकू भी बरामद हुआ है जिसे अभियोजन साक्षियों ने बखूबी साबित किया है। अतः अभियुक्त रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया तथा सोनू कश्यप के विरुद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम का अपराध भी बखूबी साबित होता है।

141. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर सत्र विचारण संख्या 36 सन् 2015, मु0अ0सं0 151 सन् 2014 में अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी को अन्तर्गत धारा 120बी/364, 120बी/302, 201/120बी एवं 203 भा0दं0सं0,

अभियुक्ता मनीषा मखीजा का अन्तर्गत धारा 302/120बी, 201/120बी, भा0दं0सं0, अभियुक्त आशीष कश्यप का अन्तर्गत धारा—364/120बी, 302/120बी, 201/120बी भा0दं0सं0 व अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया व सोनू कश्यप को अन्तर्गत धारा—364/120बी, 302/120बी, 201/120बी एवं 404 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाता है।

142. अभियुक्तगण पीयूष श्यामदसानी, मनीषा मखीजा एवं आशीष कश्यप सत्र परीक्षण संख्या 36 सन् 2015 के प्रकरण में जमानत पर न्यायालय में उपस्थित हैं। अतः उनके जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है, उन्हें तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

143. अभियुक्तगण मुकेश श्यामदसानी, कमलेश श्यामदसानी एवं पूनम श्यामदसानी को सत्र परीक्षण संख्या 36 सन् 2015 के प्रकरण में धारा 202 भा0दं0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण मुकेश श्यामदसानी, कमलेश श्यामदसानी एवं पूनम श्यामदसानी द्वारा पूर्व मे दाखिल जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण मुकेश श्यामदसानी, कमलेश श्यामदसानी एवं पूनम श्यामदसानी, प्रत्येक, उक्त प्रकरण में मु0 20,000/-20,000/-रुपये की दो जमानतें व सम राशि का बंधपत्र धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अन्दर सत्ताह प्रस्तुत करें।

144. अभियुक्तगण अवधेश, रेनू एवं सोनू जिला कारागार से न्यायालय उपस्थित हैं।

145. अभियुक्तगण रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया एवं सोनू कश्यप को सत्र परीक्षण संख्या 37 सन् 2015 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के प्रकरण में दोषसिद्ध किया जाता है।

146. पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.2022 को पेश हो।

दिनांक:—20—10—2022

(अजय कुमार त्रिपाठी—II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या—01
कानपुर नगर।

दिनांक:-21-10-2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण जैरे हिरासत न्यायालय उपस्थित आये। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी के विद्वान अधिवक्ता श्री सईद नक्वी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त संभ्रान्त परिवार का नवयुवक है और उसका यह प्रथम अपराध है। इससे पूर्व वह न तो किसी अपराध में दोषसिद्ध हुआ है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

अभियुक्त मनीष मखीजा के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश पाठक द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता अविवाहित नवयुवती है और संभ्रान्त परिवार से सम्बन्धित है। उसका यह प्रथम अपराध है। इससे पूर्व वह न तो किसी अपराध में दोषसिद्ध हुई है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

अभियुक्त आशीष कश्यप के लिए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कृष्णा द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त आशीष अत्यन्त गरीब है। उसके पिता जी अत्यन्त बीमार हैं, वही अपने घर का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। उसके जेल में निरुद्ध हो जाने के पश्चात उसके परिवारीजनों पर भी भुखमरी का संकट हो जायेगा। अतः अभियुक्त आशीष कश्यप को कम से कम दण्ड तथा कम से कम जुर्माना अधिरोपित किया जाए।

अभियुक्त अवधेश चतुर्वेदी एवं सोनू कश्यप के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश सिंह चौहान एवं अखिलेश उर्फ रेनू के विद्वान अधिवक्ता श्री राम बहल विद्यार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त अभियुक्तगण गरीब परिवार से सम्बन्ध रखते हैं और ये अपने परिवार के एकमात्र जीवकोपार्जन करने वाले व्यक्ति हैं तथा ये सभी नवयुवक हैं और इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

अभियोजन पक्ष द्वारा यह कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मृतका की नृशंस हत्या कारित की गयी है जिससे पूरा समाज द्रवित है। उक्त प्रकरण में ऐसी सजा निर्धारित की जाए कि जिससे समाज में एक सन्देश जाए। यह भी कथन किया गया कि इस प्रकरण में पति द्वारा अपनी पत्नी की लोमहर्षक हत्या करायी गयी है जिससे पूरा समाज

मर्माहत है। मुख्य अभियुक्त के साथ—साथ अन्य अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड से कम दण्ड दिया जाना उचित नहीं होगा। इस बिन्दु पर अभियाजन पक्ष ने महेश बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश (1987) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 80 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महिला की नृशंस हत्या किये जाने पर सिद्धदोष जनो को फांसी की सजा दिया जाना उचित ठहराया था। इसी क्रम में एक अन्य विधि व्यवस्था कुंजुकुंजु जर्नाल्ड्वनन बनाम स्टेट ऑफ केरला (1979) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 646 के साथ ही साथ एक अन्य विधि व्यवस्था मच्छी सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 ए.आई.आर. पेज 957 प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि सन्दर्भित मामलों में गम्भीर हत्या के प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तगण को फांसी की सजा दिया जाना उचित ठहराया था। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड की सजा से दण्डित किया जाए।

सन्दर्भित विधि व्यवस्थाओं की परिस्थितियां प्रस्तुत प्रकरण से सर्वथा भिन्न हैं।

उभय पक्षों को सविस्तार सुनने, सन्दर्भित विधि व्यवस्थाओं के आधार पर वर्तमान वाद में आदेश किया जाना विधिसम्मत न होगा। पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उचित दण्ड के निर्धारण हेतु न्यायालय को अपराध की गम्भीरता बढ़ाने वाली एवं कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करना होता है। इस प्रकरण में मृत्यु दण्ड दिया जाना उचित नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध विरल से विरलतम मामले की श्रेणी में नहीं आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 898 में निर्धारित किया है कि मृत्यु दण्ड विरल से विरलतम मामले में दिया जाना चाहिए। न्यायालय इस मत का है कि निम्न दण्डादेश पारित किया जाना उचित है:—

आदेश

अभियुक्त पीयूष श्यामदसानी को सत्र विचारण संख्या 36/2015, मु0अ0सं0 151 सन् 2014, थाना—स्वरूप नगर, जिला—कानपुर नगर के प्रकरण में आरोप अन्तर्गत धारा 120बी/364 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष के कठिन कारावास तथा मु0 10,000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। धारा 302/120बी भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास तथा मु0 20,000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। धारा 201/120बी

भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा मु० 5,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा एवं धारा 203 भा०दं०सं० के अन्तर्गत एक वर्ष के कारावास एवं मु० 1,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

अभियुक्ता मनीषा मखीजा को सत्र विचारण संख्या 36/2015, मु०अ०सं० 151 सन् 2014, थाना—स्वरूप नगर, जिला—कानपुर नगर के प्रकरण में आरोप अन्तर्गत धारा 302/120बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा मु० 20,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगी तथा धारा 201/120बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास तथा मु० 5,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगी।

अभियुक्त आशीष कश्यप को सत्र विचारण संख्या 36/2015, मु०अ०सं० 151 सन् 2014, थाना—स्वरूप नगर, जिला—कानपुर नगर के प्रकरण में आरोप अन्तर्गत धारा 364/120बी भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध करते दस वर्ष के कठिन कारावास तथा मु० 10,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। धारा 302/120बी भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास तथा मु० 20,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। धारा 201/120बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास तथा मु० 5,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

अभियुक्तगण अवधेश चतुर्वेदी, रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया व सोनू कश्यप को सत्र विचारण संख्या 36/2015, मु०अ०सं० 151 सन् 2014, थाना—स्वरूप नगर, जिला—कानपुर नगर के प्रकरण में आरोप अन्तर्गत धारा 364/120बी भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए, प्रत्येक को, दस वर्ष के कठिन कारावास तथा मु० 10,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण, प्रत्येक, तीन—तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। धारा 302/120बी भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए, प्रत्येक को, आजीवन कारावास तथा मु० 20,000/-20,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर, प्रत्येक, छः—छः माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। धारा 201/120बी भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए, प्रत्येक को, तीन वर्ष के कारावास तथा मु० 5,000/-5,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर, प्रत्येक को, दो—दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। धारा 404 भा०दं०सं० के अन्तर्गत,

प्रत्येक को, दो वर्ष के कारावास एवं मु0 5,000/-5,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर, प्रत्येक को, दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगेना होगा।

अभियुक्तगण रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया एवं सोनू कश्यप को सत्र परीक्षण संख्या 37 सन् 2015, मु0अ0सं0 155 सन् 2014, थाना स्वरूप नगर, कानपुर नगर के प्रकरण में आरोप अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए, प्रत्येक को, एक-एक वर्ष के कारावास एवं मु0 1,000/-1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण, प्रत्येक को, दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्तगण की उपरोक्त सभी सजाएँ एक साथ चलेगी तथा पूर्व में अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गई सजा दण्ड की अवधि में समायोजित की जाएगी। उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण का दोषसिद्धि अधिपत्र तैयार कर जिला कारागार प्रेषित किया जाए।

अभियुक्तगण पर अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि मृतका की मॉ को प्रदान की जाए।

निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाए।

इस अभियोग से सम्बन्धित माल मुकदमाती अपील मियाद व्यतीत होने के पश्चात राज्यसात की जाए। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 37 सन् 2015 की पत्रावली पर रखी जाए।

बाद अनुपालन पत्रावली नियमानुसार दाखिल-दफ्तर हो।

दिनांक—21.10.2022

(अजय कुमार त्रिपाठी—II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—01,
कानपुर नगर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक—21.10.2022

(अजय कुमार त्रिपाठी—II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—01,
कानपुर नगर।